2026:AHC-LKO:54186-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 637 वर्ष 2025

श्री सरयू नगर विकास समिति, द्वारा अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं नगर नियोजन विभाग लखनऊ एवं 5 अन्य

........प्रतिवादी(गण)

तथा 10 अन्य सम्बद्ध वाद

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक मिश्रा, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अनिल कुमार पांडेय, अपूर्व तिवारी (न्याय मित्र), आशीष कुमार पाठक, आत्मा राम मिश्रा, अविनाश सिंह विशेन, भानु प्रताप मिश्रा, चंद्र भूषण पांडेय, निखिल मिश्रा, निशांत पांडेय, नितीश कुमार, राजीव नारायण पांडेय, रमा पति शुक्ला, समन्वय धर द्विवेदी, शरद पाठक, श्रेय शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अनघ शुक्ला, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चंद्र

दिनांक 22.05.2026 को निर्णय सुरक्षित

दिनांक 06.08.2026 को निर्णय पारित

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(द्वाराः न्यायमूर्ति राजन रॉय)

(1) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित, जिन्हें श्री श्रेय शुक्ला द्वारा सहायता प्रदान की गई, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद पाठक, जिन्हें विद्वान अधिवक्तागण श्री नितीश कुमार, श्री सी.बी. पांडेय, श्री राजीव नारायण पांडेय द्वारा सहायता प्रदान की गई; आवास एवं विकास परिषद (जिसे इसके पश्चात 'बोर्ड' कहा गया है) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित चतुर्वेदी, जिन्हें विद्वान अधिवक्तागण श्री रत्नेश चंद्र, श्री मानव राठौर, श्री चंदन मिश्रा और श्री आदि निगम द्वारा सहायता प्रदान की गई; राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री सुदीप कुमार, जिन्हें विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला द्वारा सहायता प्रदान की गई, तथा न्याय मित्र के रूप में विद्वान अधिवक्ता श्री अपूर्व तिवारी को सुना गया।

(2) यह याचिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मूल रूप से, नए भूमि अर्जन अधिनियम अर्थात् उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिन्हें इसके पश्चात **'अधिनियम, 2013'** कहा गया है) के साथ विसंगति के आधार पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (जिन्हें इसके पश्चात **'अधिनियम, 1965'** कहा गया है) के कतिपय प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है, तथा इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि यदि अधिनियम, 1965 के प्रावधानों को पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिन्हें इसके पश्चात **'अधिनियम, 1894'** कहा गया है), जो वास्तव में अधिनियम, 2013 द्वारा निरसित किया जा चुका है, की सहायता से यथावत लागू किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 300ए का उल्लंघन होगा। वे योजनाएं जिनके लिए भूमि अर्जित की गई है तथा अर्जन की कार्यवाहियां और अधिनिर्णय भी अवैध, असंवैधानिक और विधि के प्राधिकार के बिना होने के आधार पर चुनौती के अधीन हैं। कुछ याचिकाओं में वैधानिकता को चुनौती दिए बिना, अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार भूमि अर्जित करने या प्रतिकर, पुनर्वासन आदि प्रदान करने हेतु अनुतोष की मांग की गई है। अन्य आनुषंगिक अनुतोषों की भी याचना की गई है।

(3) सुविधा की दृष्टि से, उन सभी रिट याचिकाओं के अनुतोष खंड, जिन पर हम विचार कर रहे हैं, नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

'जनहित याचिका संख्या 637 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड

अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्ण रूप से:-

i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए अनुलग्नक संख्या 09 में निहित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांकित 19/08/2023 तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या 2023" (तृतीय योजना/प्रथम पूरक योजना) के अंतर्गत अयोध्या में लगभग 450 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगण द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एवं संपूर्ण कार्यवाहियों को मनमाना, अवैध एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करे।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे किसानों द्वारा भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा उनके शांतिपूर्ण कब्जे में कोई व्यवधान न डालें।

(ii-क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए अधिनियम, 1965 की धारा-28, 31(1), 32 और 55 के प्रावधानों को अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 के प्रावधानों के विपरीत अधिकारातीत घोषित करे, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद-254 के अंतर्गत विसंगतिपूर्ण हैं।

iii. ऐसा अन्य आदेश या निर्देश निर्गत करे जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझा जाए।

iv. रिट याचिका को वादव्यय सहित स्वीकार करे।'

'रिट सी संख्या 1923 वर्ष 2026 का अनुतोष खंड

अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्ण रूप से:-

i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए अनुलग्नक संख्या 04 में समाविष्ट उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1965 की धारा-28 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांकित 19/08/2023 तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या 2023" (तृतीय योजना/प्रथम पूरक योजना) के अंतर्गत अयोध्या में लगभग 450 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगण द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एवं संपूर्ण कार्यवाहियों को मनमाना, अवैध, विधि के प्राधिकार के बिना और असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करे तथा अधिनियम, 1965 के प्रावधानों को उस सीमा तक अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विरोधाभासी घोषित करे जिस सीमा तक वे इसके अनुरूप नहीं हैं।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को अधिनियम, 1965 की धारा-28, 31(1), 32 और 55 के प्रावधानों का प्रवर्तन करने से रोके तथा इन्हें भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों एवं अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 के प्रावधानों के विपरीत अधिकारातीत घोषित करे।

iii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे संपूर्ण अर्जन प्रक्रिया को विधि के प्राधिकार के बिना घोषित करते हुए याचिकाकर्तागण की भूमि से अपना नियंत्रण हटाकर याचिकाकर्तागण की भूमि को मुक्त करें।

iv. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे याचिकाकर्तागण द्वारा भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा उनके शांतिपूर्ण कब्जे में कोई व्यवधान न डालें।

v. ऐसा अन्य आदेश या निर्देश निर्गत करे जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझा जाए।

vi. रिट याचिका को वादव्यय सहित स्वीकार करे।'

<u>'रिट सी संख्या 1329 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड</u>

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्तागण अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्ण रूप से:-

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i-क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28, 31(1), 32 और 55 के प्रावधानों को अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 (उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) के प्रावधानों के विपरीत अधिकारातीत घोषित करे, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद-254 के अनुसार विसंगतिपूर्ण हैं।

(i-ख) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्रथम चरण के अर्जन की धारा-28 (दिनांक 09-10-2020 एवं 17.10.2020) (अनुलग्नक 1-ए एवं 1-बी), धारा-29 (दिनांक 14-06-2021) (अनुलग्नक 1-सी) और धारा-32 (दिनांक 17.01.2023) (अनुलग्नक 1-डी) के अंतर्गत अधिसूचना तथा द्वितीय चरण के अर्जन की धारा-28 (दिनांक 15-04-2022 एवं 07.05.2022) (अनुलग्नक 1-ई एवं 1-एफ), धारा-29 (दिनांक 24-11-2022) (अनुलग्नक 1-जी) और धारा-32 (दिनांक 06-09-2023) (अनुलग्नक 1-एच) के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करने की प्रक्रिया को भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों को लागू करके निरस्त करे। इसके अतिरिक्त भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 9 (1) (2) के अंतर्गत निर्गत नोटिस दिनांक 18-11-2024 एवं 16-11-2023 (अधिनिर्णय की घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु), जो अनुलग्नक संख्या 1-आई एवं 1-जे में समाविष्ट हैं, तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या" (प्रथम योजना) के अंतर्गत अयोध्या में खाता संख्या 203 - गाटा संख्या 1299 (ख) - (0 बीघा 3 बिस्वा - 0 धूर), गाटा संख्या 1301 - (0 बीघा 0 बिस्वा - 18 धूर), 1302 (क) - (0 बीघा - 6 बिस्वा 3 धूर), 1302 (ख) (0 बीघा 9 बिस्वा 6 धूर), 1306 (क) - (1 बीघा - 2 बिस्वा - 16 धूर), 1309 (ख) - (0 बीघा - 4 बिस्वा - 4 धूर), कुल क्षेत्रफल 2 बीघा - 6 बिस्वा - 7 धूर भूमि के अर्जन के संबंध में, तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक योजना, अयोध्या" (द्वितीय योजना) के अंतर्गत खाता संख्या 203 गाटा संख्या 1307 (क) (0 बीघा - 6 बिस्वा 0 धूर), 1308 (0 बीघा 8 बिस्वा - 2 धूर); खाता संख्या 150, गाटा संख्या - 1275 - (1 बीघा 2 बिस्वा - 10 धूर), 1276 - (0 बीघा - 18 बिस्वा - 3 धूर), 1277 (क) - (0 बीघा - 13 बिस्वा - 11 धूर), 1278 (क) - (0 बीघा - 14 बिस्वा - 3 धूर), 1279 (क) 0 बीघा 12

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बिस्वा 10 धूर, कुल क्षेत्रफल 4 बीघा 14 बिस्वा 19 धूर भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगण द्वारा निर्गत अधिनिर्णय एवं अधिसूचनाओं सहित संपूर्ण कार्यवाही को मनमाना, अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करे।

कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायसंगत एवं उचित समझे, वह भी शपथकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या को समादेशित करे कि वे प्रस्तावित अर्जन हेतु याचिकाकर्तागण की प्रश्नगत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने से पूर्व, उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4(1) के अधिदेश के अनुसार क्षेत्र के सर्किल रेट को वर्तमान बाजार दर के अनुसार संशोधित करें;

(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे ग्राम मांझा बरहटा, परगना - हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित याचिकाकर्तागण की भूमि पर केवल उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही अर्जन की कार्यवाही करें;

(iv) कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश निर्गत करे जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में उचित, न्यायसंगत एवं उपयुक्त समझे;

(v) याचिकाकर्तागण को रिट याचिका का वाद-व्यय दिलाया जाए।'

<u>'रिट सी संख्या 7231 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड</u>

अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्ण रूप से:-

i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों को लागू करके उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 (दिनांक 02-08-2023), 29 (दिनांक 21-09-2023) और 32 (दिनांक 21-09-2024) के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना की प्रक्रिया तथा

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुलग्नक संख्या 1, 2, 3 और 4 में समाविष्ट भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 9 (1)(2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 28-05-2025 (02 जून 2025 को प्रकाशित) (अधिनिर्णय की घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु) तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या 2023" (तृतीय योजना/प्रथम पूरक योजना) के अंतर्गत अयोध्या में लगभग 450 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगण द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एवं संपूर्ण कार्यवाहियों को मनमाना, अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करे।

(i-क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28, 31(1), 32 और 55 के प्रावधानों को अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 (उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) के प्रावधानों के विपरीत अधिकारातीत घोषित करे, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद-254 के अनुसार विसंगतिपूर्ण हैं।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे न्याय के हित में, ग्राम- कुरहा केशवपुर उपरहार, तहसील- सदर, जिला- अयोध्या में स्थित भूमि गाटा संख्या 324 मि. और 294 मि. पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

iii. ऐसा अन्य आदेश या निर्देश निर्गत करे जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझा जाए।

iv. रिट याचिका को वाद-व्यय सहित स्वीकार करे।'

<u>'रिट सी संख्या 7945 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड</u>

अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे:

(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांकित 19.04.2021 के साथ-साथ विपक्षी संख्या 1 द्वारा यहाँ

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

'भूमि विकास गृह-स्थान एवं बाजार पूरक-योजना, अयोध्या' के लिए भूमि अर्जन हेतु पारित आदेश दिनांक 13/10/2023 को, जो वर्तमान रिट याचिका के क्रमशः अनुलग्नक संख्या 2 एवं 1 में समाविष्ट हैं, निरस्त करे।

ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को निर्देशित करे कि वे ग्राम मांझा बरहटा, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित याचिकाकर्तागण की भूमि पर केवल उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही अर्जन की कार्यवाही करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को निर्देशित करे कि वे याचिकाकर्तागण से अर्जित की गई भूमि खाता संख्या 174 गाटा संख्या 1404, 1406, 1407, 1521, 1522, 1523, 1525-क और 1524-ब; खाता संख्या 173 गाटा संख्या 1409; खाता संख्या 81 गाटा संख्या 1525, 1526-क; खाता संख्या 182 गाटा संख्या 1406-ग, 1408-ख, 1409-क, 1410-क, 1412-अ, 1413-क, 1414-क, 1412-अ, 1413-क, 1414-क, 1415-क, 1416-क, 1424-क; और खाता संख्या 97 गाटा संख्या 1354 के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 ("भू. अ. पु. पु. अधिनियम") के अंतर्गत याचिकाकर्तागण को उचित प्रतिकर प्रदान करें तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ प्रदान करें।

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायसंगत, उचित एवं आवश्यक समझे; तथा

(iv) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का वाद-व्यय दिलाया जाए।'

'रिट सी संख्या 8614 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड

अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्ण रूप से:-

i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए अनुलग्नक संख्या 1 में समाविष्ट उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,

Translated Version. Not For Legal Use.

1965 की धारा-28 के अंतर्गत अधिसूचना/नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया तथा आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/विपक्षीगण द्वारा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या 2023" नामक योजना को लागू करने वाली बाद की अधिसूचनाओं/योजना की स्वीकृति को, तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या 2023" (तृतीय योजना/प्रथम पूरक योजना) के अंतर्गत अयोध्या में लगभग 450 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगण द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एवं संपूर्ण कार्यवाहियों को मनमाना, अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करे।

(i-क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28, 31(1), 32 और 55 के प्रावधानों को अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013 (उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) के प्रावधानों के विपरीत अधिकारातीत घोषित करे, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद-254 के अनुसार विसंगतिपूर्ण हैं।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करते हुए विपक्षीगण को समादेशित करे कि वे न्याय के हित में, ग्राम- कुरहा केशवपुर उपरहार, तहसील- सदर, जिला- अयोध्या में स्थित भूमि गाटा संख्या 324 मि., 294 मि., ग्राम- शाहनेवाजपुर मांझा, तहसील सदर, जिला- अयोध्या में स्थित गाटा संख्या 531, 791ग मि., 791घ मि., 798, 799, 800, 821, 822, 910ग मि., 910ज मि., 932ग मि., 933 मि., 940क मि., 956, 957, 960 मि., 961 मि., 963 क मि., 963ख मि., 963ग मि., 975 मि., 980 मि., 984 मि., 985 मि., 988, 989, 999 मि., 1000 मि., और 1001, तथा ग्राम- शाहनेवाजपुर उपरहार, तहसील- सदर, जिला- अयोध्या में स्थित गाटा संख्या 226 पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे और भूमि के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

iii. ऐसा अन्य आदेश या निर्देश निर्गत करे जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझा जाए।

iv. रिट याचिका को वाद-व्यय सहित स्वीकार करे।'

"रिट (सी) संख्या 2666 वर्ष 2026 का अनुतोष खंड

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतएव, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करके:-

i. प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) अयोध्या द्वारा पारित एकपक्षीय अधिनिर्णय दिनांक 23.06.2023 को मूल रूप में तलब करने के पश्चात निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जहाँ तक यह ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि खसरा संख्या 591, क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 592 क्षेत्रफल 0.04000 हेक्टेयर और खसरा संख्या 593 क क्षेत्रफल 0.1700 हेक्टेयर के प्रतिकर निर्धारण से संबंधित है।

ii. प्रतिवादीगण से मूल रूप में तलब करने के पश्चात, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 29 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के उपरांत विपक्षीगणों द्वारा प्रारंभ की गई अर्जन प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जहाँ तक यह ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि खसरा संख्या 591, क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 592 क्षेत्रफल 0.04000 हेक्टेयर और खसरा संख्या 593 क क्षेत्रफल 0.1700 हेक्टेयर से संबंधित है।

iii. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 09.10.2020 (रिट याचिका में संलग्नक संख्या 2 के रूप में समाहित) तथा "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या" (प्रथम योजना) के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रतिवादियों द्वारा जारी संपूर्ण कार्यवाहियों एवं अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करे।

iv. प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे कि वे ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि खसरा संख्या 591, क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 592 क्षेत्रफल 0.04000 हेक्टेयर और खसरा संख्या 593 क क्षेत्रफल 0.1700 हेक्टेयर पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

v. "कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करे जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में उचित समझे।"

vi. रिट याचिका को वाद-व्यय के साथ स्वीकार करे।"

"रिट (सी) संख्या 6894 वर्ष 2024 का अनुतोष खंड

अतएव, ऊपर वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करके निम्नलिखित प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे:

(i) विपक्षी संख्या 3 द्वारा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 एवं धारा 29 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के संबंध में जारी नोटिस दिनांक 19.08.2023 एवं 21.09.2023, और उससे उत्पन्न होने वाली किन्हीं भी अनुवर्ती कार्यवाहियों को, जो इस रिट याचिका में संलग्नक संख्या पी1 एवं पी2 के रूप में समाहित हैं, निरस्त करते हुए उत्प्रेषण

या

विपक्षी संख्या 1 से 3 को यह निर्देश देते हुए परमादेश कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार करें तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को समान मूल्य की भूमि पर पुनर्वासित करें।

(ii) विपक्षी संख्या 1 से 3 को यह समादेशित करते हुए परमादेश कि वे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 30 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों/अभ्यावेदनों दिनांक 04.09.2023, 29.09.2023 और 04.11.2023 की अस्वीकृति के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं।

या

विपक्षी संख्या 1 से 3 को यह समादेशित करते हुए परमादेश कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों/अभ्यावेदनों का निस्तारण, जहां भी लागू हो, विधि के अनुसार करें, जैसा कि इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या पी3 (सामूहिक) में समाहित है।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को यह समादेशित करते हुए परमादेश कि वे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार नवीनतम प्रचलित दरों के आधार पर सर्किल रेट को संशोधित करें।

(iv) कोई अन्य आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित एवं उपयुक्त समझे।"

"रिट (सी) संख्या 6304 वर्ष 2024 का अनुतोष खंड

अतएव, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करके निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करे:

(i) ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ता की भूमि खसरा संख्या 467 'क' एवं 551 जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 0.0100 एवं 0.8590 हेक्टेयर है, से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई संपूर्ण अर्जन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को यह निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता/भूमि स्वामी की सम्यक सहमति प्राप्त किए बिना प्रश्नागत भूमि पर बलपूर्वक कब्जा न लें।

(iii) विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर लिए गए निर्णय की प्रति तथा वे सभी अन्य दस्तावेज़ जिन पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निस्तारण करते समय अवलंब लिया है, तत्काल उपलब्ध कराएं।

(iv) कोई अन्य समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायसंगत, उचित और आवश्यक समझे; और

(v) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का वाद-व्यय प्रदान किया जाए।"

"रिट (सी) संख्या 6423 वर्ष 2025 का अनुतोष खंड

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतएव, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करके:-

i. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19/08/2023 (संलग्नक सं. 04 के रूप में समाहित) तथा अयोध्या में "भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या - 2023" (तृतीय योजना / प्रथम पूरक योजना) के अंतर्गत लगभग 450 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में विपक्षीगणों द्वारा जारी संपूर्ण कार्यवाहियों एवं अधिसूचनाओं को मनमाना, अवैध, विधि के प्राधिकार के बिना एवं असंवैधानिक मानते हुए उन्हें निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य समुचित रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करे, तथा अधिनियम, 1965 के प्रावधानों को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उस सीमा तक असंगत घोषित करे जहाँ तक वे बाद वाले अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।

ii. संपूर्ण अर्जन प्रक्रिया को विधि के प्राधिकार के बिना घोषित करते हुए, विपक्षीगणों को याचिकाकर्ताओं की भूमि से अपना नियंत्रण हटाकर उसे मुक्त करने का समादेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

iii. विपक्षीगणों को याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग में बाधा उत्पन्न न करने तथा उनके शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान न डालने का समादेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

iv. कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करे जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त प्रतीत हो।

v. रिट याचिका को वाद-व्यय के साथ स्वीकार करे।"

"रिट (सी) संख्या 7689 वर्ष 2024 का अनुतोष खंड

अतएव, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करके:

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

i. विपक्षी संख्या 02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01/08/2024 जो रिट याचिका में संलग्नक संख्या 02 के रूप में समाहित है, को अवैध घोषित करते हुए उसे निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

ii. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 31 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए, विपक्षीगणों को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे कि वे ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा, परगना हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ताओं की भूमि खसरा संख्या 378, 379 और 380 को उनके द्वारा प्रारम्भ की गई पूरक योजना से बाहर रखें/त्याग दें।

ii-क) आक्षेपित शासनादेश दिनांक 31/07/2024 तथा अनुवर्ती आदेश दिनांक 04/09/2024 और 05/09/2024 जो रिट याचिका में संलग्नक संख्या 27 से 29 तक समाहित हैं, को जहाँ तक वे याचिकाकर्ताओं से संबंधित हैं, निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

iii. कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त प्रतीत हो।

iv. रिट याचिका को वाद-व्यय के साथ स्वीकार करे।"

(4) परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित चतुर्वेदी द्वारा इस बात पर बहुत बल दिया गया कि सभी रिट याचिकाओं में अधिनियम, 1965 के कतिपय प्रावधानों की वैधानिकता को केवल असंगति के आधार पर चुनौती दी गई थी, और यह भी कि अनुच्छेद 14 आदि के उल्लंघन जैसे आधारों पर इस तरह की चुनौती के लिए पर्याप्त अभिवचनों का अभाव था। जैसा कि कुछ रिट याचिकाओं के अनुतोष खंड से स्पष्ट होगा, अधिनियम, 1965 की वैधानिकता को प्रकट रूप से अधिनियम, 2013 के साथ असंगत होने के आधार पर चुनौती दी गई है, हालांकि, रिट याचिका के मुख्य भाग में दिए गए अभिवचनों के सूक्ष्म अवलोकन पर, हम पाते हैं कि यह चुनौती भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300क के उल्लंघन के आधार पर भी है। इसके अतिरिक्त, रिट सी संख्या 1923 वर्ष 2026 में, जैसा कि अनुतोष खंड से भी स्पष्ट है, वैधानिकता को विनिर्दिष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 तथा अधिनियम, 2013 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है। हमने रिट याचिकाओं में दिए गए अभिवचनों का भी

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिशीलन किया है और यह पाते हैं कि इस संबंध में पर्याप्त अभिवचन विद्यमान हैं। इसके अलावा, हमारे विचारार्थ मुख्य रूप से विधिक प्रश्न उत्पन्न हुए, जिन पर सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर विस्तार से बहस और चर्चा की गई, इसलिए, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां विपक्षीगणों को अचंभे में डाल दिया गया हो, क्योंकि, प्रारंभ से ही वे उन सभी बिन्दुओं से अवगत रहे हैं जिन पर बहस और चर्चा की गई है और जिन पर इस निर्णय में चर्चा की जानी है, तथा उन्हें इसका उत्तर देना है, अतएव श्री चतुर्वेदी के इस तर्क को प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने की आवश्यकता है।

(5) उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश में एक आवास एवं विकास बोर्ड की स्थापना, निगमन और कार्यप्रणाली का उपबंध करने हेतु एक अधिनियम प्रख्यापित किया, अर्थात् उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965। उक्त अधिनियम को 20 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की स्वीकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि संविधान के तत्कालीन विद्यमान अनुच्छेद 31 में अंतर्निहित आवश्यकता के दृष्टिगत थी, जिसे बाद में संविधान (44वें संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा लोप कर दिया गया है।

(6) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, जिसे एतद्पश्चात "परिषद" कहा गया है, जिसका गठन अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है तथा जिसे धारा 15(1)(क) आदि के अंतर्गत आवास एवं सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को तैयार करने और निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है, ने तीन योजनाएं तैयार कीं जो प्रश्नागत हैं, अर्थात् "भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना", जिसे एतद्पश्चात **योजना संख्या 1** कहा गया है; "भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना", अयोध्या, जिसे एतद्पश्चात **योजना संख्या 2** कहा गया है; और "भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना", अयोध्या, जिसे एतद्पश्चात **योजना संख्या 3** कहा गया है।

(7) **योजना संख्या 1** में शाहनेवाजपुर मांझा, बरहटा मांझा और तिहुरा मांझा ग्राम शामिल हैं। इस योजना के संबंध में अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अंतर्गत प्रकाशन 17.10.2020 को किया गया था। धारा 32 के अंतर्गत योजना के लिए प्रकाशन, ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा और बरहटा मांझा के संबंध में क्रमशः 04.02.2023 और 30 सितंबर 2023 को किया गया था, जबकि तिहुरा मांझा के लिए यह 13.01.2024 को किया गया था। ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा के संबंध में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय दिनांक 23.06.2023 को घोषित किया गया था, जबकि ग्राम बरहटा

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मांझा के लिए यह दिनांक 20 फरवरी 2025 और 2 सितंबर 2025 को दो भागों में घोषित किया गया था। जहां तक ग्राम तिहुरा मांझा का संबंध है, अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है और यह प्रक्रियाधीन है।

(8) जहाँ तक **योजना संख्या 2** का संबंध है, यह केवल एक ग्राम, अर्थात् ग्राम बरहटा मांझा को आच्छादित करती है। इस योजना के लिए अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 23.04.2022 को किया गया था और धारा 32 के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 16.09.2023 को किया गया था। अधिनिर्णय दिनांक 23.12.2024 को घोषित किया गया था।

(9) **योजना संख्या 3** के संबंध में, यह चार ग्रामों, अर्थात् शाहनेवाजपुर मांझा, शाहनेवाजपुर उपरहार, कुढ़ा केशवपुर मांझा और कुढ़ा केशवपुर उपरहार को आच्छादित करती है। धारा 28 के अंतर्गत योजना के लिए प्रकाशन दिनांक 19.08.2023 को किया गया था, जबकि धारा 32 के अंतर्गत प्रकाशन दिनांक 21.09.2024 को किया गया था। ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा के संबंध में अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है, जबकि शेष तीन ग्रामों के संबंध में अधिनिर्णय क्रमशः दिनांक 23.01.2026, 06.01.2026 और 06.01.2026 को घोषित कर दिया गया है।

(10) उपर्युक्त सभी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1965 की धारा 31(2) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था और अधिनियम, 1894 की धारा 7 के अंतर्गत आदेश भी इसके द्वारा विभिन्न तिथियों पर पारित किए गए थे और उसके बाद ही योजनाओं/अर्जन को आगे बढ़ाया गया।

(11) यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उपरोक्त तीन योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन तीन तरीकों से किया जा रहा है, अर्थात् अनिवार्य अर्जन द्वारा, (भूमि एकत्रीकरण नीति) लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत, और पारस्परिक वार्ता के आधार पर क्रय द्वारा। हम, इन याचिकाओं में, केवल अनिवार्य अर्जन से ही संबंधित हैं, न कि अर्जन के अन्य तरीकों से।

(12) यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा से संबंधित प्रथम योजना के अंतर्गत धारा 32 के अधीन अधिसूचित कुल 194.1546 एकड़ भूमि में से केवल 36.1067 एकड़ भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन किया जाना था। इसी तरह, ग्राम बरहटा मांझा में धारा 32 की अधिसूचना में शामिल कुल 219.66968 एकड़ भूमि में से केवल 114.83179 एकड़ भूमि अनिवार्य अर्जन के अधीन है। इसी प्रकार, ग्राम तिहुरा मांझा के लिए धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित कुल

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

747.62403 एकड़ भूमि में से 126.70127 एकड़ भूमि अनिवार्य अर्जन के अधीन है। शेष भूमि अन्य तरीकों से अधिग्रहित की जा रही है।

(13) द्वितीय योजना के संबंध में, जो केवल एक ग्राम अर्थात् बरहटा मांझा से संबंधित है, धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित कुल 192.9408 एकड़ भूमि में से 103.2241 एकड़ अनिवार्य अर्जन के अधीन है और शेष अन्य तरीकों से अधिग्रहित की गई है।

(14) जहाँ तक तृतीय योजना का संबंध है, ग्राम कुढ़ा केशवपुर मांझा के संबंध में धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित कुल 7.76 एकड़ भूमि में से 7.22 एकड़ अनिवार्य अर्जन के अधीन है और शेष अन्य तरीकों से। तृतीय योजना के अंतर्गत अन्य ग्रामों के संबंध में, धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित ग्राम कुढ़ा केशवपुर उपरहार से संबंधित कुल 37.67 एकड़ भूमि में से केवल 33.79 एकड़ भूमि अनिवार्य अर्जन के अधीन है। इसी तरह, ग्राम शाहनेवाजपुर उपरहार के संबंध में धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित 5.17 एकड़ भूमि में से 3.9177 एकड़ भूमि अनिवार्य अर्जन के अधीन है। जहाँ तक तृतीय योजना में ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा का संबंध है, धारा 32 के अंतर्गत अधिसूचित कुल 385.8 एकड़ भूमि में से 366.8375 एकड़ अनिवार्य अर्जन के अधीन है।

(15) उपरोक्त भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण अधिनियम, 1965 और उस पर यथालागू भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन किया गया है, इसलिए, हम इन संविधियों के सुसंगत उपबंधों पर विचार कर सकते हैं।

(16) अधिनियम, 1965 की धारा 15 के अंतर्गत प्रगणित बोर्ड के कृत्यों में आवास और सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं की विरचना और निष्पादन सम्मिलित है। उसकी धारा 16 यह उपबंध करती है कि आवास या सुधार योजना बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अनुरोध पर विरचित की जा सकेगी और जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तब विरचित की जाएगी। अधिनियम, 1965 की धारा 17 उन विषयों से संबंधित है जिनका आवास या सुधार योजनाओं में उपबंध किया जाना है और इसके अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त अध्याय के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आवास या सुधार योजना खंड (ए) से (आर) के अंतर्गत उसमें प्रगणित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी, जिसमें योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक या उससे प्रभावित किसी संपत्ति का क्रय, विनिमय या अन्यथा द्वारा अधिग्रहण सम्मिलित है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(17) इस प्रकार, बोर्ड द्वारा विरचित की जाने वाली योजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या उससे प्रभावित हो सकने वाली संपत्ति का अधिग्रहण भी बोर्ड का एक कृत्य है।

(18) धारा 18 विभिन्न प्रकार की आवास और सुधार योजनाओं से संबंधित है। प्रस्तुत प्रकरणों में संदर्भित योजनाएं धारा 18(1) के खंड (ए) और (एच) के अंतर्गत आती हैं ।

(19) धारा 19 से 27 विशिष्ट प्रकार की योजनाओं और उन्हें विरचित करते समय उनकी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। धारा 19 और 26 प्रश्नगत योजनाओं के लिए सुसंगत हैं।

(20) हम इस स्तर पर इस तथ्य पर बल दे सकते हैं कि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत धारा 21 में 'पुनर्वास योजना' (पुनर्वास योजना) के लिए उपबंध है, जिसे तब विरचित किया जाना है जब कभी बोर्ड की यह राय हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है, (ए) जो अधिनियम के अंतर्गत किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन द्वारा विस्थापित हुए हैं या जिनके विस्थापित होने की संभावना है, या (बी) जिनका किसी क्षेत्र से हटाया जाना उस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए आवश्यक है।

(21) धारा 28 से 34 आवास और सुधार योजना को विरचित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

(22) धारा 28 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि जब कोई आवास या सुधार योजना विरचित की गई हो, तब बोर्ड उस आशय की एक सूचना तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रस्तावित अधिग्रहण या सुधार शुल्क के उद्ग्रहण की सूचना धारा 29 के अंतर्गत दी जानी है। धारा 30 के अंतर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, योजना के परित्याग, उपांतरण या स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना है। यदि योजना की लागत 20 लाख से अधिक है, तो स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है, अन्यथा ऐसी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोर्ड सक्षम है। जब कभी बोर्ड या राज्य सरकार धारा 31 के अंतर्गत किसी आवास या सुधार योजना को स्वीकृति प्रदान करती है, तो इसे धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा। किसी भी योजना के संबंध में ऐसी अधिसूचना इस बात का निश्चायक साक्ष्य है कि योजना सम्यक रूप से विरचित और स्वीकृत की गई है। तथापि, बोर्ड के ऐसे निर्णय/स्वीकृति के विरुद्ध किसी भी ऐसे व्यक्ति या

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने धारा 30 के अंतर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का उपचार उपलब्ध है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(23) प्रस्तुत प्रकरण में, धारा 31 के अंतर्गत स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा है; इसलिए, किसी भूस्वामी द्वारा किसी अपील का कोई प्रश्न नहीं है। अन्यथा भी, अंतर्वलित विधिक विषयों, अर्थात् स्वयं इसी अधिनियमन (अधिनियम, 1965) की वैधानिकता के चुनौती के अधीन होने पर विचार करते हुए, भूस्वामियों के लिए अपील का उपचार कदाचित ही कोई प्रासंगिकता रखता है, क्योंकि ऐसे विषयों का निर्णय केवल एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

(24) धारा 32 की उप-धारा (4) यह उपबंध करती है कि यदि राज्य सरकार उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के परिणामस्वरूप योजना को निरस्त या परिवर्तित करती है, तो निरस्तीकरण या परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(25) उप-धारा (5) उपरोक्त उल्लिखित दशाओं में अर्थात् यदि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हो, तो उप-धारा 1 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि को, या यदि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई हो, तो उसके खंड (i) और (ii) के निबंधनों के अनुसार, योजना के प्रवृत्त होने से संबंधित है।

(26) धारा 33 योजना के प्रारंभ के पश्चात इसके परिवर्तन से संबंधित है, और धारा 34 योजना के निष्पादन से संबंधित है।

(27) धारा 55 जो कि सुसंगत है क्योंकि यह भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति से संबंधित है और जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> ***"55. भूमि अधिग्रहण की शक्ति*** *- (1) इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई भूमि या उसमें कोई हित, भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 1), उत्तर प्रदेश में इसके लागू होने के संबंध में यथासंशोधित, के उपबंधों के अधीन अधिग्रहीत किया जा सकेगा, जो इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन होगा।*
>
> *"(2) यदि कोई भूमि, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सुधार शुल्क उद्गृहीत किया गया है, तत्पश्चात इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, तो ऐसे उद्ग्रहण*

Translated Version. Not For Legal Use.

को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण को निवारित करने वाला नहीं समझा जाएगा।"

(28) धारा 55 में संदर्भित अनुसूची इस प्रकार पढ़ी जाती है:

[उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965]

अनुसूची

(धारा 55 देखें)

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, उत्तर प्रदेश में इसके लागू होने के संबंध में यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है), में उपांतरण :-

1. उक्त अधिनियम की धारा 3 का संशोधन।

उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (एच) के पश्चात, निम्नलिखित नए खंड जोड़े गए समझे जाएंगे, अर्थात्-

"(i) 'स्थानीय प्राधिकारी' के अंतर्गत बोर्ड सम्मिलित है;

(जे) 'बोर्ड' से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अभिप्रेत है।"

2. इस अधिनियम के अंतर्गत नोटिसों का प्रभाव।

(1) इस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत या धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत किसी आवास या सुधार योजना के किसी नोटिस का शासकीय राजपत्र में प्रथम प्रकाशन, योजना के अंतर्गत अर्जन के लिए प्रस्तावित किसी भूमि के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में, और स्थानीय क्षेत्र में, प्रकाशन के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा, सिवाय वहां जहां उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कोई अधिसूचना या धारा 6 के अंतर्गत कोई घोषणा पूर्व में की जा चुकी है और अभी भी प्रवृत्त है, तथा ऐसी भूमि के प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबंध अप्रयोज्य होंगे।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) भावी सड़क योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत किसी नोटिस का निर्गत किया जाना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य आवास या सुधार योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) या, जैसी भी दशा हो, उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी अधिसूचना का प्रकाशन, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई किसी घोषणा के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा, जब तक कि अंतिम वर्णित धारा के अंतर्गत कोई घोषणा पूर्व में न की गई हो और अभी भी प्रवृत्त न हो।

(3) किसी ऐसे प्रकरण में जिस पर उप-प्रस्तर (1) या उप-प्रस्तर (2) लागू होता है, इस अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) या धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोई अधिसूचना, जिसमें अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के विस्तार में परिवर्तन अंतर्वलित हो, का प्रभाव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना और धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को तदनुरूप उपांतरित करने का होगा, तथापि, ऐसे किसी उपांतरण का मूल अधिसूचना या घोषणा के अंतर्गत पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. उक्त अधिनियम की धारा 17 का संशोधन।

उक्त अधिनियम की धारा 17 में–

(i) विद्यमान उप-धारा (1) और (1-ए) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्–

"(1) जब कभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किसी आवास या सुधार योजना के शीघ्र निष्पादन के हित में ऐसा निदेश दे, तो कलेक्टर, यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, धारा 9 की उप-धारा (1) में वर्णित नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिन की समाप्ति पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भूमि का कब्जा ले सकेगा। तदुपरान्त ऐसी भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी"

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(ii) उप-धारा (4) का लोप किया गया समझा जाएगा।

[उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965]

4. उक्त अधिनियम में नई धारा 17-ए का जोड़ा जाना। बोर्ड को भूमि का अंतरण।

उक्त अधिनियम की धारा 17 के पश्चात, निम्नलिखित को एक नई धारा के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :

"17-ए. धारा 16 या धारा 17 में संदर्भित प्रत्येक प्रकरण में, कलेक्टर अधिग्रहण लागत के भुगतान पर, भूमि का प्रभार आवास आयुक्त, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप देगा, और तदुपरान्त, इसके अधिग्रहण के कारण उपगत होने वाले किन्हीं अतिरिक्त व्ययों का भुगतान करने के बोर्ड के दायित्व के अधीन रहते हुए, भूमि बोर्ड में निहित हो जाएगी।"

5. उक्त अधिनियम की धारा 23 का संशोधन।

उक्त अधिनियम की धारा 23 में–

(i) "प्रथमः" खंड के विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा :

"स्पष्टीकरण– उपरोक्त बाजार मूल्य का निर्धारण करने में, ऐसे किसी भी मामले में जहाँ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किसी आवास या सुधार योजना के अधीन कोई भूमि अर्जित की जाती है, यदि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के खंड (ए), धारा 24 की उप-धारा (3) या धारा 35 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन किया गया है, तो ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई किसी भी वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा";

(ii) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित को उप-धारा (2) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"(2) भूमि के उपरोक्त बाजार मूल्य के अतिरिक्त, न्यायालय प्रत्येक मामले में अर्जन की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बाजार मूल्य की पंद्रह प्रतिशत राशि का अधिनिर्णय प्रदान करेगा।"

6. उक्त अधिनियम की धारा 49 का संशोधन।

उक्त अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्–

"(1-ए) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वह भूमि जो किसी गृह के साथ धारित हो और उससे संलग्न हो तथा जो उस गृह के उपयोग और भोग के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित हो, उस गृह का भाग समझी जाएगी।"

(29) जैसा कि 1965 के अधिनियम की अनुसूची के साथ धारा 55 के संयुक्त पठन से स्पष्ट होगा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंध, 1965 के अधिनियम के अधीन रचित किसी योजना के संदर्भ में, ऊपर उद्धृत अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के आधीन रहते हुए, अर्जन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं।

(30) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 एक संविधान-पूर्व साविधिक अधिनियम था। यह भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात भी अनुच्छेद 372 के बल पर भूमि अर्जन के मामले में प्रभावी रहा और यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित था।

(31) समय बीतने के साथ, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंध निजी भूमि और संपत्ति के अनैच्छिक अर्जन के लिए राज्य की सांविधिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ मुद्दों के निवारण में अपर्याप्त पाए गए। इसके अतिरिक्त, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनरुद्धार में उचित प्रतिकर और पारमिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, 1894 का अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वासन और पुनरुद्धार के मुद्दों का समाधान नहीं करता था। 'लोक प्रयोजन' की परिभाषा भी बहुत व्यापक पाई गई, जिसके कारण उक्त पद को पुनर्रपरिभाषित करना आवश्यक हो गया, ताकि राज्य के लिए महत्वपूर्ण

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सामरिक प्रयोजनों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जहाँ लाभ आम जनता को प्राप्त होते हैं, के लिए भूमि अर्जन के संबंध में इसके दायरे को सीमित किया जा सके।

(32) 1894 के अधिनियम के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए, जिससे भूमि स्वामियों और ऐसी भूमि पर निर्भर अन्य व्यक्तियों को कम कठिनाइयाँ हों, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करने और प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनरुद्धार के पर्याप्त उपबंधों के साथ इसके स्थान पर नया अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया गया था।

(33) भूमि के अर्जन से संबंधित एक ऐसी एकीकृत विधि प्रस्तावित की गई थी जो उचित और न्यायसंगत प्रतिकर का उपबंध करती हो तथा प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनरुद्धार तंत्र के पर्याप्त उपबंध रखती हो। यह विधेयक अंततः 2013 का अधिनियम बन गया और इसने परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लिए पर्याप्त पुनर्वासन और पुनरुद्धार तंत्र के व्यापक उपबंधों के साथ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित और प्रतिस्थापित कर दिया।

(34) 2013 का अधिनियम, जो धारा 114 के माध्यम से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करता है, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनरुद्धार के लिए एक पूर्णतः नए तंत्र का उपबंध करता है, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है तथा 26 सितंबर, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, धारा 1 की उप-धारा (3) के संदर्भ में 19 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से यह 01.01.2014 से प्रवृत्त हो गया है।

(35) 2013 के अधिनियम की धारा 114 निम्नलिखित रूप में है–

"114. निरसन और व्यावृत्ति (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन किया गया निरसन, निरसनों के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(36) इस प्रकार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का निरसन, निरसनों के प्रभाव के संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर बिना पूर्वाग्रह के तथा उसे प्रभावित किए बिना है।

(37) अधिनियम, 1965 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए अर्जन की कार्यवाहियाँ अधिनियम, 2013 के अधीन नहीं, बल्कि अधिनियम, 1965 की धारा 55 को उसकी अनुसूची के साथ पठित किए जाने के दृष्टिगत अधिनियम, 1894 के अनुसार संचालित की जा रही हैं। यद्यपि बोर्ड के अनुसार, अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि के अर्जन के संबंध में मौद्रिक प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जा रहा है, किन्तु अधिनियम, 2013 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(38) इसी संदर्भ में, हम अधिनियम, 2013 की धारा 24 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो निम्नवत् है:

"24. कुछ विशिष्ट प्रकरण में अधिनियम संख्या 1/1894 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया व्यपगत मानी जाएगी–

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन प्रारम्भ की गई भूमि अर्जन की किसी कार्यवाही में–

(क) जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे; या

(ख) जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहाँ ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन प्रारम्भ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाही में, जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पाँच वर्ष या उससे अधिक पूर्व किया गया है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, वहाँ उक्त कार्यवाही व्यपगत मानी जाएगी और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प चुने, तो ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाही

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए सिरे से प्रारम्भ करेगी: परन्तु जहाँ कोई अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भूमिधारणों के संबंध में प्रतिकर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।"

(39) धारा 24 की उपधारा (1) के अनुसार, अधिनियम, 2013 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन प्रारम्भ की गई भूमि अर्जन की किसी कार्यवाही में –(क) जैसा कि उक्त उपबंध से स्पष्ट होगा, यदि भूमि अर्जन की कार्यवाही अधिनियम, 1894 के अधीन प्रारम्भ की गई थी, जहाँ उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया था, तो प्रतिकर के निर्धारण से संबंधित अधिनियम, 2013 के सभी उपबंध लागू होंगे; (ख) जहाँ धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया था, वहाँ ऐसी कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी, मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो। धारा 24 की उपधारा (2) में उपबंधित है कि उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन प्रारम्भ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाही में, जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने से पाँच वर्ष या उससे अधिक पूर्व किया गया है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है अथवा प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, वहाँ उक्त कार्यवाही व्यपगत मानी जाएगी और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प चुने, तो ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाही अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार नए सिरे से प्रारम्भ करेगी। यह उपबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर प्रवृत्त नहीं होता।

(40) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर हमारे विचारार्थ उत्पन्न होने वाले प्रश्नों/विवाद्यकों पर विचार करते समय विचार किया जाएगा।

(41) याचिकाओं के इस समूह में हमारे विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

1. क्या जनहित याचिका संख्या 637/2025 (श्री सरयू नगर विकास समिति द्वारा अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य) मांगी गई राहतों के लिए पोषणीय है?

2. क्या अधिनियम, 1965 की धारा **28, 31 (1), 32 तथा 55**, सपठित भूमि अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 अधिनियम, 2013 के प्रतिकूल हैं?

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

3. अधिनियम, 2013 की धारा 114 द्वारा अधिनियम, 1894 के निरसन का अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि अर्जन की कार्यवाहियों पर क्या प्रभाव है? क्या अधिनियम, 1894 के निरसन के बावजूद अधिनियम, 1965 के अधीन अनिवार्य अर्जन पर अधिनियम, 1894 के उपबंधों का अनुप्रयोग विधि में दोषपूर्ण होगा?

4. क्या अधिनियम, 1965, जहाँ तक वह अपनी धारा 55 सपठित उसकी अनुसूची भूमि अर्जन के संबंध में अधिनियम, 1894 के उपबंधों को समाविष्ट करता है, अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात् निहित रूप से निरसित हो गया है?

5. क्या अधिनियम, 1965 के अधीन अनिवार्य अर्जन की कार्यवाहियों में प्रतिकर आदि प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम, 2013 के स्थान पर अधिनियम, 1894 के उपबंधों का अनुप्रयोग, संपत्ति-स्वामियों के साथ मनमाना एवं प्रतिकूल विभेद तथा प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रकरण में उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किए जाने के समान है, जिससे अधिनियम, 1965 के आक्षेपित उपबंध, विशेषतः धारा 55 तथा उसकी अनुसूची, असंवैधानिक हो जाते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 300क से प्रभावित होते हैं? इस संदर्भ में, क्या प्रतिकर में गैर-मौद्रिक प्रतिकर भी सम्मिलित है?

6. क्या पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के लिए अधिनियम, 2013 में अन्तर्विष्ट उपबंधों अथवा कम-से-कम उनके सिद्धान्तों को अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि आक्षेपित उपबंधों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 300क से प्रभावित होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाया जा सके और भूमि/संपत्ति-स्वामियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके?

7. क्या इस वाद में सम्मिलित प्रश्नों को समन्वय पीठ के निर्णय ***रिट याचिका (भूमि अर्जन) संख्या 159/2014, अतुल शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*** के दृष्टिगत, किसी बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने हेतु संदर्भित किया जाना आवश्यक है?

8. क्या अधिनियम, 1965 की धारा 55 द्वारा किए गए संशोधन के पश्चात्, उक्त परवर्ती अधिनियम में उसके अनुप्रयोग के लिए, बोर्ड अधिनियम, 1894 के अधीन स्थानीय प्राधिकारी नहीं रह गया?

Translated Version. Not For Legal Use.

9. याचिकाकर्ता किस राहत के, यदि कोई हो, हकदार हैं?

<u>प्रश्न संख्या 1:</u>

(42) बोर्ड की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चतुर्वेदी द्वारा रिट जनहित याचिका संख्या 637/2025 की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि उक्त जनहित याचिका के माध्यम से उसमें याचिकाकर्ता भूमि-स्वामियों की व्यक्तिगत शिकायतों को उठा रहा था, जो अनुज्ञेय नहीं था। वास्तव में, प्रतिशपथपत्र में यह भी कहा गया है कि रिट याचिका के पैराग्राफ 2 में किए गए अभिकथनों के अनुसार यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत हित को याचिकाकर्ता द्वारा उठाया जा रहा है। बोर्ड की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने ऐसी जनहित याचिका की अपोषणीयता तथा इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिकारिता के अभाव के संबंध में अपने तर्क के समर्थन में ***रामशरण औट्यानुप्रासी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1989) अनुपूरक 1 एससीसी 251*** तथा ***अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; (2004) 3 एससीसी 349*** में प्रतिवेदित निर्णयों पर भरोसा किया। तथापि, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

(43) इस जनहित याचिका का याचिकाकर्ता सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन विधिवत् पंजीकृत एक सोसाइटी है तथा उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र का 16.09.2024 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया है, अर्थात् उसका पंजीकरण अभी भी प्रभावी है। याचिकाकर्ता ने, जैसा कि रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में अभिकथित है, पूर्व में भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका, अर्थात् ***रिट याचिका (सिविल) संख्या 504/2025 (श्री सरयू नगर विकास समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)*** दाखिल की थी, जिसमें उन्हीं अर्जन कार्यवाहियों को चुनौती दी गई थी, जिन्हें वर्तमान में चुनौती दी गई है और उक्त याचिका का 19.05.2025 को कुछ विशिष्ट टिप्पणियों के साथ निस्तारण किया गया था। उक्त आदेश निम्नवत् है:-

"1. याचिकाकर्ता-समिति ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अयोध्या में एक परियोजना के लिए 450 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने की मांग की गई है। अर्जन को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संक्षेप में, '1965 अधिनियम') के प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाते हुए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(संक्षेप में, '1894 अधिनियम') के अधीन अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो पहले ही भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, '2013 अधिनियम') द्वारा निरसित किया जा चुका है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता 24 जनवरी, 2025 को सिविल अपील संख्या 990-991/2025 (आशा वर्मा एवं अन्य बनाम आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश एवं अन्य) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करने में सही प्रतीत होते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1894 अधिनियम के निरसन के पश्चात् प्रतिकर का निर्धारण 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

3. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उद्धृत प्रकरण आशा वर्मा एवं अन्य में अर्जन प्रक्रिया 2013 अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व प्रारंभ की गई थी। इसी कारण इस न्यायालय ने 2013 अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार के प्रकरण में, जहाँ अर्जन प्रक्रिया 2023 में प्रारंभ हुई है, याचिकाकर्ता के इस तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है कि अर्जन पूर्णतः 2013 अधिनियम की योजना के अनुरूप होना चाहिए।

4. चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य से ऐसे अनेक प्रकरण उत्पन्न होने की संभावना है, अतः हम इस रिट याचिका को विचार करना उचित नहीं समझते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता-समिति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

5. आकस्मिकता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य के साथ कि उद्धृत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इस विषय का पर्याप्त रूप से निस्तारण किया जा चुका है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण करे तथा अंतरिम निर्देशों के लिए आवेदन को रिट याचिका के साथ ऐसी प्रार्थना किए जाने के पश्चात् बिना किसी विलंब के सूचीबद्ध किया जा सकता है।

6. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हों, के साथ रिट याचिका का उपर्युक्त शर्तों के साथ निस्तारण किया जाता है।"

(44) जनहित में कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व, याचिकाकर्ता सोसाइटी की शासी निकाय द्वारा दिनांक 25.04.2025 को आयोजित अपनी बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया और यह निर्णय

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिया गया कि भूमि-स्वामियों के अनुरोध पर अर्जन कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए ऐसी कार्यवाही प्रारंभ की जाए तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इसके अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह को अधिकृत किया जाए। उक्त संकल्प रिट याचिका के संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।

(45) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2025 को आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल की और इसके लंबित रहने के दौरान इसमें संशोधन किया, ताकि अधिनियम, 1965 की धारा 28, 31(1), 32 तथा 55 के प्रावधानों को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी जा सके।

(46) हमारे दिनांक 05.06.2025 के आदेश के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्तागण ने अपने संस्था-ज्ञापन/उपनियमों की एक प्रति दाखिल की, जिनमें वे उद्देश्य निहित हैं, जिनके लिए सोसाइटी का पंजीकरण किया गया है और उक्त उद्देश्यों के मात्र अवलोकन से हम पाते हैं कि इसका पंजीकरण उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों तथा इसके सदस्यों से संबंधित लोकहित के कारणों के अनुसरण के लिए किया गया है। इस संबंध में हम विशेष रूप से संस्था-ज्ञापन/उपनियमों के बिंदु संख्या 4 के उद्देश्य संख्या 32 का उल्लेख कर सकते हैं। संस्था-ज्ञापन/उपनियमों में उक्त उपबंध स्वयं इस तथ्य का साक्ष्य है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी का पंजीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की सामान्य जनता की शिकायतों को उठाने तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में मांग किए जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किया गया है।

(47) इस संबंध में, हम संलग्नक-1 का संदर्भ ले सकते हैं, जो याचिकाकर्ता सोसाइटी के अध्यक्ष को कई व्यक्तियों द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जिसमें उनके नाम तथा ग्राम का उल्लेख किया गया है और जिसमें याचिकाकर्ता सोसाइटी के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई मनमानी एवं अवैध अर्जन कार्यवाहियों के विरुद्ध उनके हित का प्रतिपादन किया जाए, क्योंकि वे अपनी शिकायत उठाने तथा वाद-व्यय वहन करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में आवश्यक अभिकथन रिट याचिका में किए गए हैं।

(48) विपक्षीगण का शपथपत्र पर यह प्रकरण नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने याचिकाकर्ता सोसाइटी के समक्ष ऐसा अभ्यावेदन दिया है, उनकी भूमि प्रश्नगत योजनाओं के अधीन अधिग्रहित नहीं की गई है। वास्तव में, उक्त आवेदन में उल्लिखित ग्राम वे ही हैं, जहाँ भूमि अधिग्रहित की गई है। आगे, उक्त अभ्यावेदन के अनुसरण में यह अभिकथित किया गया है कि बोर्ड के संबंधित

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version.. Not For Legal Use.

अभियंता से पूछताछ की गई, जिन्होंने सूचित किया कि भूमि अर्जन कार्यवाहियाँ अधिनियम, 1965 के अधीन की जा रही थीं और परीक्षण करने पर याचिकाकर्ता सोसाइटी ने पाया कि यह स्पष्टतः अवैध था तथा नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों से भी परे था। अतः याचिकाकर्ता सोसाइटी ने उन भूमि-स्वामियों की ओर से, जिन्होंने उससे संपर्क किया था, प्रमुख सचिव, नगरीय आवास एवं नगरीय नियोजन विभाग, जो शासन में बोर्ड का प्रशासनिक विभाग है, के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी ओर से भूमि-स्वामियों की शिकायत उठाई गई, जिसमें रिट याचिका में उल्लिखित आधारों, जिसमें इसकी असंगति का आधार भी सम्मिलित है, तथा यह आधार भी कि अर्जन कार्यवाहियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन करती हैं, आदि के आधार पर शिकायत की गई और उसके पश्चात् ही याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा, जैसा कि ऊपर संदर्भित है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल किया जाना कहा गया, जिसमें दिनांक 19.05.2025 के आदेश द्वारा उन्हें इस उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपचार के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई।

(49) उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम इस मत के हैं कि बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा जिन दो निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, वे उसके पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं। ***रामशरण औट्यानुप्रासी*** (उपरोक्त) का प्रकरण ऐसा था, जिसमें एक लोक न्यास के कुप्रबंधन से संबंधित निजी विवाद सम्मिलित था, जैसा कि उक्त निर्णय के मात्र अवलोकन से स्पष्ट है, जबकि वर्तमान याचिका (पीआईएल) उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से मूलतः प्रतिद्वंद्वितापूर्ण वाद-विवाद नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय का **अशोक कुमार पांडे** (उपरोक्त) का अन्य निर्णय ऐसे प्रकरण से संबंधित था, जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को अधिरोपित तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट की गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किए जाने की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक रिट याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि लंबे समय तक मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया गया था। उक्त प्रकरण के तथ्य यहाँ सम्मिलित तथ्यों एवं प्रश्नों से पूर्णतः भिन्न थे। वर्तमान याचिका में उठाए गए प्रश्नों में स्पष्टतः सामान्य जनहित निहित है। इस संबंध में हम माननीय उच्चतम न्यायालय के ***एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ; (1981) पूरक 1 एससीसी 87*** के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी व्यक्ति अथवा निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के विधिक

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अथवा संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और निर्धनता, असहायता, अक्षमता अथवा सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता के कारण वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ होते हैं, तब कोई भी सद्भावी जनहितैषी व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 अथवा 226 के अधीन उनकी ओर से याचिका दाखिल कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्तागण के उपनियम स्वयं ऐसी याचिकाएँ दाखिल करने तथा सामान्य जनता के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके प्रवर्तन से संबंधित शिकायतों को उठाने की अनुमति देते हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के ***जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी एवं अन्य; (1992) 4 एससीसी 305*** के निर्णय का भी संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति का जनहित याचिका की कार्यवाही में पर्याप्त हित है और वह सद्भावपूर्वक ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करता है, तो ऐसा व्यक्ति वंचित समूहों के अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उनकी ओर से उनके पक्ष को आगे बढ़ा सकता है।

(50) तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विषयगत विधि के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, हमारा मत है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी उन भूस्वामियों की ओर से जनहित याचिका को पोषणीय रखने की हकदार है, जिन्होंने उससे संपर्क किया है और जो यह दावा करते हैं कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु मुकदमेबाजी का भार वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। इसका यह भी कारण है कि, जनहित याचिका में अत्यंत मौलिक लोक-महत्व एवं सर्वसाधारण के हित के कई प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे कि, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिकर आदि से संबंधित अधिक लाभकारी प्रावधानों से परे तथा उनकी उपेक्षा करते हुए, एक निरसित अधिनियम अर्थात् भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की सहायता से अधिनियम, 1965 के अधीन बोर्ड द्वारा भूमि के अनिवार्य अर्जन की अनुमेयता है। रिट याचिका में मांगे गए अनुतोष, विशेषकर अधिनियम, 1965 के कतिपय प्रावधानों की वैधता के विरुद्ध उठाई गई चुनौती में, स्पष्टतः लोकहित का तत्व समाविष्ट है। प्रति-शपथपत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कृत्य दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक आशयों से प्रेरित है, या किसी व्यक्तिगत लाभ हेतु है, अपितु, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में इसके विपरीत विशिष्ट कथन किए गए हैं। इस प्रकरण के तथ्यों में हम आश्वस्त हैं कि सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत याचिका पोषणीय है। इसके विपरीत बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क तदनुसार निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, "व्यथित व्यक्तियों" द्वारा योजित अन्य याचिकाएं भी हैं, जो याचिकाओं के इस समूह के भाग हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया गया है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

<u>प्रश्न संख्या 2:</u>

(51) अगला प्रश्न अधिनियम 1965 और भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के आक्षेपित प्रावधानों के बीच असंगति का है।

(52) संविधान का अनुच्छेद 254 संसद द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के बीच असंगति से संबंधित है। विधिक स्थिति सुस्थापित है कि अनुच्छेद 254 के प्रावधानों का अनुप्रयोग करने के लिए, प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दोनों अधिनियमन, अर्थात् राज्य और केंद्रीय अधिनियमन, समवर्ती सूची की प्रविष्टियों से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा, दोनों अधिनियमन के बीच विसंगति होनी चाहिए। विसंगति का अर्थ, निःसंदेह, परस्पर विरोधी टकराव की स्थिति हो सकती है, जहां दोनों अधिनियमों उनमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, साथ ही अन्य स्थितियां जैसा कि ***दीप चंद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1959 एससी 648*** में उल्लेख किया गया है।

(53) हम इसी संदर्भ में ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य (2011) 3 एससीसी 139*** के प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय के कतिपय प्रस्तरों का लाभप्रद संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें ***ए.एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य; एआईआर 1957 एससी 297*** के प्रकरण में पारित एक पूर्ववर्ती संविधान पीठ के निर्णय एवं इस विषय पर अन्य निर्णयों के संदर्भ में असंगतता की विधि को संक्षेप में सुस्पष्ट रूप से समझाया गया है। प्रासंगिक प्रस्तर 91 निम्नवत् है:

"91. ए.एस. कृष्णा [एआईआर 1957 एससी 297] में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि भारत शासन अधिनियम की धारा 107 को लागू करने के लिए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 254 के समरूप है, दो शर्तें आवश्यक हैं; एक, कि प्रांतीय विधि और केंद्रीय विधान के प्रावधान, दोनों उस विषय के संबंध में होने चाहिए, जो समवर्ती सूची में प्रगणित है और दूसरा, कि वे एक-दूसरे के असंगत होने चाहिए। एक बार जब, ये शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं, तभी असंगति उत्पन्न होगी और प्रांतीय विधि, असंगतता की सीमा तक, शून्य हो सकती है। इस न्यायालय की एक अन्य संवैधानिक पीठ द्वारा केरल एस.ई.बी. बनाम इंडियन एल्युमिनियम कं. लिमिटेड [(1976) 1 एससीसी 466] में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।"

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(54) इसी तरह का दृष्टिकोण ***के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य; (2011) 9 एससीसी 1*** में एक अन्य संवैधानिक पीठ के निर्णय द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसका प्रस्तर 107 निम्नवत् है:

"107. असंगतता का तर्क केवल तभी दिया जा सकता है जब दोनों विधान समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हों। संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत, सूची III में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में पारित राज्य की विधि तब अमान्य होगी, जब उसके प्रावधान उसी विषय पर संसद द्वारा पारित विधि के असंगत हों, और वह भी केवल उसी दशा में जब दोनों विधियाँ एक साथ अस्तित्व में न रह सकें।"

(55) अतः, सर्वप्रथम देखा जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या दोनों अधिनियमन अर्थात् अधिनियम, 1965 तथा अधिनियम, 2013 समवर्ती सूची की किसी प्रविष्टि से संबंधित हैं या नहीं हैं।

(56) इस परिप्रेक्ष्य में, अर्थात् उस सूची या सूची की प्रविष्टि को निर्धारित करने के लिए, जिससे वे संबंधित हैं, सार और तत्व के सिद्धांत को लागू करना होगा।

(57) जैसा कि लंबे शीर्षक, उद्देश्यों और कारणों के कथन और अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट प्रावधानों से स्पष्ट है, यह भूमि अर्जन, औद्योगीकरण, आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास आदि के लिए तथा भू-स्वामियों एवं प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि के अर्जन के बदले न्यायसंगत और उचित प्रतिकर प्रदान करने हेतु एक मानवीय, सहभागी, सूचित एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था, जैसा कि उक्त अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने से भी स्पष्ट होता है; इसलिए, मूलतः और प्राथमिक रूप से, यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित एक विधान है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है, इसलिए, हमें सीधे यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या, सार और तत्व में, अधिनियम, 1965 भी प्रविष्टि 42 से संबंधित है या नहीं है?

(58) श्री संदीप दीक्षित के अनुसार, अधिनियम, 1965 के आक्षेपित प्रावधान अर्थात् धारा 28, 31(1), 32 और 55 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित हैं, भले ही संपूर्ण अधिनियम, 1965 इससे संबंधित न हो। इस संदर्भ में जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित द्वारा ***आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ; एआईआर 1970 एससी 564 (प्रस्तर 38)*** में ग्यारह-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय और ***ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर***

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रदेश राज्य; (1980) 4 एससीसी 136 (प्रस्तर 18, 19 और 25) में संविधान पीठ के निर्णय पर अत्यधिक अवलंब लिया गया, जिसमें उनके अनुसार, यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि संपत्ति के अर्जन हेतु विधान बनाने की शक्ति एक स्वतंत्र एवं पृथक शक्ति है और यह केवल सूची III की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत प्रयोग करने योग्य है, न कि तीनों सूचियों में से किसी में भी विधान के विनिर्दिष्ट शीर्ष के संबंध में विधान बनाने की आनुषंगिक शक्ति के रूप में है।

(59) यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दूसरे पक्ष तथा विद्वान न्यायमित्र का यह कथन कि अधिनियम, 1965 राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित था और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से नहीं था, क्योंकि यह अपने आप में भूमि अर्जन के लिए कोई अधिनियमन नहीं है, बल्कि विकास के लिए है, और उस संदर्भ में आनुषंगिक रूप से भूमि अर्जन करने की शक्ति को अधिनियम, 1965 के अंतर्गत गठित बोर्ड में निहित किया गया था, उपरोक्त वर्णित निर्णयों के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं था।

(60) उन्होंने इस तथ्य पर भी बल दिया कि जब भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में अपना निर्णय दिया था, जिस पर विद्वान न्यायमित्र और साथ ही बोर्ड और राज्य के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया था, तब भूमि अर्जन अधिनियम 2013 अस्तित्व में नहीं था, इसलिए, उनके अनुसार, अधिनियम 1965 की असंगतता के संदर्भ में शामिल प्रश्नों पर ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की कसौटी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जो कि किसी भी स्थिति में, उनके अनुसार, ***आर.सी. कूपर*** (उपरोक्त) में ग्यारह-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के विपरीत था।

(61) इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने यह तर्क देने के लिए अधिनियम 2013 की धारा 105 का भी संदर्भ दिया कि उक्त अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित होने के कारण, कुछ राज्यों ने उक्त प्रावधान में संशोधन किया है, ताकि उसमें संदर्भित चौथी अनुसूची में राज्य के अधिनियमन को शामिल किया जा सके, जिसका उद्देश्य उन्हें अधिनियम 2013 के परिधि से बाहर रखना था, किंतु उत्तर प्रदेश राज्य ने ऐसा नहीं किया है, जो इस तथ्य का द्योतक है कि अधिनियम, 2013 भूमि अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू होता है, जहां कहीं भी किसी भी राज्य अधिनियमन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में इसका सहारा लिया जाता है, इसलिए, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 सपठित

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम 1965 के प्रावधान, अधिनियम 2013 के असंगत होने के कारण, वे ऐसा घोषित किए जाने के योग्य हैं। याचिकाकर्ताओं के अन्य अधिवक्ताओं द्वारा भी ऐसा ही तर्क प्रस्तुत किया गया।

(62) दूसरी ओर, बोर्ड और राज्य के विद्वान अधिवक्ता, तथा साथ ही विद्वान न्यायमित्र ने तर्क प्रस्तुत किया कि सार और तत्व में, अधिनियम 1965 राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित होने के कारण, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित विषय वस्तु पर उक्त अधिनियम द्वारा मात्र आनुषंगिक अतिक्रमण और इस संबंध में अतिव्यापन, यदि कोई हो, अपने आप में अनुच्छेद 254 को आकर्षित नहीं करेगा और उनके द्वारा ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अत्यधिक अवलंब लिया गया।

(63) इस प्रकार, हम आनुषंगिक अतिक्रमण या अतिव्यापन के विवाद्यक और सार और तत्व के सिद्धांत को लागू करने में इसके महत्व पर विचार कर सकते हैं।

(64) जहां तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित द्वारा ***आर.सी. कूपर*** (उपरोक्त) के निर्णय के प्रस्तर 38 पर अवलंब लेने का संबंध है, उस पर एक अनुवर्ती संवैधानिक पीठ द्वारा ***ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) के प्रकरण में विचार किया गया था, और इन दोनों निर्णयों पर ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) के प्रकरण में एक अन्य संवैधानिक पीठ द्वारा विचार किया गया था। न केवल ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) में इन निर्णयों पर विचार किया गया, बल्कि उन्हें समझाया और स्पष्ट भी किया गया था, और असंगति के संदर्भ में अन्य प्रासंगिक विवाद्यकों के अलावा, आनुषंगिक अतिक्रमण या अतिव्यापन के संबंध में विधि को भी स्पष्ट किया गया था। ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) के प्रस्तर संख्या 81 से 86 निम्नवत हैं:

"81. अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क के समर्थन में, ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1980) 4 एससीसी 136] पर इस तर्क पर बल देने के लिए अत्यधिक अवलंब लिया गया था कि संपत्ति के अर्जन और समादेशन के लिए प्रविष्टि जैसी एक स्वतंत्र प्रविष्टि को अनुषंगी विधि की विषय-वस्तु नहीं बनाया जा सकता है। न्यायालय ने इस निर्णय के एससीसी प्रस्तर 25 में रुस्तम कावसजी कूपर बनाम भारत संघ [(1970) 1 एससीसी 248] का संदर्भ देते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स मामला [(1980) 4 एससीसी 136], एससीसी पृष्ठ 154)

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

*"25. ...**कि संपत्ति के अर्जन के लिए विधान बनाने की शक्ति एक स्वतंत्र और पृथक शक्ति है और यह केवल सूची III की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत प्रयोग करने योग्य है, न कि तीनों सूचियों में से किसी में भी विधान के किसी विनिर्दिष्ट शीर्षक के संबंध में विधान बनाने की शक्ति के आनुषंगिक रूप में"***

82. इन टिप्पणियों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए हमें ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्रकरण [(1980) 4 एससीसी 136] के तथ्यों का संदर्भ लेना चाहिए। *उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ चीनी मिलों के स्वामियों द्वारा गन्ना उत्पादकों और उन मिलों में कार्यरत मजदूरों के लिए उत्पन्न गंभीर समस्याओं के परिणामस्वरूप, जिनका उन क्षेत्रों की सामान्य अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, जहां ये चीनी मिलें स्थित थीं, तथा अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1971 शीर्षक से एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। अध्यादेश की अनुसूची में निर्धारित चीनी उपक्रमों के अंतरण और निहितीकरण के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी, उत्तर प्रदेश राज्य शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1971 को निरसित कर दिया गया और इसे उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अधिनियम को उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि राज्य के विधायिका के पास इसे अधिनियमित करने की कोई विधायी सक्षमता नहीं है और यह अनुच्छेद 19(1)(एफ), 19(1)(जी) और 31 का उल्लंघन था और इसने संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समता की गारंटी पर भी आक्षेप किया।*

83. *अपीलार्थी ने ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्रकरण [(1980) 4 एससीसी 136] में यह तर्क दिया था कि सूची I की प्रविष्टि 52 के संदर्भ में विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'आईडीआर अधिनियम') की धारा 2 के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा किया। चीनी, एक घोषित उद्योग होने के नाते, सूची II की प्रविष्टि 24 के दायरे से बाहर आता है और इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य की विधायिका को चीनी उद्योगों के संबंध में विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। महान्यायवादी द्वारा इस तर्क का यह कहकर विरोध किया गया कि अनुसूची VII की सूची III में प्रविष्टि 42 से प्राप्त संपत्ति अर्जन करने की शक्ति, एक स्वतंत्र शक्ति है। आक्षेपित*

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, सार और तत्व में, अनुसूचित उपक्रमों को अधिग्रहित करने का अधिनियम होने के कारण, जिसका अर्थ है अनुसूचित उपक्रमों की संपत्तियां, उस संबंध में विधान बनाने की राज्य विधायिका की शक्ति सूची III की प्रविष्टि 42 से संबंधित है, जो इस तथ्य के बावजूद अक्षुण्ण बनी रही कि 'चीनी' को केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत एक उद्योग के रूप में घोषित किया गया है। उस प्रकरण में राज्य अधिनियम का उद्देश्य, मुख्य रूप से, संपत्ति अर्थात भूमि और चीनी कारखानों का अर्जन करना था। ऐसे कारखाने के प्रबंधन को अपने हाथ में लेना केवल एक अनुषंगी या आनुषंगिक कारण था। इस प्रकार, न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया कि यह सूची III की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत आच्छादित विषय था।

84. *उस प्रकरण का एक अन्य पहलू यह था कि यह संपत्ति के अर्जन के लिए अधिनियमित एक विधि थी और इसका आशय किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं था। यहां तक कि उस प्रकरण में भी न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि ये दोनों विधान बिना किसी टकराव के सह-अस्तित्व में रह सकते हैं और निर्णय के एससीसी प्रस्तर 30 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्रकरण [(1980) 4 एससीसी 136], एससीसी पृष्ठ 155-56)*

"30. आक्षेपित विधान राज्य सरकार द्वारा किसी भी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन या नियंत्रण को अपने हाथ में लेने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था। सार और तत्व में इसे अनुसूचित उपक्रमों को अधिग्रहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यदि किसी घोषित उद्योग में किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन या नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाता, तो निर्विवाद रूप से धारा 20 का वर्जन ऐसी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को रोकता है। हालांकि, यदि अनुसूचित उपक्रम के अर्जन के लिए एक वैध विधान के अनुसरण में प्रबंधन अर्जन करने वाले निकाय को हस्तांतरित हो जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह धारा 20 के उल्लंघन में होगा। धारा 20 लागू किसी भी ऐसी विधि के अंतर्गत किसी भी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन या नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की कार्यकारी कार्रवाई को वर्जित करती है, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसा करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 20 का निषेध कार्यकारी शक्ति के प्रयोग पर है, लेकिन यदि किसी औद्योगिक उपक्रम के अर्जन के परिणाम के रूप में औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन या नियंत्रण अर्जन करने वाले प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जाता है, तो धारा 20 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है। धारा 20 राज्य विधायिका को सूची II की प्रविष्टि 24 के

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतिरिक्त किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत विधायी शक्ति का प्रयोग करने से न तो रोकती है और न ही मना करती है, और यदि उस विधायी शक्ति के प्रयोग में, अर्थात्, एक घोषित उद्योग में एक औद्योगिक उपक्रम का अर्जन, उद्योग या उपक्रम पर प्रबंधन या नियंत्रण का परिणामी हस्तांतरण अर्जन की एक घटना के रूप में होता है, तो विधायी शक्ति के प्रयोग के अनुसरण में प्रबंधन या नियंत्रण को इस तरह से अपने हाथ में लेना धारा 20 के निषेध के अंतर्गत नहीं है। इसलिए, यह तर्क कि आक्षेपित विधान धारा 20 का उल्लंघन करता है, में कोई गुण-दोष नहीं है।"

85. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा संवैधानिक पीठ के इस निर्णय का सन्दर्भ लेना तथ्यों एवं विधि के अनुसार अनुचित है। प्रत्येक निर्णय में दिए गए उक्ति (दिक्टम) को वाद के तथ्यों के साथ-साथ उसके संचयी प्रभाव के संदर्भ में प्रवृत्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, किसी संविधि का निर्वचन उसके संदर्भ और उसके प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि एक सुसंगत अधिनियमन किया जा सके, अर्थात संपूर्ण समझ के आधार पर (एक्स विसेरिबस एक्टस)।

86. जो तर्क प्रस्तुत किये गए हैं, उसे संदर्भित निर्णय से भी समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स वाद [(1980) 4 एससीसी 136] में, न्यायालय ने स्वयं राज्य द्वारा पारित अधिनियम को केंद्रीय अधिनियम का उल्लंघन करने वाला या अधिकारातीत नहीं घोषित किया क्योंकि राज्य के पास उसे अधिनियमित करने की विधायी सक्षमता थी। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 और उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्रावधान बिना किसी विरोध के एक साथ प्रवृत्त रह सकते हैं। इसका कारण यह था कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम संसद द्वारा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में रखे गए एक घोषित उद्योग के संगठन और प्रबंधन से संबंधित था, जबकि संपत्ति का अर्जन पूर्णतः एक भिन्न संवैधानिक विषय था। वाद का एक अन्य पहलू यह है कि निर्णय के प्रस्तर 25 में की गई टिप्पणियां उस विषय पर विधि की विस्तृत विवेचना के उपरांत नहीं की गई थीं, अपितु वाद के विशिष्ट तथ्यों के संबंध में और पूर्वोक्त अभिलिखित कारणों से की गई थीं।"

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(65) ***ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स*** *(उपरोक्त)* के वाद में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 25 में, ***आर.सी. कूपर*** *(उपरोक्त)* के वाद के प्रस्तर 38 की टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था और उसी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* के वाद में विचार किया गया, व्याख्या की गई तथा स्पष्ट किया गया, जो निर्णय के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है।

(66) वस्तुतः, हमने ***आर.सी. कूपर*** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का भी परिशीलन किया है। उसके प्रस्तर 38 में की गई टिप्पणियां 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969' के संदर्भ में हैं। हमने इस संबंध में प्रस्तर 24क से 40 तक का परिशीलन किया है। वर्ष 1969 का अधिनियम संख्यांक 22 अनिवार्यतः और मुख्य रूप से बैंकिंग कंपनियों के अर्जन के लिए था, अतः समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित था, न कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 और 45 से, जैसा कि तर्क दिया गया था। प्रस्तर 38 की टिप्पणियों को तदनुसार उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे की गई हैं। कुछ शब्दों और वाक्यों को संदर्भ से पृथक करके विधि के एक सामान्य प्रतिपादन के रूप में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है।

(67) हम आगे आनुषंगिक व्यतिरेक तथा अतिव्यापन एवं मूल तत्व और सार के विषय पर ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि का उल्लेख कर सकते हैं। हम इस संबंध में ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** के निर्णय के प्रस्तर 88 को उद्धृत कर सकते हैं:

*"**88.** न्यायालय ने पूर्व निर्णयों का सन्दर्भ लिया, जिसमें प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड [एआईआर 1947 पीसी 60] में प्रिवी काउंसिल का निर्णय भी सम्मिलित है, और निम्नवत अभिनिर्धारित किया: (ए.एस. कृष्णा वाद [एआईआर 1957 एससी 297], पृष्ठ 302-03, प्रस्तर 10-11)*

"10. ... सुब्रह्मण्यन चेट्टियार बनाम मुत्तुस्वामी गौंडन [एआईआर 1941 एफसी 47 : 1940 एफसीआर 188] में मुख्य न्यायमूर्ति सर मॉरिस ग्वेयर की उपरोक्त टिप्पणियों को अनुमोदनपूर्वक

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उद्धृत करने के पश्चात, लॉर्ड पोर्टर ने टिप्पणी की: (प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वाद [एआईआर 1947 पीसी 60], एआईआर पृष्ठ 65, प्रस्तर 36-37)

'36. न्यायमूर्तिगण इस बात से सहमत हैं कि यह अंश उन आधारों का सही वर्णन करता है जिन पर यह नियम आधारित है, और यह कि यह भारतीय विधान के साथ-साथ डोमिनियन विधान पर भी प्रवृत्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व में आई कठिनाइयों के अनुभव ने भारतीय अधिनियम के प्रावधानों को कुछ बातों में अधिक सटीक बना दिया है और समवर्ती सूची के अस्तित्व ने उन विषयों के बीच भेद करना सुगम बना दिया है जो यह निर्धारित करने में अनिवार्य हैं कि कौन से विशिष्ट प्रावधान किस सूची में रखे जाने चाहिए और कौन से मात्र आनुषंगिक हैं। परंतु दो के स्थान पर तीन सूचियों को प्रतिस्थापित करने या क्षेत्राधिकारों का एक पदक्रम व्यवस्थित करने से भी विषय-वस्तु का अतिव्यापन समाप्त नहीं होता है।

37. विषय अभी भी अतिव्याप्त होंगे ही और जहां वे ऐसा करते हैं वहां यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि मूल तत्व और सार में उस अधिनियमन का क्या प्रभाव है जिसकी शिकायत की गई है और किस सूची में उसका वास्तविक प्रकृति और स्वरूप पाया जाता है। यदि ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो अनेक कल्याणकारी विधान अपने प्रारंभ में ही अवरुद्ध हो जाएंगे, और प्रांतीय विधान को सौंपे गए अनेक विषयों का कभी भी प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जा सकेगा।"

तत्पश्चात, प्रांतीय विधान द्वारा संघीय क्षेत्रों में व्यतिरेक कि सीमा के प्रश्न पर विचार करते हुए, लॉर्ड पोर्टर ने टिप्पणी की: (प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वाद [एआईआर 1947 पीसी 60], एआईआर पृष्ठ 65, प्रस्तर 38)

'38. ... ***निःसंदेह यह एक महत्वपूर्ण विषय है, न्यायमूर्तिगण के विचार में इसलिए नहीं कि किसी अधिनियम की विधिमान्यता हस्तक्षेप की मात्रा के बीच विभेद करके निर्धारित की जा सकती है, अपितु यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि आक्षेपित अधिनियम का मूल तत्व और सार क्या है।***

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके प्रावधान संघीय अधिकारिता में इतना व्यतिरेक कर सकते हैं जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि इसकी वास्तविक प्रकृति का प्रांतीय विषयों से सरोकार नहीं है, किंतु प्रश्न यह नहीं है कि इसने कम या अधिक अनधिकार प्रवेश किया है, बल्कि क्या अनधिकार प्रवेश, चाहे जो भी हो, ऐसा है जिससे यह दर्शित हो कि आक्षेपित अधिनियम का मूल तत्व और सार धन उधार देना नहीं अपितु वचन पत्र या बैंकिंग है? एक बार जब उस प्रश्न का निर्धारण हो जाता है तो अधिनियम सीमा के किसी एक तरफ़ आ जाता है और अपनी वास्तविक विषय-वस्तु के अनुसार विधिमान्य या अविधिमान्य के रूप में देखा जा सकता है।'"

(68) ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त*) में संवैधानिक पीठ ने असंगति के संदर्भ में, ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य; (2004) 10 एससीसी 201*** में पूर्ववर्ती संवैधानिक पीठ द्वारा इस विषय पर प्रतिपादित विधि पर विचार किया, और प्रस्तर 95 तथा 96 में निम्नवत टिपण्णी की:

"95. इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पश्चात कि न्यायालय विधान के वास्तविक स्वरूप का अभिनिश्चय करने के संदर्भ में मूल तत्व और सार के सिद्धांत को प्रवृत कर सकता है, केशोराम इंडस्ट्रीज वाद [(2004) 10 एससीसी 201] में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दो सूचियों (उस वाद में सूची I और II) की प्रविष्टियों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि विरोध से बचा जा सके। इन सूचियों की प्रविष्टियों के मध्य किसी अभिकथित विरोध का सामना करते समय, सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई विरोध है। यदि कोई विरोध नहीं है, तो गैर-अवरोधक खंड (नॉन-ऑब्सटैंटे क्लॉज) के अनुप्रयोग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। <u>प्रथम दृष्टया विरोध के मामले में, प्रश्न के प्रति सही दृष्टिकोण यह देखना है कि क्या दोनों प्रविष्टियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना संभव है जिससे ऐसे विरोध से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विरोध की स्थिति में, इसका निर्धारण मूल तत्व और सार के सिद्धांत को प्रवृत्त करके किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि दो भिन्न विधानमंडलों को सौंपी गई प्रविष्टियों के मध्य, विधान का विशिष्ट विषय एक अथवा दूसरे के परिधि में आता है। जहां संघ और प्रांतीय विधानमंडल के मध्य स्पष्ट और असमाधेय विरोध हो, वहां संघ</u>

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की विधि ही अभिभावी होगी। ***<u>उस स्थिति में न्यायालय यह परीक्षण कर सकता है कि क्या विधान के अन्य क्षेत्र पर आनुषंगिक व्यतिरेक की उपेक्षा की जा सकती है, इस संबंध में उस निर्णय के प्रस्तर 31, 75 और 129 का संदर्भ लिया जा सकता है।</u>***

96. *केशोराम इंडस्ट्रीज [(2004) 10 एससीसी 201] में दिए गए निर्णय का अनुसरण इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य [(2009) 4 एससीसी 94] में किया गया था, जहां प्रस्तर 32 में* ***<u>न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दोहराया कि अन्य विधानमंडल को निर्दिष्ट विषय पर आनुषंगिक व्यतिरेक की उपेक्षा की जानी चाहिए।”</u>***

(69) असंगति के संदर्भ में आनुषंगिक व्यतिरेक के विषय पर प्रस्तर 100 और 102 में संवैधानिक पीठ की टिप्पणियां पूर्णतः सुस्पष्ट हैं। वे निम्नवत हैं:

“100. *जो कोई किसी विधि की संवैधानिक विधिमान्यता पर उसके अधिकारातीत होने के आधार पर प्रश्न उठाता है, उसे न्यायालय के समक्ष इसे सिद्ध करना होगा।* *<u>मूल तत्व और सार, अतिव्यापन तथा आनुषंगिक व्यतिरेक के सिद्धांत, वास्तव में, एक ही विधि की शाखाएं हैं। व्यतिरेक के असंगति अथवा अन्यथा की परीक्षा करने के लिए इन सिद्धांतों को एक साथ प्रवृत्त करना सर्वथा संभव है।</u>* ***<u>अतिव्यापन के मामले में, न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें समरसतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए ऐसे व्यतिरेक की उपेक्षा करना उचित है जो केवल आनुषंगिक हो।</u>*** *यदि अंततः, दोनों अधिनियमों के प्रावधान बिना किसी विरोध के एक साथ प्रवृत्त रह सकते हैं, तो न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे संबंधित विधि को अमान्य ठहराएं।*

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version, Not For Legal Use

102. *असंगति उन वादों में उत्पन्न होगी जहां दोनों विधान एक ही प्रकरण से संबंधित हों, न कि वहां जहां वे पृथक और विशिष्ट विषयों से संबंधित हों, यद्यपि वे सजातीय और सहवर्ती स्वरूप के हों। जहां राज्य विधान-मंडल ने किसी विशिष्ट प्रविष्टि के संदर्भ में विधि बनाई है जिसके संबंध में संसद ने भी विधि बनाई है और इस प्रकार बनाई गई दोनों विधियों के मध्य असमाधेय विरोध है, वहां राज्य विधि निष्प्रभावी होगी और उसे केंद्रीय विधि के पक्ष में होना होगा।* ***आच्छादित/अतिव्याप्त विषय के सिद्धांत के लिए, जिसके परिणामस्वरूप असंगति उत्पन्न होती है, आनुषंगिक व्यतिरेक का सिद्धांत एक अपवाद होगा।"***

(70) ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) के प्रस्तर 120 में संवैधानिक पीठ ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया:

"120. आक्षेपित विधान के मूल तत्व और सार का परीक्षण करने के उपरांत तथा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित है, असंगति का प्रश्न शायद ही उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित अधिनियम की संवैधानिकता अन्य विधान-मंडल को निर्दिष्ट विषय में व्यतिरेक की मात्रा से निर्धारित नहीं होती है अपितु इसके मूल तत्व और सार से निर्धारित होती है। विधान की वास्तविक प्रकृति और स्वरूप का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया जाना है कि क्या प्रकरण अधिनियमित करने वाले विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है। ***किसी वर्जित विषय पर प्रासंगिक या आनुषंगिक व्यतिरेक आक्षेपित विधि बनाने की विधान-मंडल की सक्षमता को प्रभावित नहीं करता है।"***

(71) विधि के विवेचन के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में यह मत व्यक्त किया कि बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम ऐसी विधि नहीं है जो अनन्य रूप से सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित हो और न ही यह राज्य विधान-मंडल की विधायी सक्षमता से बाहर है, जिसका अर्थ यह है कि मूल तत्व और सार में, न्यायालय ने निर्णीत किया कि यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित विधि थी, और केवल आनुषंगिक रूप से सूची तीन की प्रविष्टि 42 पर व्यतिरेक कर रही थी।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(72) यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि बीडीए अधिनियम, 1976 के प्रावधान और संरचना, जिस पर ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में विचार किया गया था, अधिनियम, 1965 के समरूप है।

(73) ***आर.सी. कूपर*** **(**उपरोक्त**)** के निर्णय के प्रस्तर 38 के उद्धरण, जिसका सन्दर्भ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित द्वारा दिया गया है, पर ***ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में संवैधानिक पीठ के निर्णय के प्रस्तर 25 में विशेष रूप से विचार किया गया था, और ये वही पंक्तियां हैं जिन पर ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में पश्चात्वर्ती संवैधानिक पीठ द्वारा विचार किया गया है, जिन्हें स्पष्ट किया गया है, और जैसा कि पहले उद्धृत किया जा चुका है, उन प्रस्तरों में इस विषय पर विधि को स्पष्ट किया गया है, अतः हम पश्चात्वर्ती संवैधानिक पीठ के निर्णय से आबद्ध हैं जिसमें पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार किया गया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उक्त वाद में अंतर्वलित तथ्य और विवाद्यक तथा प्रश्नागत संविधि विचाराधीन वाद और अधिनियम, 1965 के समरूप थे। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अन्य विधान-मंडल को निर्दिष्ट विषय पर आनुषंगिक व्यतिरेक की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(74) हम इस संबंध में ***के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* के वाद में निर्णय के प्रस्तर 109 से 112 का भी संदर्भ ले सकते हैं जो निम्नवत हैं:

"109. ***जब केंद्रीय और राज्य विधानों के मध्य विरोध का अभिवाक किया जाता है, तो हमें पहले यह परीक्षण करना होता है कि क्या दोनों विधान एक ही विषय-वस्तु को आच्छादित करते हैं या उससे संबंधित हैं। इसे निर्धारित करने की कसौटी दोनों विधानों के प्रमुख आशय को जानना है और यदि दोनों विधानों का प्रमुख आशय भिन्न है और वे भिन्न विषय-वस्तु को आच्छादित करते हैं, तो केवल इसलिए कि दोनों विधान कुछ सहवर्ती या सजातीय विषयों का संदर्भ देते हैं, वे एक ही विषय को आच्छादित नहीं करते हैं।***

110. ***किसी एक विधान का प्रावधान अपने प्रमुख उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आनुषंगिक रूप से उसी विषय पर हो सकता है जो दूसरे विधान के प्रावधान द्वारा आच्छादित है, परंतु भिन्न संदर्भ में और भिन्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उसी विषय का ऐसा आंशिक आच्छादन उस विरोध को उत्पन्न नहीं करता है जिसे अनुच्छेद 254(2) द्वारा आच्छादित करने का आशय है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 254 को आकृष्ट करने के लिए दोनों विधानों को सारभूत रूप से एक ही विषय पर होना***

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

***चाहिए।** इस संबंध में, इस न्यायालय के नगर पालिका परिषद, पलाई बनाम टी.जे. जोसेफ [एआईआर 1963 एससी 1561 : (1964) 2 एससीआर 87], टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1956 एससी 676 : 1956 एससीआर 393], कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी [(1977) 4 एससीसी 471], एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ [(1979) 3 एससीसी 431 : 1979 एससीसी (क्रिमिनल) 691] और विजय कुमार शर्मा बनाम कर्नाटक राज्य [(1990) 2 एससीसी 562] के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।*

111. हमारा यह सुविचारित मत है कि इस वाद में अर्जन अधिनियम, जैसा कि राज्य द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, मुख्य रूप से सूची दो की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिनालो की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में छूट वापस लेने पर, विधान-मंडल का प्रमुख आशय भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आच्छादित रोरिक संपदा का संरक्षण और परिरक्षण करना था। अर्जन अधिनियम, यद्यपि मुख्य रूप से सूची दो की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आता है, आनुषंगिक रूप से रोरिक के चित्रों, कलाकृतियों और अन्य मूल्यवान सामानों के अर्जन से भी संबंधित है और इसलिए, यह अधिनियम आंशिक रूप से सूची तीन की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत भी आता है। चूंकि अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कृषि सुधारों के भाग के रूप में रोरिक संपदा का संरक्षण और परिरक्षण करना था, इसलिए आनुषंगिक उपायों का समावेशन विधि को अनुच्छेद 31-क(1)(क) के संरक्षण से बाहर नहीं करेगा।

112. दूसरी ओर, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 एक ऐसा अधिनियम है जो अनन्य रूप से सूची तीन की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत आता था और कंपनियों के लिए सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अपेक्षित भूमि के अर्जन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे अर्जन के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो आक्षेपित अधिनियम से सारभूत रूप से एवं तात्विक रूप से भिन्न है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 31-क(2)(क)(iii) के साथ पठित अनुच्छेद 31-क(1)(क) द्वारा शासित "संपदा" का संरक्षण और परिरक्षण करना है।"

(75) इस प्रकार, निरंतर यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रासंगिक व्यतिरेक या अतिव्यापन, चाहे वह उस प्रविष्टि या सूची को निर्धारित करने के लिए मूल तत्व और सार के सिद्धांत को प्रवृत्त करने के संदर्भ में हो जिससे अधिनियमन संबंधित हो सकते हैं, अथवा उसके पश्चात असंगति के संदर्भ में हो, तात्विक नहीं है और उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। यह अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, तथा

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसका अनिवार्य और सारभूत स्वरूप है, न कि वह जिसे यह प्रासंगिक रूप से स्पर्श करता है, जो उस सूची या प्रविष्टि को निर्धारित करने के लिए सुसंगत है जिससे यह संबंधित है। यह मत ***आर.सी. कूपर*** (उपरोक्त) और ***ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* तथा अन्य संवैधानिक पीठ के निर्णयों पर विचार करने के उपरांत ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) में व्यक्त किया गया है। अतः, हम बाद के इन पश्चात्वर्ती उक्तियों से आबद्ध हैं।

(76) आगे बढ़ने से पूर्व, हम यह इंगित कर सकते हैं कि श्री संदीप दीक्षित ने माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय ***इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक एवं अन्य; (2018) 1 एससीसी 407***, विशेष रूप से प्रस्तर 51 और उसके प्रावधानों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि उस सूची और प्रविष्टि को तय करने के लिए जिससे वे संबंधित थे और असंगति का निर्धारण करने में, अधिनियमन के कुछ प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है, न कि आवश्यक रूप से संपूर्ण अधिनियमन पर। तथापि, उक्त निर्णय का परिशीलन करने के उपरांत, हमें उसमें ऐसी कोई विधिक प्रस्थापना प्रतिपादित नहीं मिलती है। वस्तुतः, प्रस्तर 51.2 बहुत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है - ***"यह पता लगाने के लिए कि मूल तत्व और सार में प्रतिस्पर्धी संविधियां समग्र रूप से कहां आती हैं, मूल तत्व और सार के सिद्धांत को प्रवृत्त किया जाना चाहिए। केवल यदि दोनों, समग्र रूप से, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, तभी यह निर्धारित करने के लिए असंगति को प्रवृत्त किया जा सकता है कि क्या किसी विशिष्ट अधिनियम या उसका अंश दूसरे के समक्ष प्रभावी नहीं रहेगा।"*** निःसंदेह, असंगति के संदर्भ में, अनुच्छेद 254 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसा है, तो संपूर्ण अधिनियमन या उसके किसी प्रावधान को असंगत घोषित करना अनुमेय है। यह स्वयं अनुच्छेद 254 में प्रयुक्त भाषा से सुस्पष्ट है, और श्री संदीप दीक्षित द्वारा जिस निर्णय का सन्दर्भ दिया गया है, अर्थात ***इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** (उपरोक्त), उसमें भी स्पष्ट रूप से यही अभिनिर्धारित किया गया है। हम अपने तर्क के समर्थन में उक्त निर्णय के प्रस्तर 51.3 का सन्दर्भ लेते हैं। परंतु यह निर्धारित करने के लिए कि अधिनियमन किस सूची के अंतर्गत आता है, इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि आंशिक रूप से।

(77) यह प्रश्न कि क्या किसी अधिनियमन की विधायी सक्षमता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए उसे विभिन्न प्रावधानों में विघटित किया जा सकता है, ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड***

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(उपरोक्त) में संवैधानिक पीठ द्वारा प्रस्तर 105 और 106 में भी विचार किया गया था, और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधि पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए, न कि खण्डों में।

(78) इस प्रकार, मूल तत्व और सार के सिद्धांत को प्रवृत्त करते समय, संपूर्ण संविधि के प्रावधानों को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए। हम कुछ प्रावधानों को पृथक नहीं कर सकते और केवल उनके संबंध में ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते, अर्थात खंडशः रूप में।

(79) संक्षेप में कहें तो, किसी अधिनियमन से संबंधित प्रविष्टि या सूची को निर्धारित करने के लिए मूल तत्व और सार के सिद्धांतों को प्रवृत्त करते समय, इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि खंडित या आंशिक रूप में। किसी अन्य विधान-मंडल को निर्दिष्ट विषय पर आनुषंगिक अधिनियमन या अतिव्यापन की उपेक्षा की जानी चाहिए। संविधि के समग्र अध्ययन से यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह अनिवार्यतः, मुख्य रूप से, सारभूत रूप से, प्रधानतः एक सूची या प्रविष्टि से संबंधित है अथवा दूसरी से, और तत्पश्चात असंगति के द्वितीय प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

(80) अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या, मूल तत्व और सार में, अधिनियम, 1965 राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित है अथवा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से पूर्वोक्त पर हमारे उत्तर के आधार पर, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के संबंध में उक्त अधिनियमन या उसके किसी भाग के असंगति के दावे के संबंध में निर्णय होंगे ।

(81) अधिनियम, 1965 जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित है, राज्य विधान मंडल द्वारा 1965 में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में लोगों के प्रवास, विस्थापित व्यक्तियों के आगमन, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उत्पन्न विकास गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव और कई अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के नगरों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिसने नए मकानों के निर्माण और नगरों के नियोजित विकास को अनिवार्य बना दिया, क्योंकि वह नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ गति नहीं बनाए रख सका था।

(82) राज्य सरकार, नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, सुधार न्यासों, विकास बोर्ड और अन्य छोटे स्थानीय निकायों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास, प्रभावी समन्वय और नियंत्रण के अभाव

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में, अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। और, क्यूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में विकास की अपार संभावनाओं वाले ऐसे क्षेत्र थे जो दशकों पूर्व जैसे ही बने रहे थे , इसलिए सभी तेजी से बढ़ते नगरीय क्षेत्रों और विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की आवास और विकास समस्याओं के समाधान के लिए यह अत्यंत आवश्यक समझा गया कि पूरे राज्य के लिए आवास एवं विकास बोर्ड के नाम से जाना जाने वाला एक स्वायत्तशासी केंद्रीय निकाय सृजित किया जाए। तदनुसार, पूर्वोक्त अधिनियम, 1965 राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किया गया था।

(83) अधिनियम, 1965 के विस्तृत शीर्षक के अनुसार, यह उत्तर प्रदेश में एक आवास एवं विकास बोर्ड की स्थापना, निगमन और कार्यप्रणाली का उपबंध करने वाला अधिनियम है। धारा 3 के अधीन इस प्रकार गठित बोर्ड के कार्यों का उल्लेख धारा 15 में किया गया है।

(84) धारा 15 के अध्ययन से, यह सुस्पष्ट है कि बोर्ड के कार्य प्राथमिक रूप से यह हैं: (क) आवास एवं सुधार योजनाओं को तैयार करना, निष्पादित करना और कार्यान्वित करना; (ख) राज्य में विभिन्न आवास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाना और समन्वय करना तथा राज्य में आवास एवं सुधार योजनाओं का त्वरित और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; (ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित या सहायतित आवास एवं सुधार योजनाओं के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करना और उनकी संवीक्षा करना; (घ) राज्य सरकार की ऐसी स्थावर संपत्तियों का प्रबंधन करना जो इस प्रयोजन के लिए उसे अंतरित या निर्दिष्ट की जाएं; (ङ) बोर्ड के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखी गई बोर्ड की या राज्य सरकार की भूखंडों, भवनों और अन्य संपत्तियों का अनुरक्षण करना, उपयोग करना, आवंटन करना, पट्टे पर देना, या अन्यथा अंतरित करना; (च) भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण और भंडारण के लिए कर्मशालाओं और भंडारों का आयोजन और संचालन करना; (छ) ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो सहमत हों, किसी योजना के निष्पादन में इसके द्वारा निर्मित मकानों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास अधिनियम, 1955 के अध्यधीन मकान बनाना; (ज) भवन निर्माण संक्रियाओं को विनियमित करना; (झ) झुग्गी-झोपड़ी(स्लम्स) में सुधार करना और उन्हें हटाना; (ञ) इसके द्वारा विकसित क्षेत्रों में सड़कों, विद्युत, स्वच्छता, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं तथा आवश्यक सेवाओं का उपबंध करना; (ट) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए जंगम और स्थावर संपत्तियों का अर्जन करना; (ठ) बाजार से ऋण प्राप्त करना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य लोक निगमों से

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुदान और ऋण प्राप्त करना, तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, अन्य लोक निगमों, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को अनुदान और ऋण देना; (ड) किसी संपत्ति का अन्वेषण, परीक्षण या सर्वेक्षण करना अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐसे किसी विवेचना, परीक्षण या सर्वेक्षण के व्यय में अंशदान करना; (ढ) सुधार शुल्क उद्गृहीत करना; (ण) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करना; और (त) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो पूर्वोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों, हैं।

(85) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन, बोर्ड, जहां वह आवश्यक समझे, (क) भवनों के निर्माण में तेजी लाने और उनकी लागत कम करने के प्रयोजनार्थ अनुसंधान को बढ़ावा देने; (ख) सार्वजानिक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य लोक निगमों, तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में संकर्मों का निष्पादन करने; (ग) भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति और विक्रय करने; (घ) भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन में समन्वय करने, उसे सरल बनाने और मानकीकृत करने तथा संरचनात्मक घटकों के पूर्व-निर्माण और बड़े स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित और आयोजित करने; (ङ) किसी नगर, नगरपालिका, नगर क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में और उसके आसपास जनसंख्या के आवागमन को सुगम बनाने की दृष्टि से, किसी परिवहन सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन करने, सड़कों और पुलों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण या अन्यथा सुधार करने और ऐसे प्रयोजनों के लिए दूसरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने; और (च) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करने का कार्य हाथ में ले सकती है जो पूर्वोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(86) धाराएं 16 से 49 उन योजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा विरचित और निष्पादित किया जाना है।

(87) धारा 17 आवास या सुधार योजनाओं में उपबंधित किए जाने वाले प्रकरणों से संबंधित है और इस संदर्भ में यह उपबंध करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और इस अध्याय के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई आवास या सुधार योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक या उससे प्रभावित किसी भी संपत्ति के क्रय, विनिमय या अन्यथा अर्जन का उपबंध कर सकती है। अनिवार्य अर्जन ऐसे अर्जन

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के तीन तरीकों में से एक है, और यह आवास या सुधार योजनाओं को तैयार करने और निष्पादित करने के लिए आनुषंगिक है, जो बोर्ड का प्राथमिक कार्य है। अधिनियम, 1965 का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य विकास है, न कि भूमि अर्जन और न ही भूमि का अनिवार्य अर्जन। अर्जन केवल विकासीय योजनाओं को सुगम बनाने के लिए है। मुख्य उद्देश्य को सुगम बनाने के लिए ही केवल इस संदर्भ में अनुसूची के साथ पठित धारा 55 को अधिनियम, 1965 में अंतःस्थापित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि मूल तत्व और सार में, जब अधिनियम, 1965 को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तब जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित अधिनियमन नहीं है; अपितु, यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित अधिनियमन है।

(88) हम पहले ही ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) में संवैधानिक पीठ के निर्णय का उल्लेख कर चुके हैं, जिसमें भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के आमने-सामने बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के असंगति का ऐसा ही प्रकरण विचारार्थ आया था और इस विषय पर विधि तथा बीडीए अधिनियम एवं अधिनियम, 1894 की योजना पर विचार करने के उपरांत, संवैधानिक पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि बीडीए अधिनियम मूल तत्व और सार में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित नहीं है; अपितु, यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और प्रविष्टि 18 से संबंधित है। इस संदर्भ में, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अन्य विधान-मंडल के विषय पर आनुषंगिक व्यतिरेक या अतिव्यापन की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(89) हमने अधिनियम, 1965 के प्रावधानों की तुलना बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 (इसके पश्चात 'बीडीए अधिनियम, 1976' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों से की है और प्रावधानों को अत्यंत समरूप पाया है। अधिनियम की संपूर्ण योजना अत्यंत समरूप है। पूर्वोक्त दृष्टिकोण अपनाने में, हमें ***ऑफशोर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*** (उपरोक्त) में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सन्दर्भ प्राप्त होता है।

(90) ऐसे अन्य निर्णय भी हैं जहां बीडीए अधिनियम, 1976 और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के साथ उसके असंगति तथा उस सूची से संबंधित ऐसा ही विवाद्यक विचारार्थ आया जिससे वे संबंधित थे, जैसे कि ***बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (2022) 14 एससीसी 173; मुनिथिमैया बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (2002) 4 एससीसी 326*** का निर्णय। ये निर्णय भी ऊपर व्यक्त हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उक्त निर्णय केवल

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

असंगति के प्रश्न पर और इस निष्कर्ष के संबंध में सुसंगत हैं कि बीडीए अधिनियम, 1976 राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और प्रविष्टि 18 से संबंधित था, न कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से। उस सीमा तक, हम उक्त निर्णयों का सन्दर्भ लेते हैं, परंतु उससे अधिक नहीं, क्योंकि अन्य विवाद्यक जिनसे हमारा सरोकार है, उनमें विचारार्थ नहीं हैं ।

(91) अधिनियम, 1965 की संरचना को समग्र रूप से देखते हुए, हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम राज्य विधान-मंडल द्वारा प्राथमिक और अनिवार्य रूप से अर्थात मूल तत्व और सार में, उत्तर प्रदेश में एक आवास एवं विकास परिषद के गठन तथा विकास के प्रयोजनों के लिए प्रख्यापित किया गया था, न कि भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए, जो उक्त अधिनियम, 1965 के अधीन परिकल्पित विभिन्न योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और निष्पादित करने को सुगम बनाने के लिए मात्र प्रासंगिक है, अतः, यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 18 से संबंधित है, न कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से। इस संबंध में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 की विषय-वस्तु पर व्यतिरेक मात्र आनुषंगिक है और अधिनियमन की प्रकृति का निर्णायक नहीं है।

(92) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, विचाराधीन वाद में, पहली शर्त, अर्थात अधिनियम, 1965 और अधिनियम, 2013, दोनों को मूल तत्व और सार में, समवर्ती सूची की किसी प्रविष्टि से संबंधित होना चाहिए, स्वयं पूरी नहीं होती है और चूंकि वे पृथक सूचियों की प्रविष्टियों से संबंधित हैं, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में उल्लिखित असंगति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पूर्वगामी कारणों से, जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संदीप दीक्षित द्वारा ***फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2021) 8 एससीसी 599*** के निर्णय का सन्दर्भ भी सहायता प्रदान नहीं करता है।

(93) इस संदर्भ में, हम अधिनियम, 2013 की धारा 103 का भी संदर्भ ले सकते हैं, जो निम्नवत पढ़ी जाती है:

"103. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।"

(94) धारा 103 में प्रयुक्त भाषा और उसमें प्रकट आशय संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन अधिनियम, 2013 के आमने-सामने किसी भी संविधि के विरोध को खारिज करता है, क्योंकि उसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द, "के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में" को निर्णयों की एक श्रृंखला

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अर्थात ***केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड एवं अन्य; (2015) 1 एससीसी 166*** और ***मैसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह; (2019) 12 एससीसी 751*** द्वारा यह व्याख्यायित किया गया है कि इसका अर्थ है कि विधि 'किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है और उससे विरोध में नहीं है' और संबंधित दोनों अधिनियमन साथ में प्रवृत्त रह सकती हैं, जिसका तात्पर्य है कि संबंधित अधिनियमन अन्य अधिनियमन का पूरक है और इसका आशय अन्य अधिनियमन को अतिष्ठित या प्रतिस्थापित करना नहीं था, अतः स्वतः धारा 103 के कारण दोनों अधिनियमन के मध्य असंगति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अधिनियम, 2013 को अधिनियम, 1965 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियों पर किस हद तक प्रवृत्त किया जा सकता है, यह एक भिन्न विवाद्यक है।

(95) जहां तक याचिकाकर्ता(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीक्षित, शरद पाठक और नीतीश कुमार के इस तर्क का संबंध है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा धारा 105 के प्रावधानों को संशोधित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग न किए जाने के कारण, जैसा कि तमिलनाडु राज्य और कुछ अन्य राज्यों द्वारा किया गया है, अतः अधिनियम, 1965 को चौथी अनुसूची में सम्मिलित न किए जाने से, यह न केवल अधिनियम, 2013 के असंगत है, अपितु इसके द्वारा अभिभावी हो जाता है, यह एक अनुचित तर्क है, क्योंकि अधिनियम, 2013 की धारा 103 से 105, 107, 108 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के संदर्भ में और उसे ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम, 2013 उक्त प्रविष्टि से संबंधित है, और ये प्रावधान सूची तीन की प्रविष्टि 42 से संबंधित राज्य अधिनियमन के संबंध में प्रवृत्त होंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, अधिनियम, 2013 की धारा 103 से 108, वास्तव में, तब प्रवृत्त होगी जब संबंधित दोनों अधिनियमन, मूल तत्व और सार में, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से संबंधित हों, अन्यथा नहीं। अतः, यह तर्क मान्य नहीं होता है।

(96) प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तदनुसार, नकारात्मक रूप में दिया जाता है।

<u>प्रश्न संख्या 3:</u>

(97) अधिनियम, 2013 की धारा 114 द्वारा अधिनियम, 1894 के निरसन और अधिनियम, 1965 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियों पर इसके प्रभाव के संबंध में, अधिनियम की धारा 55 और उसमें संदर्भित अनुसूची सुसंगत हैं। इस प्रावधान पर भारत के उच्चतम न्यायालय की तीन

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा ***यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम एवं अन्य; (1998) 2 एससीसी 467*** के वाद में, अधिनियम, 1965 के अधीन अनिवार्य अर्जन कार्यवाहियों पर 1984 में यथा संशोधित अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को प्रवृत्त करने के संदर्भ में विचार किया गया था। इसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या अधिनियम, 1965 की अनुसूची के साथ पठित उसकी धारा 55 द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को विधान द्वारा समाविष्ट किया गया था अथवा यह विधान द्वारा संदर्भ का प्रकरण था, यदि ऐसा था, तो इसका प्रभाव क्या था।

(98) इस संदर्भ में, न्यायालय ने संदर्भ द्वारा विधान तथा समावेशन द्वारा विधान की अवधारणाओं और ऐसे विधान पर निरसन या संशोधन के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट के प्रस्तर 17 में निम्नानुसार विचार किया:

17. कोई पश्चातवर्ती विधान प्रायः किसी पूर्ववर्ती विधान का संदर्भ इस प्रकार देता है कि पूर्ववर्ती विधान के उपबंध पश्चातवर्ती विधान द्वारा आच्छादित विषयों पर लागू हो जाएँ। ऐसा विधान या तो (i) एक संदर्भात्मक विधान हो सकता है, जिसमें केवल पूर्ववर्ती विधान के उपबंधों का संदर्भ या उद्धरण अंतर्विष्ट होता है; या (ii) समावेशन द्वारा विधान हो सकता है, जिसमें संदर्भित पूर्ववर्ती विधान के उपबंध संदर्भ द्वारा पश्चातवर्ती विधान में समाविष्ट कर दिए जाते हैं। यदि यह एक संदर्भात्मक विधान है, तो पश्चातवर्ती विधान में जिन पूर्ववर्ती विधान के उपबंधों का संदर्भ दिया गया है, वे ऐसे पूर्ववर्ती विधान के लागू होने की तारीख को जिस रूप में विद्यमान हैं, उसी रूप में पश्चातवर्ती विधान में निर्दिष्ट विषयों पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, पश्चातवर्ती विधान के अधिनियमन की तारीख के पश्चात पूर्ववर्ती विधान में किया गया कोई भी संशोधन भी लागू होगा। लेकिन यदि यह समावेशन द्वारा विधान है, तो निर्वचन का नियम यह है कि समाविष्ट किए गए पूर्ववर्ती विधान का निरसन उस पश्चातवर्ती विधान के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करता, जिसमें उसे समाविष्ट किया गया है। इसी प्रकार, इस प्रकार समाविष्ट किए गए विधान में ऐसे विधान के समावेशन की तारीख के पश्चात किया गया कोई भी संशोधन उस पश्चातवर्ती विधान को प्रभावित नहीं करता, जिसमें उसे समाविष्ट किया गया है और समाविष्ट किए गए विधान के उपबंध उसी प्रकार बने रहेंगे, जैसे वे समावेशन के समय थे तथा पश्चातवर्ती संशोधनों को पश्चातवर्ती विधान में नहीं पढ़ा जाना है। 'लॉर्ड एशर, एम.आर. के शब्दों में, संदर्भ द्वारा ऐसे समावेशन का विधिक प्रभाव

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"उन धाराओं को नए अधिनियम में ठीक उसी प्रकार लिख देना है, मानो वे वास्तव में कलम से उसमें लिखी गई हों या उसमें मुद्रित की गई हों और, जैसे ही आपके पास पश्चातवर्ती अधिनियम में वे खंड आ जाते हैं, आपको पूर्ववर्ती अधिनियम का बिल्कुल भी संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं रहती।" [देखें: वुड्स एस्टेट, री, 1886) 31 च डी 607। इस संबंध में कि कोई विशेष विधान संदर्भात्मक विधान या समावेशन द्वारा विधान की श्रेणी में आता है, यह उस विधान की भाषा पर निर्भर करता है, जिसमें पूर्ववर्ती विधान तथा अन्य सुसंगत परिस्थितियों का संदर्भ दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम.वी. नरसिम्हन, एमएएनयू/एस.सी./0226/1975 : 1975 आपराधिक एल.जे. 1639 में विधिक स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:-

"जहाँ कोई पश्चातवर्ती अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबंधों को समाविष्ट करता है, वहाँ उधार लिए गए उपबंध पश्चातवर्ती अधिनियम का एक अभिन्न और स्वतंत्र भाग बन जाते हैं तथा पूर्ववर्ती अधिनियम के किसी निरसन या संशोधन से पूर्णतः अप्रभावित रहते हैं। तथापि, यह सिद्धांत निम्नलिखित प्रकरणों में लागू नहीं होगा:

(ए) जहाँ पश्चातवर्ती अधिनियम और पूर्ववर्ती अधिनियम एक-दूसरे के पूरक हैं;

(बी) जहाँ दोनों अधिनियम एक ही विषय-वस्तु से संबंधित हैं;

(सी) जहाँ पूर्ववर्ती** अधिनियम **में किया गया संशोधन, यदि पश्चातवर्ती अधिनियम में भी समाविष्ट न किया जाए, तो पश्चातवर्ती अधिनियम को पूर्णतः कार्यहीन और प्रभावहीन बना देगा; और

(डी) जहाँ पूर्ववर्ती अधिनियम का संशोधन, या तो अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक आशय द्वारा, उक्त उपबंधों को पश्चातवर्ती अधिनियम पर लागू करता है।"

(99) इसने भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम.वी. नरसिम्हन, (1975) 2 एससीसी 377*** के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विचार किया, जिसमें, जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, समावेशन द्वारा विधान की अवधारणा और उक्त सिद्धांत के लागू होने के अपवादों से संबंधित विषय का विवेचन किया गया था, और कलकत्ता सुधार अधिनियम 1911 में अधिनियम 1965 की धारा 55 के समान उपबंधों पर भी ध्यान दिया, जो प्रिवी काउंसिल के समक्ष **सचिव, भारत राज्य, इन काउंसिल बनाम हिन्दुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड,**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एआईआर 1931 पीसी 149 के प्रकरण में विचारार्थ आया था; और प्रस्तर 21 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया:

21. अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 55 के उपबंध कलकत्ता सुधार अधिनियम, 1911 में अंतर्विष्ट उपबंधों के समान ही हैं और सचिव, भारत राज्य बनाम हिन्दुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, (उपर्युक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में भी समान रूप से लागू होते हैं। ***1984 के अधिनियम द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए संशोधन, अधिनियम के पारित किए जाने के समय उत्तर प्रदेश राज्य में लागू भूमि-अर्जन अधिनियम का भाग नहीं थे। अतः, उत्तर प्रदेश में इसके अनुप्रयोग के लिए यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों को, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के साथ, अधिनियम में संदर्भ द्वारा समाविष्ट किया गया माना जाना है और वे अधिनियम का एक अभिन्न भाग बन गए तथा उक्त उपबंध भूमि-अर्जन अधिनियम के किसी पश्चातवर्ती निरसन या संशोधन से अप्रभावित रहेंगे, जब तक कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम.वी. नरसिम्हन (उपर्युक्त) में इंगित असाधारण परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति आकर्षित न हो।***

(100) इसके बाद न्यायालय ***एम.वी. नरसिम्हन*** *(उपर्युक्त)* के प्रकरण में संदर्भित समावेशन द्वारा विधान के सिद्धांत के लागू होने के चार अपवादों पर विचार किया, जिन्हें पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

(101) उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त चार अपवादों के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम और अधिनियम, 1894 को एक-दूसरे का पूरक नहीं माना जा सकता। अधिनियम में भूमि के अर्जन के संबंध में ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हैं, जो पूर्ण और स्व-निहित हैं। न ही अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों को भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 के साथ एक ही विषय-वस्तु से संबंधित कहा जा सकता है, क्योंकि अधिनियम 1965 ऐसे विषयों से भी संबंधित है, जो भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायालय आगे यह मत व्यक्त किया कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि 1984 का अधिनियम, जिसके द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 में संशोधन किया गया था, अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक आशय द्वारा अधिनियम 1965 में किए गए संशोधनों पर लागू होता था, अर्थात् अनुसूची में अधिनियम 1894 की धारा 23ए के अनुप्रयोग के संबंध में किए गए संशोधन, जैसा कि

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version Not For Legal Use.

1984 में संशोधित किया गया था। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने **जैनुल इस्लाम (उपर्युक्त)** में यह मत व्यक्त किया कि चार अपवादों में से तीन [खंड (ए), (बी) और (सी)] लागू नहीं होते थे।

(102) इसके बाद न्यायलय ने चौथे अपवाद, अर्थात् पूर्व में उद्धृत खंड (सी), पर विचार किया कि क्या यह कहा जा सकता है कि यदि 1984 के अधिनियम द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 में किए गए संशोधनों को अधिनियम में समाविष्ट नहीं किया जाता है, तो वह कार्यहीन हो जाएगा? इस संदर्भ में न्यायालय ***गौरी शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (1994) 1 एससीसी 92*** के प्रकरण में न्यायमूर्ति सहाय की राय पर ध्यान दिया, जिससे इसके समक्ष कार्यवाही उत्पन्न हुई थी, क्योंकि पीठ के दो माननीय न्यायाधीशों के बीच मतभेद था। न्यायमूर्ति सहाय के अनुसार, ***एम.वी. नरसिम्हन*** (उपर्युक्त) में संदर्भित असाधारण परिस्थितियों का हमारे संवैधानिक ढाँचे में और विस्तार किया जा सकता है और न्यायालय को ऐसे निर्वचन के प्रति झुकना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव हो सकता है।

(103) भारत के उच्चतम न्यायालय ने ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) में इस संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के मुद्दे पर भी विचार किया कि यदि विभिन्न अधिनियमों के अधीन भूमिधारकों के साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है और इस संबंध में अधिनियम, 1965 के संबंधित उपबंध की संवैधानिकता के प्रश्न पर विचार किया तथा टिप्पणी किया:

"25. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि-अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन किए गए निर्देश से उत्पन्न अपील में दावेदारों के लिए उस विधि के उपबंधों की वैधता को चुनौती देना खुला नहीं है, जिसके अधीन निर्देश किया गया है। लेकिन, साथ ही, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन का उपबंध करने वाले अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन करते समय, हम विधियों के निर्वचन के उस सुस्थापित सिद्धांत की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते कि "यदि विधि के कुछ उपबंधों का एक प्रकार से निर्वचन करने पर वे संविधान के अनुरूप हो जाएंगे और दूसरे निर्वचन से वे असंवैधानिक हो जाएंगे, तो न्यायालय पूर्ववर्ती निर्वचन के पक्ष में झुकेगा।" देखें: केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1962 एससी 955। अतः, हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या अधिनियम के उपबंधों का इस प्रकार निर्वचन किया जाए कि अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को यथा विद्यमान भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंध, भूमि-अर्जन अधिनियम में 1984 के अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों के बिना, जो प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित हैं, समाविष्ट हो जाएं,

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

<u>तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का उल्लंघन होगा।</u> इस संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि यदि उपबंधों का ऊपर बताए गए अनुसार निर्वचन किया जाता है, तो ऐसा स्वामी, जिसकी भूमि अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाती है, भूमि-अर्जन अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन 15% की दर से प्रतिकर के भुगतान तथा भूमि-अर्जन अधिनियम की धारा 28 के अधीन 6% की दर से ब्याज के भुगतान का अधिकारी होगा, लेकिन ऐसा स्वामी, जिसकी भूमि 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित की जाती है, 30% की दर से प्रतिकर तथा 9% और 15% की दर से ब्याज के भुगतान का अधिकारी होगा और यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम की धारा 23(1-क) के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी अधिकारी होगा। <u>दूसरे शब्दों में, ऐसे स्वामी को देय प्रतिकर, जिसकी भूमि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाती है, उस स्वामी को देय प्रतिकर से कम होगा, जिसकी भूमि 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित की जाती है। क्या उनकी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर के भुगतान के मामले में दोनों भूमिस्वामियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने का कोई तर्कसंगत आधार है?"</u>

(104). उपर्युक्त रूप से प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***नागपुर सुधार न्यास एवं अन्य बनाम विठ्ठल राव एवं अन्य; 1973 1 एससीसी 500*** के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विचार किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिकर निर्धारित करते समय किसी सुधार योजना के लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए भूमिस्वामियों को दो वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यदि भूमि किसी सुधार न्यास या नगर निगम या सरकार द्वारा या उसके लिए अर्जित की जाती है, तो प्रतिकर के लिए भिन्न सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जा सकते। इसने कहा कि जहाँ तक स्वामी का संबंध है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भूमि एक प्राधिकारी द्वारा अर्जित की जाती है या किसी अन्य द्वारा। यह भी उतना ही अप्रासंगिक है कि भूमि एक अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित की जाती है या किसी अन्य अर्जन अधिनियम के अधीन। यदि दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को समान स्थिति वाले एक स्वामी के साथ दूसरे से भिन्न व्यवहार करने में सक्षम बनाता है, तो जिस स्वामी के साथ भेदभाव किया जाता है, वह अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा कर सकता है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(105) इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) में प्रतिद्वन्दी पक्ष द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के ***राज्य मध्य प्रदेश बनाम जी.सी. मांडवार, एआईआर 1954 एससी 493; प्रकाश अमीचंद शाह बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (1986) 1 एससीसी 581; भारत संघ बनाम हरि कृष्ण खोसला (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण, (1993) अनुपूरक (2) एससीसी 149*** के प्रकरणों में पारित निर्णयों के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया और अंततः अपने निष्कर्षों को रिपोर्ट के प्रस्तर 31 में निम्नानुसार संक्षेपित किया:

"31. चूँकि वर्तमान प्रकरण अधिनियम के अधीन लागू भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत भूमि के अर्जन से संबंधित है, इसलिए यह इस न्यायालय द्वारा नागपुर सुधार न्यास एवं अन्य (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। इस न्यायालय के उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित होगा कि यदि अधिनियम के उपबंधों का इस अर्थ में निर्वचन किया जाता है कि अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को यथा विद्यमान भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंध अधिनियम के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन पर लागू होंगे और प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से संबंधित 1984 के अधिनियम द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए संशोधन अधिनियम के अधीन लागू नहीं होंगे, तो यह मनमाने और प्रतिकूल भेदभाव के दोष से ग्रस्त होगा। यदि 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम के प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से संबंधित उपबंध अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन पर लागू किए जाएँ, तो ऐसे परिणाम से बचा जा सकता है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाद वाले निर्वचन को अपनाने से रोकता हो। इसके विपरीत, अधिनियम के उपबंध दर्शाते हैं कि अधिनियम को अधिनियमित करते समय विधानमंडल का आशय अनुसूची में धारा 23(2) को संशोधित करके 15% की दर से सांत्वना राशि का लाभ प्रदान करना था, जो लाभ उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में लागू भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपलब्ध नहीं था, जब अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम को अधिनियमित करने में विधानमंडल का आशय भूमिस्वामियों को प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित उन लाभों से वंचित करना था, जो अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए किसी संशोधन के अधीन उन्हें उपलब्ध होते। अतः, हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 55 के उचित निर्वचन पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम में भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों को समाविष्ट करते समय विधानमंडल का आशय यह था कि

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

<u>प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए संशोधन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन पर लागू होंगे।</u> इसका अर्थ यह है कि प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित 1984 के अधिनियम द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए संशोधन, अर्थात् धारा 23(1-क) और धारा 23(2) तथा 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 28, अधिनियम की धारा 55 के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अर्जनों पर लागू होंगे।"

(106) अंततः, उच्चतम न्यायालय ने ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) में यह मत व्यक्त किया कि यदि 1984 के अधिनियम द्वारा भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 में किया गया संशोधन अधिनियम 1965 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियों पर पूर्णतः लागू नहीं किया जाता है, तो भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 के वे उपबंध, जो अधिनियम के अधीन लागू हैं और जिनमें 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधन नहीं किया गया है, मनमाने और प्रतिकूल भेदभाव के दोष से ग्रस्त होंगे, अतः असंवैधानिक होंगे और इस प्रकार कार्यहीन तथा प्रभावहीन हो जाएंगे। इसने आगे यह मत व्यक्त किया कि यदि अधिनियम के उपबंधों का इस अर्थ में निर्वचन किया जाए कि 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित उपबंध अधिनियम के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन पर लागू होंगे, तो ऐसे परिणाम से बचा जा सकता है।

(107) इसे अधिनियम, 1965 में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जो बाद वाले निर्वचन को अपनाने से रोकता हो। इसने यह भी मत व्यक्त किया कि, इसके विपरीत, अधिनियम, 1965 के उपबंध यह दर्शाते हैं कि अधिनियम को अधिनियमित करते समय विधानमंडल का आशय अनुसूची में धारा 23(2) को संशोधित करके 15% की दर से सांत्वना राशि का लाभ प्रदान करना था, जो लाभ उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में लागू भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध नहीं था, जब अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार इसने यह मत व्यक्त किया कि, अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम को अधिनियमित करने में विधानमंडल का आशय भूमिस्वामियों को प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित उन लाभों से वंचित करना था, जो अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात भूमि-अर्जन अधिनियम में किए गए किसी संशोधन के अधीन उन्हें उपलब्ध होते।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(108) अतः, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 55 के उचित निर्वचन पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम में भूमि-अर्जन अधिनियम के उपबंधों को समाविष्ट करते समय विधानमंडल का आशय यह था कि अधिनियम 1894 में प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित किए गए संशोधन अधिनियम, 1965 के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन पर लागू होंगे। इस प्रकार, ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय के अनुसार, प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान से संबंधित 1984 के अधिनियम द्वारा अधिनियम 1894 में किए गए संशोधन, अर्थात् धारा 23(1-क) तथा 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 23(2) और 28, अधिनियम की धारा 55 के अधीन अधिनियम, 1965 के प्रयोजनों के लिए किए गए अर्जनों पर लागू होंगे, ताकि मनमानेपन के दोष से बचा जा सके, अन्यथा यह उपबंध असंवैधानिक हो जाएंगे।

(109) यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विषय एक अपील था, लेकिन रिट याचिकाओं में से एक, जो रिट याचिका संख्या 339 सन् 1997 थी, उसमें, जिसका निर्णय भी ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) के निर्णय द्वारा किया गया था, अधिनियम, 1965 के उपबंध की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी। ***जैनुल इस्लाम*** (उपर्युक्त) के प्रस्तर 40 और 41 इस विषय पर प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार हैं:

"40. इन रिट याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो यथा संशोधित हैं, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबंधों को, अधिनियम की धारा 55 के अधीन अर्जन पर लागू होने के कारण, इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता-भूमिस्वामियों को देय प्रतिकर की राशि में कमी आती है।"

41. उक्त उपबंधों की वैधता को जिस आधार पर चुनौती दी गई है, वह यह है कि 1984 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा संशोधित धारा 23(2) के अधीन 30% की दर से सांत्वना राशि देय है और यथा संशोधित धारा 28 के अधीन 9% और 15% की दर से ब्याज देय है, जबकि अधिनियम द्वारा यथा संशोधित पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन 15% की कम दर से सांत्वना राशि और 6% की कम दर से ब्याज देय है और यह समानता के अधिकार से वंचित किए जाने के समान है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों के

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंध में हमारे द्वारा किए गए निर्वचन को देखते हुए, ये रिट याचिकाएँ पोषणीय नहीं हैं और इसलिए उन्हें निरस्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

(110) प्रस्तर 46 में निम्नानुसार टिप्पणी की गयी:

> *"**46.** चूँकि अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के संबंध में हमारे द्वारा की गई व्याख्या के दृष्टिगत, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन पर तत्समय विधि प्रवृत्त भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संदेय प्रतिकर की राशि तथा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि में कोई अंतर नहीं है, अतः विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।"*

(111) अतः, सभी रिट याचिकाओं, अपीलों तथा विशेष स्वीकृति याचिकाओं का तदनुसार निर्णय किया गया।

(112) इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि यह समावेशन द्वारा विधायन का विषय था, किंतु अपवाद खंड (ग) के दृष्टिगत, यदि अधिनियम, 1894 के संशोधन, अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जन कार्यवाहियों पर प्रवृत्त नहीं होता है, तो अधिनियम, 1965 की धारा 55 तथा अर्जन कार्यवाहियाँ, अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल हो जाएँगी, अतः अप्रभावी तथा अव्यवहार्य हो जाएंगी, अधिनियम, 1965 के प्रावधानों को स्वविवेकाधीन और प्रतिकूल भेदभाव के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल होने से बचा लिया गया क्योंकि, धारा 55 की ऐसी व्याख्या की गई कि अधिनियम, 1894 का अधिनियम में उसके समावेशन के पश्चात किया गया अधिक लाभकारी संशोधन, अधिनियम, 1965 के अधीन अर्जन कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होगा, जो ***एम.वी. नरसिम्हन*** (उपरोक्त) प्रकरण में विवेचित अपवाद खंड (ग) के आधार पर की गई।

(113) **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में हमारी समझ तत्पश्चात **वसंत राव** (उपरोक्त) के वाद में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय (पैरा 48) से प्रबलित तथा पुष्ट होती है, जिसमें ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण पर विचार किया गया था।

(114) अतः, ***ज़ैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण के दृष्टिगत, चूंकि अधिनियम, 1894 को विधायन द्वारा अधिनियम, 1965 में समाविष्ट किया गया है, इसलिए अधिनियम, 2013 द्वारा उक्त 1894 के अधिनियम का कोई भी निरसन, स्वतः ही, अधिनियम, 1965 पर इसके अनुप्रयोग पर कोई

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use

प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, बशर्ते कि वहां, जहाँ अधिनियम, 1894 में संशोधन के प्रवृत्त न होने की स्थिति में, इसके परिणामस्वरूप प्रतिकार देने के विषय में भूमि/संपत्ति स्वामियों के साथ स्वविवेकाधीन और प्रतिकूल भेदभाव उत्पन्न होगा, जिससे अधिनियम, 1965 में भूमि अर्जन के संपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 14 से बाधित होने के कारण असंवैधानिक हो जाएंगे, जिससे अधिनियम, 1965 के प्रावधान को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को प्रवृत्त किया जाना आवश्यक हो जाएगा, जो कि इसने समावेशन द्वारा विधायन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के अपवाद (ग) के संदर्भ में किया था।

(115) निःसंदेह, जब हम विधायन द्वारा समावेशन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के चार अपवाद-खंडों (क) से (ग) को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि सभी अपवाद किसी विद्यमान अधिनियम के संशोधन के संदर्भ में निर्मित किए गए हैं, जैसा कि ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) के वाद में था, किंतु जब हम ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण के पैरा 17 तथा ***एम.वी. नरसिम्हन*** (उपरोक्त) प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि दोनों वादों में जिस विधिक प्रश्न पर विचार किया गया था, वह उस पूर्ववर्ती अधिनियम के, जिसे समाविष्ट किया गया है, निरसन अथवा संशोधन का पश्चातवर्ती अधिनियम के प्रवर्तन पर प्रभाव से संबंधित था। दोनों निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधायन द्वारा समावेशन के विषय में पूर्ववर्ती अधिनियम का पश्चातवर्ती संशोधन अथवा निरसन, पश्चातवर्ती अधिनियम में समाविष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, तथापि ***एम.वी. नरसिम्हन*** (उपरोक्त) प्रकरण में उल्लिखित चार अपवादों के अधीन, अतः, मात्र इस कारण से कि अपवादों में 'संशोधन' शब्द का उल्लेख है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ये अपवाद ऐसी स्थिति में प्रवृत्त नहीं होंगे, जिसमें उस पूर्ववर्ती अधिनियम का निरसन किया गया हो, जिसे समाविष्ट किया गया था। इन निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत, जिनमें उक्त अपवाद भी सम्मिलित हैं, निरसन की स्थिति में भी प्रवृत्त होते हैं। इस संबंध में शाब्दिक दृष्टिकोण अपनाना स्वयं अन्यायपूर्ण और विभेदकारी होगा। अपवादों के पीछे निहित सिद्धांत ही विचारणीय और प्रवृत्त किया जाने वाला विषय है।

(116) अतः, **संकीर्ण अर्थ में** *(स्ट्रिक्टो सेनस्),* ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण के पैरा 17 में उल्लिखित विधायन द्वारा समावेशन के प्रभाव के दृष्टिगत, अधिनियम, 1894 जैसा कि अधिनियम, 1965 में उसकी धारा 55 तथा उसमें निर्दिष्ट अनुसूची के माध्यम से समाविष्ट किया

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

गया है, अधिनियम, 2013 द्वारा अधिनियम, 1894 के निरसन से, स्वतः ही, अप्रभावित रहता है, निःसंदेह, पूर्व में उल्लिखित अपवादों के अधीन, जिसका अभिप्राय यह है कि यदि ऐसी स्थिति में, अधिनियम, 1965 सहपठित समाविष्ट किया गया अधिनियम, 1894, के आक्षेपित प्रावधान, अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को बिना, यथावत् अर्जन की कार्यवाहियों पर प्रवृत्त किए जाएँ, तो भूमि-स्वामियों के प्रति प्रतिकर के विषय में स्वविवेकाधीन तथा प्रतिकूल भेदभाव का दोष उत्पन्न होगा, जो कि प्रावधानों को अप्रभावी एवं अव्यवहार्य बना देंगे, तब ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण के वाद में प्रवृत्त विधायन द्वारा समावेशन से संबंधित अपवाद (ग) प्रवृत्त हो जाएगा और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रवृत्त करना आवश्यक होगा, ताकि आक्षेपित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाया जा सके। ***एम.वी. नरसिम्हन*** (उपरोक्त) प्रकरण में खंड (ग) से संबंधित अपवाद पर हम प्रश्न संख्या 5 और 6 का उत्तर देते समय विचार करेंगे।

(117) अन्यथा भी, यह मानते हुए कि उपरोक्त उल्लिखित अपवाद (ग) किसी निरसन की स्थिति में प्रवृत्त नहीं होता है और यह मात्र विद्यमान अधिनियम में संशोधन की स्थिति तक ही सीमित है, जिसका तात्पर्य यह है कि अधिनियम, 1965, अधिनियम, 2013 द्वारा अधिनियम, 1894 के निरसन से अप्रभावित बना रहता है, फिर भी, हमारे द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रश्न संख्या 5 और 6 पर विचार किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से उनका उत्तर दिया जा सकता है तथा वे अप्रभावित रहेंगे। प्रश्न संख्या 5 और 6 पर विचार करते समय इस विषय में आगे अधिक विवेचना की जाएगी।

<u>प्रश्न संख्या 4:</u>

(118) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि निहित रूप से अधिनियम, 1894, अधिनियम, 1965 के अधीन अर्जन कार्यवाहियों में अपने अनुप्रयोग के संबंध में निरसित हो गया था, किंतु इस पहलू पर ***'अतुल शर्मा'*** (उपरोक्त) प्रकरण में खंडपीठ के निर्णय में पहले ही विचार किया जा चुका है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है। हमारा यह भी मत है कि इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में निहित निरसन का सिद्धांत प्रवृत्त नहीं होता। इस संदर्भ में हम भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा **म्युनिसिपल काउंसिल, पालाई बनाम टी.जे. जोसेफ और अन्य; एआईआर 1963 उच्चतम न्यायालय 1561** प्रकरण में दिए गए निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। उसमें प्रतिपादित कसौटियाँ प्रस्तुत वाद में पूरी नहीं होती हैं। दोनों अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की पृथक सूचियों की पृथक प्रविष्टियों से संबंधित हैं, जैसा कि पूर्व में विवेचित किया

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जा चुका है। समग्र रूप से पढ़े जाने पर वे एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं और उनका विषय-वस्तु भी समान नहीं है। जहाँ अधिनियम, 1965, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 5 से संबंधित है, वहीं भूमि अर्जन अधिनियम, 2013, सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 42 से संबंधित है। अधिनियम, 1965, राज्य विधायनमंडल द्वारा अधिनियमन है, जबकि भूमि अर्जन अधिनियम, 2013, संसद द्वारा अधिनियमित विधायन है। दोनों अधिनियमों की योजना से भी, जैसा कि श्री संदीप दीक्षित द्वारा सुझाया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है कि इसके प्रावधान, सहपठित अधिनियम, 1894 के वे प्रावधान, जो इस पर प्रवृत्त हैं, निहित रूप से निरसित हो गए थे। यह विशेष रूप से भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 103 तथा धाराओं 105 से 108 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत है। हम अधिनियम, 2013 की धारा 103 के आशय पर पहले ही विचार कर चुके हैं। अतः प्रश्न संख्या 4 का उत्तर तदनुसार **नकारात्मक रूप में** दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 5:

(119) अब विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम, 1965 के आक्षेपित प्रावधानों को उसमें धारा 55 के माध्यम से समाविष्ट अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने पर, अधिनियम, 1965 के अधीन जिन भूमि का अर्जन किया जाता है, उन भूमि/संपत्ति के स्वामियों को प्रतिकर प्रदान करने के विषय में, अधिनियम, 2013 के अधीन जिन अन्य भूमि/संपत्तियों का अर्जन किया जाता है, उनके भूमि/संपत्ति स्वामियों की अपेक्षाकृत, स्वविवेकाधीन एवं प्रतिकूल भेदभाव होता है; तथा क्या प्रतिकर में अमौद्रिक प्रतिकर भी सम्मिलित है?

(120) यह विधिक स्थिति पूर्णतः सुस्थापित है कि जिन भूमिधारकों/संपत्ति-स्वामियों की भूमि किसी अधिनियम के अधीन अर्जित की जाती है, वे प्रतिकर के प्रयोजनार्थ एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इस संबंध में उनके साथ इस आधार पर कोई भेदपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता कि अर्जन भिन्न अधिनियमों के अधीन किया गया है अथवा अर्जन प्राधिकारी भिन्न है, जब तक कि अर्जन ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए न हो। यहाँ तक कि ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) प्रकरण में भी, जैसा कि पहले ही विवेचित किया जा चुका है, भारत के सरवूच न्यायालय की 7-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा ***विट्ठल राव*** (उपरोक्त) प्रकरण में पूर्व में प्रतिपादित निर्णय के आधार पर यही विधि-सिद्धांत

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्धारित किया गया था। इस संबंध में किसी बोधगम्य भिन्नता के बिना तथा वांछित उद्देश्य के साथ किसी तर्कसंगत संबंध के अभाव में कोई भेदपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता।

(121) भूमि के अनिवार्य अर्जन तथा उसके संबंध में देय प्रतिकर में मनमाने एवं प्रतिकूल भेदभाव के दोष के संदर्भ में, हम पुनः ***विट्ठल राव*** (उपरोक्त) प्रकरण में दिए गए सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। उक्त वाद में उच्च न्यायालय के समक्ष नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 के प्रावधानों को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी, जिसमें से एक आधार यह था कि सुधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि वह भूमि का अर्जन ऐसे मूल्यों पर किए जाने को अधिकृत करता था, जो उन मूल्यों से कम थे, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जन किए जाने की स्थिति में देय होते; अर्थात्, आक्षेपित अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन देय प्रतिकर से कम था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आक्षेपित प्रावधानों को निरस्त कर दिया कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

"26. ***अब यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि राज्य, विधायन के प्रयोजन से युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकता है। यह भी समान रूप से सुस्थापित है कि वर्गीकरण को युक्तियुक्त होने के लिए दो कसौटियों को पूरा करना आवश्यक है (i) वर्गीकरण बोधगम्य भिन्नता पर आधारित होना चाहिए और (ii) उक्त भिन्नता का प्रश्नगत विधायन द्वारा वांछित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उद्देश्य स्वयं विधिसम्मत होना चाहिए। स्वयं उद्देश्य भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथा, उदाहरणार्थ, यदि उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के किसी एक वर्ग के विरुद्ध भेदभाव करना हो, तो इस आधार पर उक्त भेदभाव को इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि यह युक्तिसंगत वर्गीकरण है, क्योंकि इसका वांछित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है।***

27. ***यदि विधायन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन करना है, तो प्रतिकर का निर्धारण करने के प्रयोजन से युक्तिसंगत वर्गीकरण क्या हो सकता है?***

28. यह विवादित नहीं होगा कि अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए इस आधार पर प्रतिकर के भिन्न सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जा सकते कि भूमिधर वृद्ध है या युवा, स्वस्थ है या रुग्ण,

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लंबा है या नाटा, अथवा भूमिधर ने संपत्ति विरासत में प्राप्त की है या अपने स्वयं के प्रयासों से उसका निर्माण किया है, अथवा भूमिधर राजनीतिज्ञ है या अधिवक्ता। इस प्रकार का वर्गीकरण पोषणीय क्यों नहीं है? क्योंकि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्यतः अर्जित करना उद्देश्य है, यह उद्देश्य समान रूप से सिद्ध होता है, चाहे भूमि एक प्रकार के व्यक्ति की हो अथवा दूसरे प्रकार के व्यक्ति की।

*29. **क्या उस सार्वजनिक प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसके लिए भूमि अर्जित की जाती है, और इस आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या विधायनमंडल अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए, मान लीजिए, किसी चिकित्सालय अथवा विद्यालय अथवा शासकीय भवन हेतु, प्रतिकर के भिन्न सिद्धांत निर्धारित कर सकता है? क्या विधायनमंडल यह कह सकता है कि चिकित्सालय के लिए भूमि उसके बाजार मूल्य के 50% पर अर्जित की जाएगी, विद्यालय के लिए उसके मूल्य के 60% पर और शासकीय भवन के लिए उसके बाजार मूल्य के 70% पर? तीनों ही उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजन हैं और जहाँ तक स्वामी का संबंध है, उसके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह एक सार्वजनिक प्रयोजन है अथवा कोई दूसरा। संविधान का अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है और किसी वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसा कोई तर्क नहीं होना चाहिए जो इस व्यक्तिगत अधिकार के प्रति भिन्न व्यवहार को उचित ठहराए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतः प्रतिकर निर्धारित करने के प्रयोजन से सार्वजनिक प्रयोजन के आधार पर किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अधीन अनुमेय नहीं है। स्थिति भिन्न होती है जब भूमि का स्वामी स्वयं किसी सुधार योजना से प्राप्त होने वाले लाभ का प्राप्तकर्ता हो और प्रतिकर निर्धारित करते समय उसे प्राप्त होने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाता है। क्या भूमि अर्जित करने वाले प्राधिकारी के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या प्रतिकर के भिन्न सिद्धांत तब निर्धारित किए जा सकते हैं, जब भूमि किसी सुधार न्यास अथवा नगर निगम अथवा सरकार के लिए या उनके द्वारा अर्जित की जाती है? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि जहाँ तक स्वामी का संबंध है, उसके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भूमि एक प्राधिकारी द्वारा अर्जित की जाती है अथवा किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा।***

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

30. यह भी समान रूप से अप्रासंगिक है कि भूमि का अर्जन किसी एक अर्जन अधिनियम के अधीन किया जाता है अथवा किसी अन्य अर्जन अधिनियम के अधीन। यदि दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को समान परिस्थिति में स्थित एक स्वामी के साथ दूसरे स्वामी से भिन्न व्यवहार करने में समर्थ बनाता है, तो जिस स्वामी के साथ विभेदकारी व्यवहार किया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षण का दावा कर सकता है।

31. यह कहा गया कि यदि यही वास्तविक स्थिति है, तो राज्य के लिए झुग्गी-बस्तियों को हटाना तथा अन्य विभिन्न प्रशंसनीय कार्य करना असंभव हो जाएगा। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त संरक्षण को पूर्णतः निष्प्रभावी कर देगा। इससे राज्य को चिकित्सालय के लिए भूमि अर्जित करने हेतु एक विधि, विद्यालयों के लिए भूमि अर्जित करने हेतु दूसरी विधि, झुग्गी-बस्तियों को हटाने के लिए भूमि अर्जित करने हेतु एक अन्य विधि, सरकारी भवनों के लिए भूमि अर्जित करने हेतु दूसरी विधि; नई दिल्ली में भूमि अर्जित करने के लिए एक विधि और पुरानी दिल्ली में भूमि अर्जित करने के लिए दूसरी विधि बनाने की अनुमति मिल जाएगी। यह कहा गया कि अनेक स्थितियों में भूमि का मूल्य स्वामी के किसी प्रयत्न के कारण नहीं, बल्कि उस नगर के सामान्य विकास के कारण बढ़ गया है, जिसमें वह भूमि स्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है, किंतु अनुच्छेद 14 एक स्वामी की अप्राप्त वृद्धि को उससे छीन लेने और उसके पड़ोसी को उससे अप्रभावित छोड़ देने पर रोक लगाता है। यह पड़ोसी अपनी भूमि का विक्रय करके उस अप्राप्त वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। यदि विधि का उद्देश्य अप्राप्त वृद्धि पर कर लगाना है, तो ऐसा पूरे राज्य में किया जाना चाहिए। राज्य कुछ स्वामियों की भूमि का अनिवार्य अर्जन करके और अन्य को अकेला छोड़कर इस उद्देश्य को खंडशः प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उद्देश्य झुग्गी-बस्तियों को हटाना है, तो यह उन स्वामियों के व्यय पर नहीं किया जा सकता जिनकी भूमि अर्जित की जाती हैं, जब तक कि, जैसा कि हमने कहा है, स्वामी उस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित न हों। यदि उद्देश्य चिकित्सालयों का निर्माण करना है, तो यह उन भूमि के स्वामियों के व्यय पर नहीं किया जा सकता जिनकी भूमि अर्जित की जाती है। चिकित्सालय, विद्यालय आदि का निर्माण संपूर्ण समुदाय के व्यय पर किया जाना चाहिए।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

32. यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि किसी विधि के द्वारा समान स्थिति वाले कुछ भूमिस्वामियों पर कर लगाया जाए और अन्य भूमिस्वामियों को कर से मुक्त रखा जाए। यदि भूमिस्वामियों पर भिन्न रूप से कर नहीं लगाया जा सकता, तो अनिवार्य अर्जन के माध्यम से कुछ भूमिस्वामियों पर अप्रत्यक्ष रूप से कर किस प्रकार लगाया जा सकता है? यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि विधि ऐसी हो, तो इससे राज्य के सामाजिक सुधारों को कार्यान्वित करने में उसके हाथ बँध जाएँगे। हम इससे सहमत नहीं हैं। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को हमारे करोड़ों नागरिकों की दशा सुधारने से रोकता हो। उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य भूमिस्वामियों को ***किसी नगर के विकास के कारण*** *संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने से वंचित करना हो, तो राज्य को अप्राप्त वृद्धि पर कर लगाने से रोकने वाला कुछ भी नहीं है।* ***जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और राज्यों के तर्कों को स्वीकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण को ही नष्ट कर देगा। राज्यों को केवल इतना करना होगा कि प्रत्येक नगर अथवा मंडल के लिए, अथवा वास्तव में किसी एक विशेष सार्वजनिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पृथक अर्जन निकाय गठित कर दिए जाएँ और प्रतिकर के भिन्न सिद्धांत निर्धारित कर दिए जाएँ।"***

(122) सात न्यायाधीशों की पीठ ने ***विठ्ठल राव*** **(उपरोक्त)** प्रकरण में पूर्ववर्ती संविधान पीठ के निर्णयों, अर्थात् **पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप कलेक्टर, मद्रास; (1965) 1 एससीआर 614** तथा **बालम्मल एवं अन्य बनाम मद्रास राज्य; (1969) 1 एससीआर 90** के प्रकरण का उल्लेख किया तथा उनका अनुसरण किया।

(123) इस संदर्भ में हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि **पी. वज्रवेलु मुदलियार** (उपरोक्त) प्रकरण में मूल अधिनियम में संशोधन किया गया था और संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को आवास योजना के लिए भूमि ऐसे मूल्य पर अर्जित करने का अधिकार दिया गया था, जो उस मूल्य से कम था, जितना राज्य को वही भूमि मूल अधिनियम के अधीन अधिग्रहित किए जाने पर देना पड़ता। संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को भेदभाव तथा अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने राज्य द्वारा ऐसे वर्गीकरण के औचित्य में प्रस्तुत कारणों की जांच करने के पश्चात् उसे अस्वीकार कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम में भेदभाव स्पष्ट रूप से

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

विद्यमान था, जिसे युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता था। न्यायालय ने संशोधन अधिनियम को *अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स)* घोषित कर दिया।

(124) अतः, **विठ्ठल राव** (उपरोक्त) तथा **पी. वज्रवेलु मुदलियार** (उपरोक्त) के प्रकरणों में आक्षेपित अधिनियमन को अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी होने के कारण निरस्त कर दिया गया, जबकि **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) के प्रकरण में वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 का इस प्रकार निर्वचन करते हुए उक्त अधिनियमन को विधिमान्य बनाए रखा गया कि उसके उपबंध अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो जाएँ। यह परिणाम समावेशन द्वारा विधायन के प्रकरण में निरसन अथवा संशोधन के प्रभाव के अपवाद को लागू करके प्राप्त किया गया, जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है।

(125) अधिवक्ता श्री नितेश कुमार द्वारा यथार्थतः इंगित किए गए अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 31-क हमारे समक्ष प्रस्तुत इन मामलों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये कृषि-सुधार एवं विकास से संबंधित किसी अधिनियम से संबद्ध नहीं हैं। इस संबंध में **अंबिका प्रसाद मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1980) 3 एससीसी 719; वामन राव बनाम भारत संघ, (1981) 2 एससीसी 362 तथा के.के. कोचुनी बनाम मद्रास एवं केरल राज्य, 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 346** के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

(126) अतः, **विठ्ठल राव** (उपरोक्त), **पी. वज्रवेलु मुदलियार** (उपरोक्त), **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) आदि के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों से लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक स्थिति भली-भाँति स्थापित की जा चुकी है कि जिन भूमिधारकों की भूमि अर्जित की जाती है, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए दो भिन्न मानदंड/कसौटियाँ नहीं हो सकतीं—एक अधिक लाभप्रद तथा दूसरी कम लाभप्रद—क्योंकि ऐसा करना भेदभावपूर्ण होगा। अर्जन के प्रतिफलस्वरूप क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ सभी भूमिधारक/संपत्ति-स्वामी एक ही वर्ग में आते हैं।

(127) अब हमें यह विचार करना है कि क्या दोनों अधिनियमन, अर्थात् वर्ष 1965 के अधिनियम तथा वर्ष 1894 के अधिनियम के साथ पठित वर्ष 1965 के अधिनियम और वर्ष 2013 के अधिनियम में क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं; यदि ऐसा है, तो क्या वर्ष 2013 के अधिनियम में क्षतिपूर्ति का अधिक लाभप्रद उपबंध किया गया है; और

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या क्षतिपूर्ति केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति तक ही सीमित है अथवा इसमें पुनर्वास, पुनर्स्थापन आदि जैसी गैर-मौद्रिक क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है। यदि यह पाया जाता है कि वर्ष 2013 का अधिनियम अधिक लाभप्रद है, तो हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि वर्ष 2013 के नवीन अधिनियम के स्थान पर वर्ष 1965 के अधिनियम के अधीन अनिवार्य अर्जन की कार्यवाहियों में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को लागू करने की अनुमति देना, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास आदि के विषय में भूमिधारकों के साथ मनमाना एवं प्रतिकूल भेदभाव करने के समान होगा, जिससे आक्षेपित उपबंध अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से प्रभावित हो जाएँगे?

(128) प्रारंभ में ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण का यह प्रकरण नहीं है कि अर्जन याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए किया जा रहा है।

(129) अब हम उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं।

अधिनियम 1965 सपठित अधिनियम 1894 अपेक्षाकृत अधिनियम 2013 के अधीन प्रतिकर के प्रावधान

(130) श्री असीत चतुर्वेदी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अनिवार्य अर्जन के प्रतिफलस्वरूप क्षतिपूर्ति वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा रही है; अतः न तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और न ही मनमाने एवं शत्रुतापूर्ण भेदभाव का आधार उपलब्ध है। इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है, जितना श्री चतुर्वेदी द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जैसा कि आगे किए गए विवेचना से स्पष्ट होगा। वर्ष 2013 के अधिनियम की प्रयोज्यता आदि के प्रश्न पर एक प्रामाणिक न्यायिक उद्घोषणा आवश्यक है।

(131) वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 के अधीन भूमि अर्जित करने की शक्ति बोर्ड में निहित है, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में उसके अनुप्रयोग के संबंध में संशोधित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ उक्त शक्ति इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन है। अतः, बोर्ड के कृत्यों को सुगम बनाने तथा आवास एवं

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

सुधार योजनाओं और अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उन उपबंधों के अनुसार की जाती है, जो धारा 55 तथा उसकी अनुसूची के माध्यम से वर्ष 1965 के अधिनियम पर लागू होते हैं। हम इन उपबंधों को पूर्व में ही उद्धृत कर चुके हैं। वर्ष 1965 के अधिनियम में मौद्रिक क्षतिपूर्ति के निर्धारण अथवा प्रदान किए जाने के संबंध में कोई स्वतंत्र एवं पृथक् उपबंध नहीं है। मौद्रिक क्षतिपूर्ति के निर्धारण एवं प्रदान किए जाने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंध लागू होते हैं। वर्ष 1894 के अधिनियम में पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास के रूप में यथोचित क्षतिपूर्ति का कोई उपबंध नहीं है, यद्यपि वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 21 में इस संबंध में एक उपबंध विद्यमान है।

(132) चूँकि हम, स्वयं में *(per se)*, वर्ष 2013 के अधिनियम की संपूर्ण प्रयोज्यता पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों अधिनियमनो के अधीन क्षतिपूर्ति के विषय में भेदभाव के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं को वर्ष 1894 के अधिनियम के उन उपबंधों तक सीमित रख रहे हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण एवं प्रदान किए जाने से संबंधित हैं। इस संबंध में प्रासंगिक उपबंध धारा 11,18 तथा 23 में अंतर्विष्ट हैं। वस्तुतः, धारा 23 में क्षतिपूर्ति के निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारकों का उपबंध किया गया है और हमारे प्रयोजनार्थ यही उपबंध प्रासंगिक है। बोर्ड पर इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में धारा 23 निम्नवत् है :–

"23. क्षतिपूर्ति के निर्धारण में विचार किए जाने वाले विषय –

(1) इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :–

प्रथम, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य [अधिनियम 38, 1923 की धारा 7 द्वारा "धारा 6 के अधीन उससे संबंधित घोषणा" के स्थान पर प्रतिस्थापित];

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वितीय, कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय उस भूमि पर विद्यमान खड़ी फसलों अथवा वृक्षों को ले लिए जाने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति;

तृतीय, कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय, ऐसी भूमि को उसकी अन्य भूमि से पृथक किए जाने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुई कोई क्षति, (यदि कोई हो);

चतुर्थ, कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय, अर्जन के कारण हितबद्ध व्यक्ति की अन्य चल अथवा अचल संपत्ति अथवा उसकी आय पर किसी अन्य प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उसे हुई कोई क्षति, (यदि कोई हो);

पंचम, यदि कलेक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपना निवास-स्थान अथवा व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए विवश होता है, तो ऐसे परिवर्तन के संबंध में होने वाले युक्तिसंगत व्यय, (यदि कोई हो)***;***

और

षष्ठ, धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय से लेकर कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय तक भूमि के लाभों में हुई कमी से वास्तविक रूप से उत्पन्न कोई क्षति, यदि कोई हो।

(1-क) उपरोक्त रूप से उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में में ऐसे बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित राशि, उस भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय किए जाने की तारीख अथवा भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रदान करेगा।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, वह अवधि अथवा वे अवधियाँ, जिनके दौरान किसी न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगन अथवा निषेधाज्ञा के कारण भूमि के अर्जन की कार्यवाही बाधित रही हो, अपवर्जित की जाएँगी। [अधिनियम 68, 1984 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित (24.9.1984 से प्रभावी)।]

(2) उपरोक्त रूप से उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में में ऐसे बाजार मूल्य पर [तीस प्रतिशत] [अधिनियम 68, 1984 की धारा 15 द्वारा "पंद्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित (24.9.1984 से प्रभावी)] की राशि, अर्जन की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रदान करेगा।

**** उत्तर प्रदेश संशोधन***

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, XXII, 1954, की धाराएँ 3 एवं 8 (19-11-1954) उत्तर प्रदेश में इसके अनुप्रयोग के संबंध में–

***(1)** धारा 23 के प्रथम खंड में अंत में निम्नलिखित को स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–*

"स्पष्टीकरण–उपरोक्त बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय, ऐसे प्रत्येक प्रकरण में में, जिसमें भूमि किसी भी प्रकार के स्वच्छता-सुधार अथवा सुनियोजित विकास के लिए या उसके संबंध में अर्जित की जाती है, उपरोक्त तारीख को भूमि की अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ दशाओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।"

***(2)** उपधारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।*

नोट –उपरोक्त मद (ख) में उपधारा (2) के लोप किए जाने संबंधी निर्देश, भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1954 के प्रारंभ से पूर्व जारी की गई धारा 4 के अधीन किसी अधिसूचना के संबंध में लागू नहीं होंगे।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, XXVIII, 1972, की धारा 3

अधिनियम की धारा 23 में,–

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(क) उपधारा (1) में, प्रथम खंड से संबंधित स्पष्टीकरण का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2) उपरोक्त रूप से उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में में ऐसे बाजार मूल्य पर पंद्रह प्रतिशत की राशि, अर्जन की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रदान करेगा।"

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 23 में संशोधन

उक्त अधिनियम की धारा 23 में-

(i) "प्रथम" खंड के विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा :

स्पष्टीकरण–उपरोक्त बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय, ऐसे किसी प्रकरण में में, जिसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन किसी आवासीय अथवा सुधार योजना के अंतर्गत भूमि अर्जित की जाती है, यदि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (क), धारा 24 की उपधारा (3) अथवा धारा 35 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई भवन निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया गया हो, तो ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन अथवा परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई किसी भी वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(ii) विद्यमान उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) उपरोक्त रूप से उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में में ऐसे बाजार मूल्य के पंद्रह प्रतिशत की राशि, अर्जन की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रदान करेगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(133) उक्त अधिनियम, 1894 की धारा 23 में विभिन्न अधिनियमन के अधीन उत्तर प्रदेश में उसके अनुप्रयोग के संबंध में संशोधन किए गए हैं। हमारा सरोकार धारा 23 से केवल उस सीमा तक है, जहाँ तक वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट अनुसूची के माध्यम से विकास बोर्ड द्वारा किए जाने वाले अर्जन की कार्यवाहियों के संबंध में उसके अनुप्रयोग में संशोधन किया गया है और जैसा कि **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा (वर्ष 1984 के संशोधन के अनुसार) इसे लागू किया गया है। अतः इसे धारा 55 में निर्दिष्ट अनुसूची तथा **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) के निर्णय के साथ तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

(134) अधिनियम, 1894 की धारा 24 में क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय उपेक्षित किए जाने वाले विषयों का उपबंध किया गया है; धारा 28 में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत अधिक क्षतिपूर्ति पर ब्याज का उपबंध है। धारा 34 में उस दशा में ब्याज के संदाय का उपबंध किया गया है, जब ऐसी क्षतिपूर्ति, जैसा कि धारा 23 में निर्दिष्ट है तथा धारा 23(ख) के अधीन पद को परिभाषित किया गया है, भूमि का कब्जा लिए जाने से पूर्व अथवा उसी समय संदत्त या जमा नहीं की जाती है।

(135) उपरोक्त के विपरीत, वर्ष 2013 के अधिनियम से संबंधित उद्देश्यों एवं कारणों के कथन से स्वयं यह स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती अधिनियमन, अर्थात् वर्ष 1894 का अधिनियम, अनिवार्य अर्जन से संबंधित कतिपय विषयों के, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का विषय भी सम्मिलित था, समाधान के लिए अपर्याप्त पाया गया था। भूमि-अर्जन, विशेषतः बहुफसली सिंचित भूमि के अर्जन, के संबंध में जनसाधारण की चिंता अत्यधिक बढ़ गई थी तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के विषयों का पर्याप्त रूप से समाधान करने के लिए कोई केंद्रीय विधि विद्यमान नहीं थी। चूँकि भूमि-अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना आवश्यक था, इसलिए भूमि-अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित विषयों का विनियमन करने के लिए एकल एवं समेकित विधि को आवश्यक समझा गया। अतः वर्ष 2013 का अधिनियम कृषकों तथा उन व्यक्तियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित किया गया, जिनकी जीविकोपार्जन भूमि के अर्जन पर निर्भर थी, साथ ही औद्योगिकीकरण, अवसंरचना तथा नगरीकरण संबंधी परियोजनाओं के लिए समयबद्ध एवं पारदर्शी रीति से भूमि-अर्जन को सुगम बनाया जा सके।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(136) उस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन का अवलोकन, जो अंततः वर्ष 2013 का अधिनियम बना, स्वयं ऐसी एकीकृत विधि के पीछे निहित आशय पर प्रकाश डालता है। आशय ऐसा अधिनियमन करने का था, जो भूमिधारकों के हितानुकूल हो तथा अन्य बातों के अतिरिक्त, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के साथ-साथ न्यायोचित एवं यथोचित क्षतिपूर्ति का उपबंध करे। इस संदर्भ में, हम उद्देश्यों एवं कारणों के कथन के प्रस्तर 6 से 24 को उद्धृत कर सकते हैं, जो निम्नवत् हैं–

"6. लोक-सुविधाओं अथवा अवसंरचना के उपबंध के लिए प्रायः राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अर्जन की शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों का विस्थापन होता है, वे अपनी भूमि, जीविकोपार्जन तथा आवास से वंचित हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अपने पारंपरिक आधार तक उनकी पहुँच प्रतिबंधित हो जाती है तथा वे अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से विस्थापित कर दिए जाते हैं। इसके कारण प्रभावित जनसंख्या पर आघातकारी, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो उनके अधिकारों के संरक्षण की अपेक्षा करते हैं, विशेषतः समाज के दुर्बल वर्गों, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सीमांत कृषकों तथा उनके परिवारों के सदस्य सम्मिलित हैं, के प्रकरण में।"

7. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित विषयों को विकास-प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानने की अपरिहार्य आवश्यकता है, जिसका निर्माण प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों की सक्रिय सहभागिता से किया गया हो। <u>अनैच्छिक विस्थापन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों को मौद्रिक क्षतिपूर्ति से परे अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाने आवश्यक हैं।</u> उन व्यक्तियों की स्थिति और भी दयनीय है, जिनका अपनी जीविका के लिए जिस भूमि पर अत्यधिक निर्भरता है, उस भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अतः योजनाकारों द्वारा व्यापक एवं समन्वित प्रयास किया जाना आवश्यक है, ताकि विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के ढाँचे में न केवल उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए, जो प्रत्यक्षतः अपनी भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों से वंचित होते हैं, बल्कि उन सभी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाए, जो ऐसे अर्जन से प्रभावित होते हैं। विस्थापन की प्रक्रिया प्रायः ऐसी समस्याएँ उत्पन्न करती है, जिनके कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन के पश्चात् अपनी पारंपरिक जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधियों को जारी रखना कठिन हो जाता है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके लिए विस्थापन से उत्पन्न आर्थिक हानियों तथा सामाजिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना आवश्यक है। प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के जीवन-स्तर में सर्वांगीण सुधार के उद्देश्य से समग्र प्रयास भी किया जाना चाहिए।

8. परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति वर्ष 2003 में तैयार की गई थी, जो फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई। इस नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव से यह संकेत मिलता है कि नीति द्वारा संबोधित किए गए अनेक ऐसे विषय हैं, जिनकी पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता एवं औचित्य के संबंध में, समाज को समग्र रूप से होने वाली लागत एवं प्राप्त होने वाले लाभों का सावधानीपूर्वक परिमाणात्मक आकलन किए जाने के माध्यम से, एक स्पष्ट धारणा बनाई जानी चाहिए। प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव–आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक–का सहभागी एवं पारदर्शी रीति से आकलन किया जाना चाहिए। <u>अतः राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी ऐसा ढाँचा होना आवश्यक है, जो उन सभी परियोजनाओं पर लागू हो, जिनमें अनैच्छिक विस्थापन होता है।</u>

9. राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 को इन्हीं आधारों पर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2003 के स्थान पर तैयार किया गया है। नई नीति को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है और यह 31 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी हो गई है। अनेक राज्य सरकारों की अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी नीतियाँ हैं। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अभिकरणों की भी इस संबंध में अपनी-अपनी नीतियाँ हैं।

10. यह विधि तब लागू होगी, जब सरकार अपने स्वयं के उपयोग, धारण एवं नियंत्रण के लिए भूमि का अर्जन करती है अथवा किसी घोषित लोक प्रयोजन के लिए उसके उपयोग हेतु अंततः उसे निजी कंपनियों को अंतरित करने के उद्देश्य से भूमि का अर्जन करती है, अथवा जब निजी कंपनियों द्वारा लोक प्रयोजन के लिए तत्काल एवं घोषित उपयोग हेतु भूमि का अर्जन किया जाता है। जब निजी कंपनियाँ किसी परियोजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक अथवा नगरीय क्षेत्रों में 50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करती हैं, तब केवल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी उपबंध लागू होंगे।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अर्जन संबंधी उपबंध अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के क्षेत्र पर लागू होंगे, किंतु जब कोई निजी कंपनी लोक प्रयोजन के लिए आंशिक अर्जन हेतु सरकार से संपर्क करती है, तब पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी उपबंध संपूर्ण परियोजना क्षेत्र पर लागू होंगे।

11. "लोक प्रयोजन" को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि अर्जन में सरकार का हस्तक्षेप केवल प्रतिरक्षा तथा कतिपय विकास परियोजनाओं तक ही सीमित रहे। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पूर्व-सूचित प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना से प्रभावित कम-से-कम 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति प्राप्त की जाए। अविलंबिता उपबंध के अधीन अर्जन को भी केवल राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों तथा आपात स्थितियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं की दशा में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की आवश्यकताओं तक ही सीमित किया गया है।

12. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुफसली सिंचित भूमि का अर्जन केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा। यदि बहुफसली भूमि का अर्जन किया जाता है, तो उतने ही क्षेत्रफल की कृषि-योग्य बंजर भूमि का विकास किया जाएगा। ऐसे जिलों में, जहाँ निवल बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम है, जिले के निवल बोए गए क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक का अर्जन नहीं किया जाएगा।

13. भूमिस्वामियों के लिए व्यापक क्षतिपूर्ति पैकेज सुनिश्चित करने के लिए भूमि के बाजार मूल्य की गणना हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार परिकलित बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्रों में दो के गुणक से गुणा किया जाएगा। संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि के 100 प्रतिशत तक सांत्वना राशि भी बढ़ाया जाएगा। जहाँ नगरीकरण के लिए भूमि का अर्जन किया जाता है, वहाँ विकसित भूमि का 20 प्रतिशत प्रभावित भूमिस्वामियों को प्रदान किया जाएगा।

14. भूमिस्वामियों के लिए व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें निर्वाह मानदेय, रोजगार, आवास, सिंचाई परियोजनाओं के मामलों में एक एकड़ भूमि, परिवहन मानदेय तथा पुनर्स्थापन मानदेय सम्मिलित हैं।

Translated Version. Not For Legal Use.

15. जीविकोपार्जन के साधनों से वंचित होने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें निर्वाह मानदेय, रोजगार, आवास, परिवहन मानदेय तथा पुनर्स्थापन मानदेय सम्मिलित हैं।

16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिनके अंतर्गत प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 2.5 एकड़ भूमि अथवा जितनी भूमि उसके द्वारा खोई गई हो, उतनी भूमि, ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता, जनपद के बाहर बसाए गए कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनःस्थापन संबंधी लाभों में पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि, सामुदायिक तथा सामाजिक समागम के लिए निःशुल्क भूमि और पुनःस्थापन क्षेत्र में आरक्षण की निरंतरता आदि सम्मिलित हैं।

17. पुनःस्थापन क्षेत्र में पच्चीस प्रकार की आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें विद्यालय तथा क्रीड़ांगण, स्वास्थ्य केंद्र, मार्ग तथा विद्युत-संयोजन, सुरक्षित पेयजल के सुनिश्चित स्रोत, पंचायत भवन, आंगनबाड़ियाँ, उपासना-स्थल, शव-समाधि तथा अंत्येष्टि-स्थल, ग्राम-स्तरीय डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें तथा बीज एवं उर्वरक भंडारण की सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

18. नवीन विधि के अधीन उपलब्ध लाभ उन सभी भूमि-अर्जन के प्रकरणों में भी उपलब्ध होंगे, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन किए गए हैं, जहाँ अभी तक अधिनिर्णय नहीं किया गया है अथवा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

19. जिस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की गई है, उस प्रयोजन के अनुरूप यदि उसका दस वर्ष के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी भूमि राज्य सरकार के भूमि बैंक को अंतरित कर दी जाएगी। विकास किए बिना भूमि के प्रत्येक अंतरण पर उसके बढ़े हुए मूल्य का बीस प्रतिशत मूल भू-स्वामियों के साथ साझा किया जाएगा।

20. विधेयक के उपबंधों को अन्य विधियों के पूर्णतः अनुरूप बनाया गया है, जैसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण विनियमन।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

21. मिथ्या सूचना, कपटपूर्ण कृत्य तथा प्रस्तावित विधान के उपबंधों के उल्लंघन की दशा में उद्यमों तथा सरकार, दोनों के लिए कठोर एवं व्यापक दंड का उपबंध किया गया है।

22. भूमि अर्जन से संबंधित कतिपय केंद्रीय अधिनियमों को विधेयक में सम्मिलित किया गया है। विधेयक के उपबंध इन अधिनियमों के अतिरिक्त होंगे और उनके उपबंधों को न्यून या निष्प्रभावी करने वाले नहीं होंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर इस अधिनियम के उपबंध उन विद्यमान अधिनियमों पर भी लागू किए जा सकेंगे।

23. विधेयक में उन सभी परियोजनाओं द्वारा पूरा किए जाने वाले मूलभूत न्यूनतम अपेक्षित मानदंडों का भी उपबंध किया गया है, जिनके कारण लोगों का विस्थापन होता है। इसमें एक व्यावृत्ति उपबंध भी रखा गया है, जिससे राज्य सरकारें विधेयक में निर्धारित स्तर से अधिक लाभ प्रदान करना अथवा ऐसी अधिक लाभकारी व्यवस्था बनाए रखना निरंतर जारी रख सकेंगी।

24. विधेयक उन सभी परियोजनाओं के लिए, जिनके कारण विस्थापन होता है, पूरा किया जाने वाला मूलभूत न्यूनतम निर्धारित करता है। लोगों के विस्थापन का कारण बनने वाले प्रस्तावों के संबंध में, उन पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व, सभी हितसंबंधित व्यक्तियों, जिनमें प्रभावित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, की सहभागिता वाले सहभागितापूर्ण, सूचनासंपन्न तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा। पुनर्वासन की प्रक्रिया विस्थापित व्यक्तियों की आय में वृद्धि तथा उनके जीवन-स्तर में उन्नयन सुनिश्चित करेगी और इसके अंतर्गत सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण, क्षमता-विकास तथा लोक-स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था सम्मिलित होगी। विस्थापित व्यक्तियों के दुर्बल वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त रक्षोपाय प्रस्तावित किए गए हैं।"

(137) उपरोक्त उद्धृत उद्देश्यों और कारणों के कथन के अंश इस आशय को व्यक्त करते हैं कि भूमि अर्जन के लिए ऐसी अधिक लाभकारी विधि बनाई जाए, जिसमें न्यायोचित एवं ऋजु प्रतिकर के साथ-साथ पुनर्वासन और पुनःस्थापन का भी उपबंध हो, जो पूर्ववर्ती अधिनियम, 1894 में उपलब्ध नहीं था।

(138) अधिनियम, 2013 द्वारा भूमि अर्जन तथा न्यायोचित एवं ऋजु प्रतिकर प्रदान करने के लिए एक नवीन तंत्र स्थापित किया गया है। अधिनियम, 2013 केवल भूमि अथवा संपत्ति के स्वामियों तक सीमित नहीं है, अपितु प्रभावित कुटुम्बों तथा विस्थापित व्यक्तियों को भी प्रतिकर के माध्यम

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से प्रतिपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पुनर्वासन और पुनःस्थापन जैसे अमौद्रिक प्रतिकर भी सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में हम धारा 3 (सी), 3 (के), 3 (एम), 3 (एन), 3 (पी), 3 (क्यू), 3 (आर), 3 (टी), धारा 3 (जेडए), धारा 3 (जेडसी) और 3 (जेडई) का उल्लेख कर सकते हैं। उपरोक्त परिभाषा-खंडों का केवल अवलोकन करने से ही 'प्रभावित कुटुम्ब', 'विस्थापित कुटुम्ब', 'कुटुम्ब', 'भूमि-धारण', 'भूमि', 'भूमिहीन', 'भू-स्वामी', 'सीमांत कृषक', 'लोक प्रयोजन' तथा 'पुनःस्थापन क्षेत्र' जैसे पदों के संबंध में यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम, 2013 द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम का पूर्ण पुनर्गठन किया गया है, ताकि भू-स्वामी तथा संपत्ति-स्वामी के अनुकूल ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके, जिससे न्यायोचित एवं ऋजु प्रतिकर सुनिश्चित हो, जो पूर्ववर्ती विधि के अधीन सुनिश्चित नहीं था।

(139) इसके पश्चात् अध्याय II आता है, जो सामाजिक प्रभाव तथा लोक प्रयोजन के अवधारण से संबंधित है। इसके अधीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन एवं प्रक्रिया की जाती है, जिससे न्यायोचित एवं ऋजु प्रतिकर तथा भूमि-अर्जन को सुगम बनाया जा सके। ऐसी व्यवस्था अधिनियम, 1894 अथवा अधिनियम, 1965 में विद्यमान नहीं थी। धारा 4(4) उन विषयों का उल्लेख करती है जिन्हें उप-धारा (1) में बताए गए 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन' में शामिल किया जाना है, और वे निम्नलिखित हैं:

"(क) यह निर्धारण कि प्रस्तावित अर्जन लोक प्रयोजन की पूर्ति करता है या नहीं;

(ख) ***प्रभावित कुटुम्बों की संख्या तथा उनमें से विस्थापित किए जाने की संभावना वाले कुटुम्बों की संख्या का आकलन****;*

(ग) प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने वाली सार्वजनिक तथा निजी भूमि, भवनों, बस्तियों तथा अन्य सामुदायिक संपत्तियों की सीमा;

(घ) यह कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि परियोजना के लिए आवश्यक परम न्यूनतम सीमा के बराबर है या नहीं;

(ङ) क्या किसी वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया और उसे अव्यावहारिक पाया गया;;

(च) परियोजना के सामाजिक प्रभाव तथा उसके निवारण की प्रकृति और व्यय का अध्ययन तथा परियोजना के लाभों की तुलना में इन लागतों का परियोजना की समग्र लागत पर प्रभाव:

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परंतु यह कि, यदि कोई पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया जाना है, तो वह साथ-साथ किया जाएगा और उसका किया जाना सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की पूर्णता पर निर्भर नहीं होगा।"

(140) इस संदर्भ में धारा 4 की उपधाराएँ (5) और (6) भी प्रासंगिक हैं, जो निम्नलिखित हैं :

"(5) उपधारा (1) के अधीन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करते समय समुचित सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न घटकों पर परियोजना के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगी, जैसे–प्रभावित कुटुम्बों की आजीविका; लोक एवं सामुदायिक संपत्तियाँ; परिसंपत्तियाँ तथा आधारभूत संरचनाएँ, विशेषतः मार्ग, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकास, स्वच्छता, पेयजल के स्रोत, पशुओं के लिए जल के स्रोत, सामुदायिक तालाब, चरागाह, वृक्षारोपण; डाकघरों, उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य भंडार-गृहों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य-सेवा सुविधाओं, विद्यालयों तथा शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण-सुविधाओं, आंगनबाड़ियों, बाल उद्यानों जैसे लोक-उपयोगी साधनों; उपासना-स्थलों; परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए भूमि तथा शव-समाधि एवं अंत्येष्टि-स्थलों पर परियोजना का प्रभाव।

(6) समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने वाले प्राधिकरण से सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करने की अपेक्षा करेगी, जिसमें उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट घटक पर पड़ने वाले प्रभाव के निवारण हेतु किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सूची होगी; और ऐसे उपाय उस क्षेत्र में केंद्र सरकार अथवा, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र में प्रवर्तित किसी योजना या कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए उपायों से कम नहीं होंगे।"

(141) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन मात्र से ही स्वतःस्पष्ट हो जाता है कि न्यायोचित, ऋजु और समतापूर्ण प्रतिकर तथा अर्जन-कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है।

(142) धारा 6 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के प्रकाशन तथा उसे स्थानीय भाषा में पंचायत, नगरपालिका अथवा नगर निगम तथा जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है। इसके पश्चात् धारा 7 के अधीन उक्त अध्ययन का विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात् धारा 8 के अधीन भूमि अर्जन के प्रस्तावों तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन आख्या की समुचित सरकार द्वारा परीक्षा की जाती है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(143) हम अधिनियम, 2013 में अधिसूचनाओं आदि के प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंधों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं और सीधे धारा 16 की ओर आते हैं, जो प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना तैयार किए जाने से संबंधित है। इसे अध्याय II में अंतर्विष्ट धाराओं 6 से 9 के उपबंधों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि अध्याय II के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना तैयार करने के लिए प्रासंगिक तथा सहायक है।

अधिनियम, 2013 की धाराएँ 16 और 17 निम्नलिखित हैं :

"16. प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना तैयार किया जाना–(1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित किए जाने पर, पुनर्वासन और पुनःस्थापन के प्रशासक द्वारा प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण तथा जनगणना, विहित रीति से और विहित समय के भीतर, की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(क) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब की अर्जित की जा रही भूमि तथा स्थावर संपत्तियों का विवरण;

(ख) भूमि से वंचित व्यक्तियों तथा उन भूमिहीन व्यक्तियों की, जिनकी आजीविका मुख्यतः अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है, उनकी आजीविका की क्षति का विवरण;

(ग) लोक-उपयोगी साधनों तथा उन शासकीय भवनों की सूची, जो प्रभावित हैं अथवा प्रभावित होने की संभावना है, जहाँ प्रभावित कुटुम्बों का पुनःस्थापन अपेक्षित है;

(घ) उन सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनात्मक साधनों का विवरण, जो प्रभावित हैं अथवा प्रभावित होने की संभावना है, जहाँ प्रभावित कुटुम्बों का पुनःस्थापन अपेक्षित है; और

(ङ) अर्जित की जा रही किसी भी सामुदायिक संपदा के साधनों का विवरण।

(2) प्रशासक उपधारा (1) के अधीन किए गए सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित रीति से, पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक भू-स्वामी तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति, जिनकी आजीविका मुख्यतः अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है, के पुनर्वासन और पुनःस्थापन संबंधी अधिकारों का विवरण सम्मिलित होगा तथा जहाँ प्रभावित कुटुम्बों का पुनःस्थापन अपेक्षित हो, वहाँ–

(i) पुनःस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले शासकीय भवनों की सूची;

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) पुनःस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली लोक-सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनात्मक साधनों का विवरण।

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना के प्रारूप में पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा सम्मिलित होगी।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना के प्रारूप को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार के माध्यम से स्थानीय रूप से ज्ञात कराया जाएगा तथा संबंधित ग्राम सभाओं अथवा नगरपालिकाओं में उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई की तिथि, समय और स्थान का पर्याप्त प्रचार किए जाने के पश्चात्, लोक सुनवाई ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाए:

परंतु यह कि, जहाँ किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका सम्मिलित हो, वहाँ प्रत्येक ऐसी ग्राम सभा और नगरपालिका में लोक सुनवाई की जाएगी, जहाँ उस ग्राम सभा अथवा नगरपालिका से संबंधित पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित की जा रही हो:

परंतु यह भी कि, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (40/1996) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(6) प्रशासक लोक सुनवाई पूर्ण होने पर, लोक सुनवाई में प्रस्तुत दावों और आक्षेपों के संबंध में विशिष्ट आख्या सहित पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना का प्रारूप कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

17. पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना का पुनर्विलोकन–

(1) कलेक्टर धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन प्रशासक द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रारूप का, धारा 45 के अधीन गठित परियोजना-स्तरीय पुनर्वासन और पुनःस्थापन समिति के साथ, पुनर्विलोकन करेगा।

(2) कलेक्टर पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना के प्रारूप को अपनी संस्तुतियों सहित योजना के अनुमोदन के लिए पुनर्वासन और पुनःस्थापन आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।"

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(144) पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना के अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, धारा 18 के अधीन उसे सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। पुनर्वासन और पुनःस्थापन योजना का सार धारा 19 के अधीन प्रकाशन द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है।

(145) इसके पश्चात् धारा 26 कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य के अवधारण से संबंधित है। यह उपबंध अधिनियम, 2013 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित है। वह इस प्रकार है :

"26. कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण–

(1) कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और अवधारण करने में निम्नलिखित मापदंड अपनाएगा, अर्थात्–

(क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, विक्रय-विलेखों अथवा, यथास्थिति, विक्रय के समझौतों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (2/1899) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या

(ख) निकटतम ग्राम अथवा निकटतम समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित इसी प्रकार की भूमि का औसत विक्रय मूल्य; या

(ग) निजी कंपनियों अथवा लोक-निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की दशा में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन सहमत प्रतिकर की वह राशि, जिस पर सहमति हुई हो, इनमें से जो अधिक हो।

परंतु यह कि, बाजार मूल्य के अवधारण की तारीख वह तारीख होगी, जिसको धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

स्पष्टीकरण 1.– खंड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय मूल्य का अवधारण उस ग्राम अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में समान प्रकार के क्षेत्र के लिए पंजीकृत विक्रय-विलेखों अथवा विक्रय के समझौतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो उस वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत हुए हों, जिसमें ऐसी भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

स्पष्टीकरण 2.– स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय मूल्य का अवधारण करने के लिए, उन विक्रय-विलेखों अथवा विक्रय के समझौतों की कुल संख्या में से आधी संख्या को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें सर्वाधिक विक्रय मूल्य उल्लिखित है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण 3.– इस धारा के अधीन बाजार मूल्य तथा स्पष्टीकरण 1 अथवा स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय मूल्य का अवधारण करते समय, जिले में पूर्व अवसर पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

*(2) **उपधारा (1) के अनुसार परिकलित बाजार मूल्य को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले गुणक से गुणा किया जाएगा।"***

(3) जहां उप-धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बाजार मूल्य इस कारण से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि-

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां भूमि में लेनदेन उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिबंधित है; या

(ख) इसी तरह की भूमि के लिए उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित विक्रय के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख या समझौते तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं; या

(ग) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (2 सन् 1899) के अंतर्गत बाजार मूल्य विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, संबंधित राज्य सरकार तत्काल आस-पास के क्षेत्रों में स्थित इसी प्रकार की भूमि के संबंध में उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना किए गए मूल्य के आधार पर उक्त भूमि के न्यूनतम मूल्य अथवा प्रति इकाई क्षेत्र का न्यूनतम मूल्य विनिर्दिष्ट करेगी: परंतु कि ऐसे मामले में जहां आवश्यकता निकाय भूमि के अधिग्रहण के लिए एक भाग प्रतिकर के रूप में भूमि के स्वामियों (जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) को अपने अंश प्रदान करता है, ऐसे अंश किसी भी स्थिति में उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन परिकलित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो:

परंतु कि आवश्यक निकाय किसी भी स्थिति में भूमि के किसी भी स्वामी (जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) को अपने अंशों को लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा, जिसका मूल्य उपधारा (1) के अधीन गणना की गई भूमि के मूल्य में कटौती योग्य है:

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परंतु कि कलेक्टर, किसी भी क्षेत्र में किसी भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को संशोधित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा:

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और शासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए निर्धारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और शासित करने के अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा।"

धारा 26 (2) में निर्दिष्ट पहली अनुसूची निम्नानुसार है:

"प्रथम अनुसूची

[धारा 30(2) देखें]

भूमि स्वामियों के लिए प्रतिकर

निम्नलिखित घटक उन लोगों को दिए जाने वाले न्यूनतम प्रतिकर पैकेज का गठन करेंगे जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है और धारा 3 के खंड (सी) में निर्दिष्ट किरायेदारों को समुचित सरकार द्वारा तय किए जाने वाले अनुपात में।

क्रम संख्या (1)	***अधिनियम के अधीन अधिग्रहित भूमि में प्रतिकर पैकेज का घटक*** (2)	***मूल्य के निर्धारण का प्रकार*** (3)	***मूल्य के निर्धारण की तिथि*** (4)
1.	*भूमि का बाजार मूल्य*	*धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना।*	
2.	*वह कारक जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है*	*शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर 1.00 (एक) से 2.00 (दो) तक, जैसा कि उपयुक्त*	

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
3.	*वह कारक जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है*	*1 (एक)।*
4.	*भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य*	*धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना*
5.	*सांत्वना राशि*	*क्रम संख्या 1 के समक्ष उल्लिखित भूमि के बाजार मूल्य के एक सौ प्रतिशत के बराबर को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्या 2 या शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम संख्या 3 के समक्ष निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाना और स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्या 4 के समक्ष भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य।*
6.	*ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय*	*क्रम संख्या 1 के समक्ष उल्लिखित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्या 2 के समक्ष निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाना और*

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		स्तंभ (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 4 के समक्ष उल्लिखित भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य तथा स्तंभ (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 5 के समक्ष उल्लिखित सांत्वना राशि
7.	*शहरी क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय*	*क्रम संख्या 1 के समक्ष उल्लिखित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्या 3 के समक्ष निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाना और स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्या 4 के समक्ष उल्लिखित भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य और स्तंभ (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 5 के समक्ष उल्लिखित सांत्वना राशि।*
8.	*अन्य घटक, यदि कोई हो, का सम्मिलित किया जाना*	

टिप्पणी.-जिस तिथि को स्तंभ (2) के अधीन उल्लिखित मान निर्धारित किए जाते हैं, उसे प्रत्येक क्रम संख्या के समक्ष स्तंभ (4) के अधीन इंगित किया जाना चाहिए।"

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(146) धारा 27 प्रतिकर की राशि, यानी कुल मौद्रिक प्रतिकर के निर्धारण से संबंधित है, और धारा 28 अधिनिर्णयों के निर्धारण में कलेक्टर द्वारा विचार किए जाने वाले मापदंडों से संबंधित है। धारा 29 भूमि या भवन से जुड़ी चीजों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित है, और धारा 30 सांत्वना राशि के अधिनिर्णय से संबंधित है।

(147) अधिनियम, 1894 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर के प्रावधानों के संयुक्त रूप से पढ़ने पर, जैसा कि अधिनियम, 1965 और अधिनियम, 2013 पर लागू होता है, जैसा कि यहां ऊपर संदर्भित और उद्धृत किया गया है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि अधिनियम, 2013 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर भी अधिनियम, 1894 और अधिनियम, 1965 के अधीन उपलब्ध की तुलना में अधिक और अधिक उपयोगी है, जिसका अर्थ है, एक भूमि/संपत्ति के स्वामी आदि, जिसकी भूमि अधिनियम, 2013 के अधीन अधिग्रहित की गई है, को अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि स्वामी की तुलना में अधिक मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा। व्यक्ति हित शब्द को धारा 3 (x) में भी परिभाषित किया गया है और इसे अधिनियम, 2013 जैसे धारा 21 आदि में संदर्भित किया गया है, लेकिन प्रतिकर, पुनर्वास और पुन:स्थापन के संदर्भ में अधिनियम, 1894 के अधीन परिभाषा की तुलना में इसका एक बड़ा और व्यापक अर्थ है।

(148) सुविधा के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 और अधिनियम, 2013 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित संगत उपबंधों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए एक तालिका नीचे दी जा रही है:

विवरण	**भूमि अर्जन अधिनियम, 1894**	**अधिनियम, 2013**
बाजार मूल्य	धारा 23(1): धारा 4 की अधिसूचना की तिथि पर बाजार मूल्य	धारा 26: धारा 11 की अधिसूचना की तिथि को पहली अनुसूची के अधीन गुणक के साथ स्टाम्प मूल्य, औसत बिक्री मूल्य, या सहमति राशि (पीपीपी/निजी परियोजनाएं) का उच्चतम

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

गुणक	कोई गुणक नहीं	धारा 26 (2) बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में निर्धारित कारक से गुणा किया जाता है (विशेष रूप से ग्रामीण भूस्वामियों को लाभ पहुंचाता है)
भवनों, पेड़ों और संलग्न परिसंपत्तियों का मूल्य	धारा 23 के अधीन विचारित खड़ी फसलों और पेड़ों के लिए क्षति	धारा 27 में स्पष्ट रूप से भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियां सम्मिलित हैं; धारा 29 भवनों, पेड़ों, फसलों और अन्य परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ मूल्यांकन का प्रावधान करती है
अन्य क्षति	विच्छेद, हानिकारक स्नेह, स्थानांतरण खर्चों, लाभ की हानि के लिए प्रतिकर	धारा 28 के अधीन एक ही शीर्ष, एक अतिरिक्त निष्पक्षता और न्याय खंड के साथ
अतिरिक्त राशि (12%)	धारा 23(1क):12% प्रति वर्ष, धारा 4 अधिसूचना से अधिनिर्णय या कब्जे तक, जो भी पहले हो,	धारा 30(3): सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना से अधिनिर्णय या कब्जे तक, जो भी पहले हो,
सांत्वना राशि	धारा 23(2): **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) प्रकरण के अनुसार, बाजार मूल्य का 30%	धारा 30(1) : प्रतिकर राशि का 100%
पुनर्वास और पुन:स्थापन पर	विस्थापितों के स्थान पर कोई मौद्रिक प्रतिकर नहीं	पुनर्वास और पुन:स्थापन के अलावा विस्थापन के लिए धारा 47 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(149) उपरोक्त तालिका के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1894 के अधीन प्रतिकर की राशि धारा 4 के अधीन अधिसूचना की तिथि के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन, किसी गुणक का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि, इस तरह के प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के अधीन बाजार मूल्य, यदि कोई हो, के आधार पर किया जाता है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में विक्रय-विलेख या विक्रय के लिए समझौतों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट है, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है या; धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (क) में दर्शाए गए बाजार मूल्य या उप-धारा (2) खंड (ग) की उप-धारा (ii) के अधीन सहमति के रूप में प्रतिकर की सहमति की राशि के रूप में समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य, जो भी अधिक हो, धारा 11 के अधीन अधिसूचना की तिथि के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 26 की उप-धारा (1) के अनुसार गणना किए गए बाजार मूल्य को प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

(150) प्रथम अनुसूची के पठन मात्र से पता चलता है कि न्यायसंगत और उचित प्रतिकर के निर्धारण के लिए एक बहुत अधिक तर्कसंगत मानदंड निर्धारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1894 के अधीन निर्धारित किए गए से अधिक होना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 27 अधिनियम, 1894 की धारा 23 की तुलना में भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि बाजार मूल्य आदि के आधार पर प्रतिकर की कुल राशि की गणना करते समय, भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, न कि केवल खड़ी फसलों और पेड़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसी तरह अधिनियम, 2013 की धारा 28 में उल्लिखित प्रतिकर कारकों के निर्धारण के लिए प्रावधान धारा 23 में उल्लिखित कारकों की तुलना में कहीं अधिक तर्कसंगत और उपयोगी हैं, विशेष रूप से, इसमें उल्लिखित कारकों में से एक किसी अन्य अनुदान (पूर्ववर्ती खंडों में उल्लिखित नहीं) के संबंध में है जो प्रभावित परिवार के लिए समानता, न्याय और लाभकारी के हित में हो सकता है जो व्यापक दायरे वाले शब्द हैं और भूमि/संपत्ति स्वामियों के लिए कहीं अधिक उपयोगी हैं।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(151) इसी तरह, जब हम दो अधिनियमों के अधीन देय सांत्वना राशि पर विचार करते हैं, जबकि अधिनियम, 1894 के अधीन धारा 23(2) के अधीन, ***जैनुल इस्लाम*** (उपरोक्त) के संदर्भ में बोर्ड पर लागू होता है, तो यह बाजार मूल्य के 30% की दर से देय होता है, जबकि अधिनियम, 2013 की धारा 30 (1) के अधीन, यह प्रतिकर राशि का 100% है।

(152) अतिरिक्त राशि के विषय में, धारा 23(1क) के अधीन धारा 4 के अधीन अधिसूचना की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से अधिनिर्णय या कब्जा, जो भी पहले हो, निर्धारित किया जाना है, जबकि, अधिनियम, 2013 की धारा 30(3) के अधीन 12% प्रति वर्ष का समान लाभ निर्धारित किया गया है, लेकिन, धारा 4 (2) के अधीन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की तिथि से लेकर अधिनिर्णय या कब्जे, जो भी पहले हो, अर्थात् पहले की तिथि से।

(153) अधिनियम, 2013 के अधीन पुनर्वास और पुन:स्थापन के अतिरिक्त लाभ के संबंध में भी, उक्त लाभ के अलावा मौद्रिक प्रतिकर का एक घटक है, जैसा कि धारा 47 से स्पष्ट है, जबकि 1894 के अधिनियम के अधीन ऐसा कोई घटक नहीं है।

(154) धारा 31 (अध्याय V) पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनिर्णय से संबंधित है। इस प्रकार, मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित एक अधिनिर्णय के अलावा, प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुन:स्थापन से संबंधित एक और, विशिष्ट अधिनिर्णय कलेक्टर द्वारा दिया जाना है। इस संबंध में धारा 31 निम्नलिखित है:

"31. कलेक्टर द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनिर्णय-(1) कलेक्टर द्वितीय अनुसूची में प्रदान किये गये अधिकारों के संदर्भ में प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनिर्णय पारित करेगा।

(2) पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) परिवार को देय पुनर्वास और पुन:स्थापन राशि;

(ख) उस व्यक्ति का बैंक खाता संख्या जिसे पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनिर्णय की राशि अंतरित की जानी है;

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(ग) विस्थापित परिवारों के मामले में आवंटित किए जाने वाले आवास स्थल और आवास का विवरण क्या है;

(घ) विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि का विवरण क्या है;

(ङ) विस्थापित परिवारों के मामले में एकमुश्त निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ता का विवरण;

(च) मवेशी शेड और छोटी दुकानों के लिए भुगतान का विवरण;

(छ) कारीगरों और छोटे व्यापारियों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि का विवरण क्या है;

(ज) प्रभावित परिवारों के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले अनिवार्य रोजगार का विवरण क्या है;

(झ) किसी भी मछली पकड़ने के अधिकार का विवरण जो सम्मिलित हो सकता है;

(ञ) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य अधिकारों का विवरण;

(ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले विशेष उपबंधों का विवरण

परंतु कि खंड (क) से (ट) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भी मामला किसी भी प्रभावित परिवार पर लागू नहीं होता है, तो उसे "लागू नहीं" के रूप में दर्शाया जाएगा:

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार, मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित परिवारों को देय पुनर्वास और पुन:स्थापन राशि की दर में अधिसूचना द्वारा वृद्धि कर सकती है।"

(155) धारा 31 में संदर्भित दूसरी अनुसूची निम्नलिखित है:

"द्वितीय अनुसूची"

[देखें धारा 31(1). 38(1) एवं 105(3)]

प्रथम अनुसूची में उपबंधित हकदारियों के अतिरिक्त, सभी प्रभावित परिवारों (भूमि-स्वामी तथा ऐसे परिवार, जिनकी आजीविका मुख्यतः अर्जित की गई भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी हकदारियों के अवयव

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

क्रम संख्या	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी हकदारियों के अवयव	हकदारी/प्रावधान	प्रदान किया गया है अथवा नहीं (यदि प्रदान किया गया हो, तो उसका विवरण दिया जाए)
1.	विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई आवास प्रभावित होता है, तो इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुरूप एक निर्मित आवास प्रदान किया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्र में कोई आवास प्रभावित होता है, तो कम से कम 50 वर्ग मीटर के अधिष्ठान क्षेत्रफल वाला एक निर्मित आवास प्रदान किया जाएगा। (2) उपर्युक्त उल्लिखित लाभ ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार को भी प्रदान किए जाएंगे, जिसके पास गृहस्थल भूमि नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तिथि से ठीक पहले कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि से उस क्षेत्र में निरंतर निवास कर रहा है तथा जिसे ऐसे	

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है: परंतु यह कि, शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई परिवार, जो प्रस्तावित आवास को स्वीकार न करने का विकल्प चुनता है, आवास के निर्माण हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी: परंतु यह भी कि, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित परिवार ऐसा विकल्प चुनता है, तो निर्मित आवास के स्थान पर उस आवास की समतुल्य लागत प्रदान की जा सकेगी: यह भी प्रावधानित है कि, अधिग्रहण से प्रभावित किसी परिवार को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण– शहरी क्षेत्रों में आवास, यदि आवश्यक हो, तो	

Translated Version. Not For Legal Use.

		बहुमंजिला भवन परिसरों में प्रदान किए जा सकते हैं।	
2.	भूमि के बदले भूमि	सिंचाई परियोजना के प्रकरण में, यथासंभव, अर्जित भूमि के लिए देय प्रतिकर के स्थान पर, प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रखने वाले ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार को, जिसकी भूमि अर्जित कर ली गई है अथवा जिसके द्वारा भूमि खो दी गई है, अथवा जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आ गया है, प्रभावित परिवार से संबंधित अधिकार-अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर, उस परियोजना के कमान क्षेत्र में, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, कम-से-कम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। परंतु यह कि, प्रत्येक परियोजना में	

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है, अर्जित भूमि के बराबर भूमि अथवा ढाई एकड़ भूमि, इनमें से जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।	
3.	विकसित भूमि का प्रस्ताव	यदि भूमि शहरीकरण के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाती है, तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग परियोजना प्रभावित भूमि-स्वामी परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और उन्हें उनकी अर्जित की गई भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में, अर्जन की लागत तथा विकास की लागत के बराबर मूल्य पर, प्रदान किया जाएगा। परंतु यह कि, यदि परियोजना प्रभावित भूमि-स्वामी परिवार इस प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे देय भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज में से	

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		इसके समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।	
4.	वार्षिकी अथवा सेवायोजन का विकल्प	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएँ: (क) जहाँ परियोजना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, वहाँ आवश्यक क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को परियोजना में ऐसा सेवायोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें पारिश्रमिक की दर तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम नहीं होगी; अथवा आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य ऐसी परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की	

Translated Version. Not For Legal Use.

		जाएगी; या (ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को पाँच लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा; या (ग) ऐसी वार्षिकी पॉलिसी प्रदान की जाएँगी, जिनके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को बीस वर्ष की अवधि तक प्रति माह कम-से-कम दो हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा तथा इसमें कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार उपयुक्त अनुक्रमण किया जाएगा।	
5.	विस्थापित परिवारों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह अनुदान	अर्जित भूमि से विस्थापित किए गए प्रत्येक प्रभावित परिवार को, अधिनिर्णय की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, प्रति माह तीन हजार रुपये के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उक्त राशि के अतिरिक्त, अनुसूचित	

Translated Version. Not For Legal Use.

		क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पचास हजार रुपये के समतुल्य राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की स्थिति में, यथासंभव, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास समान पारिस्थितिक क्षेत्र में किया जाएगा, ताकि जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्कृति तथा सामुदायिक जीवन का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।	
6.	विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन व्यय	विस्थापित किए गए प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवार के सदस्यों, निर्माण सामग्री, सामान तथा पशुधन के स्थानांतरण हेतु परिवहन व्यय के रूप में पचास हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	
7.	पशुशाला/छोटी दुकानों का निर्माण व्यय	पशुधन रखने वाले अथवा छोटी दुकान संचालित करने वाले प्रत्येक प्रभावित	

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

		परिवार को क्रमशः पशुशाला अथवा छोटी दुकान के निर्माण के लिए ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो किसी भी दशा में पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगी।	
8.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों को एकमुश्त अनुदान	कारीगर, लघु व्यापारी या स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित परिवार अथवा ऐसे प्रभावित परिवार, जिसके पास प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा संस्थागत संरचना थी और जो भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है, को ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो किसी भी दशा में पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगी।	
9.	मत्स्य पालन के अधिकार	सिंचाई अथवा जलविद्युत परियोजनाओं के	

Translated Version. Not For Legal Use.

		प्रकरण में, प्रभावित परिवारों को जलाशयों में मत्स्य पालन के अधिकार ऐसी रीति से प्रदान किए जा सकेंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।	
10.	एकमुश्त पुनर्स्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित परिवार को पचास हजार रुपये मात्र का एकमुश्त "पुनर्स्थापन भत्ता" प्रदान किया जाएगा।	
11.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	(1) प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या आवास के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क तथा अन्य शुल्क का वहन अपेक्षित निकाय द्वारा किया जाएगा। (2) प्रभावित परिवारों को आवास के लिए आवंटित भूमि सभी भारों एवं दायित्वों से मुक्त होगी। (3) आवंटित भूमि या आवास प्रभावित परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नामों में हो सकता है।	]

(156) इस संदर्भ में हम उचित प्रतिकर और भूमि अर्जन में पारदर्शिता, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन तथा विकास योजना) नियम,

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2015 का भी उल्लेख कर सकते हैं, विशेष रूप से उसके नियम 7 का, जो पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना आदि तैयार किए जाने से संबंधित है।

(157) धारा 32 पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने से संबंधित है और यह निम्नलिखित रूप में है:

"32. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान।–इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में, समाहर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ तथा न्यूनतम मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।"

(158) यह तथ्य कि दो पृथक् अधिनिर्णय पारित किए जाने हैं–एक मौद्रिक प्रतिकर के लिए तथा दूसरा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए, जो गैर-मौद्रिक प्रतिकर का एक रूप है–वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 33 से स्पष्ट होता है।

(159) बहुविध विस्थापन की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर के संबंध में धारा 39 में एक विशेष उपबंध किया गया है, जिसके संबंध में अधिनियम, 1965 अथवा अधिनियम, 1894 में कोई उपबंध नहीं है। धारा 42 प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को उपलब्ध आरक्षण तथा अन्य लाभों से संबंधित है, जिन्हें पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी जारी रखा जाना है।

(160) अध्याय VI पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और रीति से संबंधित है। धाराएँ 43 से 47 प्रासंगिक हैं। धारा 47 उस दशा में, जब समाहर्ता की राय में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दायित्वों को मौद्रिक राशि में परिमाणित किया जा सकता है, अर्जनकारी निकाय द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि के परिमाण-निर्धारण तथा जमा किए जाने से संबंधित है। ऐसी दशा में, वह ऐसी राशि को एक खाते में जमा करने की अनुमति देगा, जिससे उक्त दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। इस खाते का प्रशासन धारा 43 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा, समाहर्ता के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। धारा 47 निम्नलिखित रूप में है:

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

" 47. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की राशि का परिमाण-निर्धारण तथा जमा किया जाना।–जहाँ समाहर्ता की यह राय है कि अर्जनकारी निकाय के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दायित्वों को मौद्रिक राशि में परिमाणित किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी राशि को एक खाते में जमा करने की अनुमति देगा, जिससे उक्त दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। उक्त खाते का प्रशासन धारा 43 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा, समाहर्ता के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।"

(161) यह उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अर्जनकारी निकाय के दायित्व को मौद्रिक राशि में परिमाणित किए जाने तथा ऐसे दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि के लिए उक्त राशि को एक खाते में जमा किए जाने की अनुमति देता है।

(162) धारा 93 उस दशा में प्रतिकर के संदाय से संबंधित है, जब अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती और उसे वापस ले लिया जाता है। धारा 94 आवास या भवन के किसी भाग के अर्जन से संबंधित है। धारा 101 किसी अप्रयुक्त भूमि को वापस किए जाने से संबंधित है।

(163) जब हम अधिनियम, 2013 की धाराओं 3, 4 से 9, 16, 31 तथा 32 का अवलोकन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिनिर्णय उस प्रभावित परिवार के लिए होता है, जो विस्थापित हुआ है। यह बात धारा 3 में निहित 'प्रभावित परिवार', 'विस्थापित परिवार', 'परिवार' तथा 'पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र' आदि की परिभाषाओं को पूर्वोक्त उपबंधों अर्थात् धाराओं 16, 17, 31 आदि के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट होती है। वास्तव में, रोचक तथ्य यह कि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधिनिर्णय में धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ए) से (के) में उल्लिखित सभी लाभों को सम्मिलित किया जाना है, जिनका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, जब तक कि वे किसी प्रभावित परिवार पर लागू न हों। ऐसी दशा में अधिनिर्णय में उनके संबंध में 'लागू नहीं' अंकित किया जाना है।

(164) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ए) में परिवार को देय 'पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि' का उल्लेख किया गया है। अतः उनके विस्थापन के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि के रूप में एक राशि का संदाय किया जाना है। यह बात प्रासंगिक है और इसे अधिनियम, 2013 की धारा

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

47 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधिनिर्णय में भी एक मौद्रिक घटक/प्रतिकर होता है। निस्संदेह, इसमें गैर-मौद्रिक घटक/प्रतिकर भी होता है, जैसा कि खंड (सी) से स्पष्ट है, जिसमें "विस्थापित परिवारों की दशा में आवंटित किए जाने वाले आवास स्थल और आवास का विवरण" उल्लिखित है, तथा खंड (बी) में "विस्थापित परिवारों को आवंटित की गई भूमि का विवरण" दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों की दशा में एकमुश्त निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता, गोशाला और छोटी दुकानों के लिए संदाय, कारीगरों और लघु व्यापारियों को एकमुश्त राशि, प्रभावित परिवारों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान किया जाना, जहाँ लागू हो वहाँ मछली पकड़ने के अधिकार, वार्षिकी तथा अन्य हकदारियाँ, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध भी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधिनिर्णय में सम्मिलित किए जाने हैं। यह बात धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ई) से (के) से स्पष्ट होती है। धारा 31 का द्वितीय परंतुक भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसमें यह उपबंध किया गया है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि की दर में वृद्धि कर सकती है। अधिनियम, 1965 अथवा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। प्रथमदृष्टया, ये उपबंध भूमि-स्वामियों आदि तथा विस्थापित परिवारों के लिए अधिक लाभकारी हैं।

(165) ये सभी लाभ धारा 28 के अधीन अवधारित मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त हैं, न कि उसके विकल्प के रूप में। दो पृथक् अधिनिर्णय–एक 'प्रतिकर' के संबंध में और दूसरा 'पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन' के संबंध में–समाहर्ता द्वारा पारित किए जाने हैं, जैसा कि धारा 30 से स्पष्ट है, जो मौद्रिक प्रतिकर के संबंध में अधिनिर्णय से संबंधित है। धारा 31 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधिनिर्णय से संबंधित है। धारा 33 में यह कहा गया है कि 'ऐसा निर्देश किए जाने से पूर्व, आदेश द्वारा, **दोनों में से किसी अधिनिर्णय** में हुई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।' इसमें प्रयुक्त शब्द 'दोनों में से किसी अधिनिर्णय में' भी इस तथ्य के सूचक हैं कि अधिनियम, 2013 के अधीन दो अधिनिर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(166) निस्संदेह, जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम, 1965 की धारा 21 में पुनर्वास योजना तैयार करने का उपबंध है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी आवास या सुधार योजना के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित हो गए हैं या विस्थापित होने की संभावना है, अथवा जिनका किसी क्षेत्र से हटाया जाना उस क्षेत्र में भीड़ कम करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, अर्जन के बदले पुनर्स्थापन, अर्थात् पुनर्वासन के रूप में गैर-मौद्रिक प्रतिकर की परिकल्पना अधिनियम, 1965 की धारा 21 में भी की गई है। किंतु वे परिस्थितियाँ, जिनमें ऐसी पुनर्वासन योजनाएँ तैयार की जानी हैं, तथा इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यविधि का उपबंध अधिनियम, 1965 में नहीं किया गया है। इस संबंध में किसी विनियम आदि में किए गए किसी अन्य उपबंध को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनियम, 1965 की धारा 21 के उपबंधों की तुलना अधिनियम, 2013 के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों से करने पर दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। बाद वाले उपबंध अधिक लाभकारी, न्यायसंगत और उचित हैं। धारा 21 नीचे उद्धृत की जाती है:

"धारा 21. पुनर्वास योजना– जब कभी बोर्ड की यह राय हो कि निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है–

(क) जो इस अधिनियम के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित हो गए हैं या विस्थापित होने की संभावना है; या

(ख) जिनका किसी क्षेत्र से हटाया जाना उस क्षेत्र में भीड़ कम करने के लिए आवश्यक है,

तो बोर्ड ऐसे आवासीय भवनों और दुकानों के निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए अथवा ऐसी खुली भूमि के खंड उपलब्ध कराने के लिए, जिनके साथ आवश्यकतानुसार सड़कें, गलियाँ और खुले स्थान हों, पुनर्वास योजना बना सकता है।"

(167) जब हम अधिनियम, 1965 की धारा 21 का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि इसमें केवल बोर्ड के विवेकाधिकार पर पुनर्वासन योजना बनाए जाने का उपबंध किया गया है, किंतु इस संबंध में आगे की कार्यविधि अथवा यह कि अर्जन की योजना के किस चरण पर ऐसी योजना तैयार की जानी है, इसका कोई उपबंध नहीं किया गया है। वर्तमान मामलों में ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है, जबकि अधिनियम, 2013 के अधीन अर्जन की कार्यवाही से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया की जाती है, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यही प्रक्रिया प्रतिकर से संबंधित

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे की कार्यवाही, जिसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन भी सम्मिलित है, का आधार होती है तथा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार के प्रतिकर साथ-साथ चलते हैं।

(168) जब अधिनियम, 2013 में निहित मौद्रिक तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के रूप में गैर-मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित पूर्वोक्त उपबंधों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है और उनकी तुलना अधिनियम, 1965 तथा उस पर लागू अधिनियम, 1894 के उपबंधों से की जाती है, तो प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम, 2013 के उपबंधों में प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये उपबंध अधिनियम, 1965 तथा अधिनियम, 1894 के अधीन निर्धारित और उपलब्ध प्रतिकर की तुलना में, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सहित अधिक बेहतर, अधिक लाभकारी, न्यायसंगत और उचित प्रतिकर सुनिश्चित करते हैं। पूर्वोक्त अधिनियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह अंतर स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।

<u>प्रतिकर—क्या केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित है अथवा इसमें गैर-मौद्रिक प्रतिकर भी सम्मिलित है</u>

(169) अब हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि भूमि/संपत्ति के अर्जन के बदले दिया जाने वाला प्रतिकर क्या संकल्पनात्मक और वैधानिक रूप से केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित है, अथवा इसमें गैर-मौद्रिक प्रतिकर तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन जैसे अतिरिक्त लाभ भी सम्मिलित हो सकते हैं।

(170) इस संबंध में, जैसा कि पहले ही कहा गया है, अधिनियम, 1965 की धारा 21 स्वयं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन की परिकल्पना करती है। अतः अधिनियम, 1965 का अधिनियमन करते समय विधायिका इस बात से अवगत थी कि प्रतिकर द्वारा पुनर्स्थापन केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमें पुनर्वासन भी सम्मिलित हो सकता है, जैसा कि अधिनियम, 1965 की धारा 21 में परिकल्पित किया गया है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(171) बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित चतुर्वेदी ने, निस्संदेह, प्रस्तुत किया कि विद्वान न्याय-मित्र तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन सभी निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें मौद्रिक प्रतिकर का ही उल्लेख किया गया है। अर्थात् ऐसे मौद्रिक प्रतिकर के निर्धारण के लिए दो भिन्न मानक/मापदंड नहीं हो सकते। चूँकि वर्तमान मामले में मौद्रिक प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अनुसार अवधारित किया गया है और किया जाएगा, इसलिए विचारणीय प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तथा प्रतिकर के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

(172) तथापि, विद्वान न्याय-मित्र श्री अपूर्व तिवारी ने प्रस्तुत किया कि भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के पीछे निहित उद्देश्य को देखते हुए, इसे पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की तुलना में अधिक लाभकारी विधान के रूप में लागू किया गया है। इसमें न केवल मौद्रिक प्रतिकर, बल्कि गैर-मौद्रिक प्रतिकर का भी उपबंध किया गया है। अतः 'प्रतिकर' शब्द का अर्थ इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि उसमें मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार का प्रतिकर सम्मिलित है। अन्यथा, वर्ष 2013 का नया भूमि अर्जन अधिनियम लाने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। साथ ही, यह उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों की भावना और विधिक सिद्धांत के भी विरुद्ध होगा, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ तक उनकी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का संबंध है, सभी भूमि-स्वामी एक ही वर्ग का हिस्सा हैं।

(173) यह तथ्य कि **विठ्ठल राव** (उपरोक्त), **वसंत राव** (उपरोक्त) तथा **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) के मामलों में केवल मौद्रिक प्रतिकर ही विचाराधीन था, विधिक दृष्टि से विशेष महत्व अथवा परिणाम नहीं रखता। इसका सरल कारण यह है कि उस समय विचाराधीन एकमात्र प्रश्न यही था तथा अधिनियम, 1894 अथवा इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों में अनिवार्य अर्जन के संदर्भ में अधिनियम, 2013 में किए गए उपबंधों के अनुरूप उपबंध अस्तित्व में नहीं थे; निश्चित रूप से उस सीमा तक तो नहीं, जिस सीमा तक उन्हें अधिनियम, 2013 में सम्मिलित किया गया है। दूसरे, उक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। उनमें प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि प्रतिकर के विषय में अन्य उपबंधों की तुलना में कम लाभकारी वैधानिक उपबंधों को लागू करके भूमि-स्वामियों के साथ स्वेच्छाचारी और प्रतिकूल भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिकर मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार का है, तो उक्त विधिक सिद्धांत गैर-मौद्रिक प्रतिकर पर भी

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह मौद्रिक प्रतिकर पर लागू होता है, क्योंकि इस संबंध में भूमि/संपत्ति के स्वामियों के साथ विभेदकारी व्यवहार भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन निषिद्ध होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनमें प्रतिपादित विधिक सिद्धांत को ऐसे प्रतिकर की संकल्पना पर लागू किए जाने से रोकता हो, जिसमें अधिनियम, 2013 में उल्लिखित गैर-मौद्रिक प्रतिकर तथा अतिरिक्त लाभ भी सम्मिलित हों।

(174) वस्तुतः, अधिनियम, 1965 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसके विपरीत आशय प्रकट होता हो। बल्कि, अधिनियम, 1965 की धारा 21 स्वयं पुनर्वासन की परिकल्पना करती है। अतः श्री चतुर्वेदी का तर्क धारा 21 में निहित विधायी आशय के विपरीत है। तथापि, इस उपबंध में इसके कार्यान्वयन के लिए ऐसे आवश्यक तत्वों का अभाव है, जिनसे अधिनियम, 2013 में परिकल्पित निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

(175) ***हम शांतिलाल मंगलदास*** (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति के अर्जन के संदर्भ में 'प्रतिकर' की संकल्पना पर विचार किया गया था और प्रस्तर 26 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"26. अनुच्छेद 31 यह सुनिश्चित करता है कि अनिवार्य अर्जन का उपबंध करने वाले विधि में अर्जित संपत्ति के लिए प्रतिकर के अवधारण तथा उसके दिए जाने का उपबंध होना चाहिए। 'प्रतिकर' अभिव्यक्ति को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्रतिकर धनराशि के रूप में दिया जाता है। किंतु यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अनुच्छेद 31(2) द्वारा अनिवार्य अर्जन के लिए प्रत्याभूत प्रतिकर केवल धनराशि के रूप में ही दिया जाना चाहिए। ऐसी विधि, जो अधिगृहीत संपत्ति के स्वामी को अन्य संपत्ति का आवंटन करके उसकी क्षति की पूर्ति करने का उपबंध करती है, प्रतिकर का उपबंध करने वाली विधि मानी जा सकती है। सामान्य भाषा में 'प्रतिकर' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसी किसी वस्तु से है जो समानता स्थापित करने के लिए दी जाए; ऐसी वस्तु जो हानि की पूर्ति करने, क्षति की भरपाई करने, प्रतिफल देने, पारिश्रमिक देने या भुगतान करने के लिए दी जाए। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिकर केवल

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

धनराशि के रूप में ही दिया जाए। संवैधानिक उपबंध की भाषा से भी यह संकेत मिलता है कि प्रतिकर का धनराशि के रूप में होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि विधि उन सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके आधार पर तथा उस रीति को निर्धारित कर सकती है जिसके अनुसार प्रतिकर अवधारित और 'दिया' जाना है। यदि प्रतिकर केवल धनराशि के रूप में ही दिया जाना अभिप्रेत होता, तो 'दिया जाए' के स्थान पर 'संदत्त किया जाए' अभिव्यक्ति अधिक उपयुक्त होती।"

(176) उपर्युक्त निर्णय इस विधिक सिद्धांत का प्रामाणिक आधार है कि प्रतिकर केवल मौद्रिक ही नहीं, बल्कि गैर-मौद्रिक भी हो सकता है।

(177) सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से, भूमि के अर्जन के बदले प्रतिकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार तथा उसके दायरे के प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ***कोलकाता नगर निगम*** (उपर्युक्त) के मामले में विचार किया है। संपत्ति के अधिकार का गठन करने वाले स्वदेशी संवैधानिक ताने-बाने के सात उप-अधिकारों अथवा सूत्रों पर विचार करते हुए, उक्त निर्णय में प्रतिपूर्ति एवं पुनर्वास करने के राज्य के दायित्व–अर्थात् प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर के अधिकार को निर्णय के प्रस्तर 33.5 में मान्यता दी गई है। उक्त प्रस्तर 33.5 में इस अधिकार पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है:

"33.5. प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर का अधिकार

33.5.1. किसी व्यक्ति का संपत्ति धारण करने एवं उसका उपभोग करने का अधिकार, अनुच्छेद 300-क के अधीन संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग है। उस अधिकार से वंचित किया जाना अथवा उसका समापन केवल प्रत्यास्थापन की शर्त पर ही अनुज्ञेय है, चाहे वह मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वासन अथवा अन्य समरूप उपायों के रूप में हो। प्रतिकर को सदैव भूमि अर्जन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

33.5.2.** भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11; अचल संपत्ति की अधियाचना एवं अर्जन अधिनियम, 1952 की धाराएं 8 एवं 9; **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 23;** तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धाराएं 3-जी एवं 3-एच, **उस व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने के अधिकार के वैधानिक समावेशन हैं, जिसकी भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन किया गया है।

33.5.3. हमारे न्यायालयों ने न केवल यह माना है कि प्रतिकर आवश्यक है, बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अर्जन प्रक्रिया के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतिकर एक अनिवार्य शर्त है [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोहर, (2005) 2 एससीसी 126 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर का भुगतान भूमि अर्जन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एम. नागा वेंकट लक्ष्मी बनाम विशाखापत्तनम नगर निगम, (2007) 8 एससीसी 748 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां कहीं प्रतिकर का वचन दिया गया हो, उसका भुगतान किया जाना चाहिए। एनएचएआई बनाम पी. नागराजू, (2022) 15 एससीसी 1 : (2024) 2 एससीसी (सिविल) 414 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर पर्याप्त होना चाहिए तथा उसका निर्धारण अधिगृहीत भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। **विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 2 एससीसी 569 : (2020) 1 एससीसी (सिविल) 799 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत प्रतिकर का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि उसका अनुमान उक्त अनुच्छेद में निहित रूप से लगाया जा सकता है।** अमेरिकी न्यायशास्त्र में प्रतिकर के भुगतान को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अंग माना गया है [देखें–स्वीट बनाम रेचेल, 1895 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 208 : 40 एल ईडी 188 : 159 यूएस 380 (1895); डेलावेयर बनाम टाउन ऑफ मॉरिसटाउन, 1928 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 33 : 72 एल ईडी 523 : 276 यूएस 182 (1928); तथा यूनाइटेड स्टेट्स बनाम कैलटेक्स, 1952 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 105 : 97 एल ईडी 157 : 344 यूएस 149 (1952)]।]।"

(178) प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर के अधिकार के संबंध में प्रस्तर 33.5 से 33.5.3 तक निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है:

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"33.5. प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर का अधिकार

33.5.1. किसी व्यक्ति का संपत्ति धारण करने एवं उसका उपभोग करने का अधिकार, अनुच्छेद 300-क के अधीन संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग है। उस अधिकार से वंचित किया जाना अथवा उसका समापन केवल प्रत्यास्थापन की शर्त पर ही अनुज्ञेय है, चाहे वह मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वासन अथवा अन्य समरूप उपायों के रूप में हो। प्रतिकर को सदैव भूमि अर्जन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है।

33.5.2. *भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11; अचल संपत्ति की अधियाचना एवं अर्जन अधिनियम, 1952 की धाराएं 8 एवं 9;* ***भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 23;*** *तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धाराएं 3-जी एवं 3-एच,* ***उस व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने के अधिकार के वैधानिक समावेशन हैं, जिसकी भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन किया गया है।***

33.5.3. हमारे न्यायालयों ने न केवल यह माना है कि प्रतिकर आवश्यक है, बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अर्जन प्रक्रिया के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतिकर एक अनिवार्य शर्त है [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोहर, (2005) 2 एससीसी 126 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर का भुगतान भूमि अर्जन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एम. नागा वेंकट लक्ष्मी बनाम विशाखापत्तनम नगर निगम, (2007) 8 एससीसी 748 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां कहीं प्रतिकर का वचन दिया गया हो, उसका भुगतान किया जाना चाहिए। एनएचएआई बनाम पी. नागराजू, (2022) 15 एससीसी 1 : (2024) 2 एससीसी (सिविल) 414 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर पर्याप्त होना चाहिए तथा उसका निर्धारण अधिगृहीत भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। **विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 2 एससीसी 569 : (2020) 1 एससीसी (सिविल) 799 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत प्रतिकर का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि उसका अनुमान उक्त अनुच्छेद में निहित रूप से लगाया**

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जा सकता है। अमेरिकी न्यायशास्त्र में प्रतिकर के भुगतान को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अंग माना गया है [देखें–स्वीट बनाम रेचेल, 1895 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 208 : 40 एल ईडी 188 : 159 यूएस 380 (1895); डेलावेयर बनाम टाउन ऑफ मॉरिसटाउन, 1928 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 33 : 72 एल ईडी 523 : 276 यूएस 182 (1928); तथा यूनाइटेड स्टेट्स बनाम कैलटेक्स, 1952 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 105 : 97 एल ईडी 157 : 344 यूएस 149 (1952)]।]।"

(179) प्रस्तर 33.5.2 में, अधिनियम, 2013 की धारा 23 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें उस व्यक्ति के प्रत्यास्थापन के अधिकार का वैधानिक समावेश निहित है जिसकी भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन किया गया है। हम धारा 23 का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं और पुनरावृत्ति करते हुए भी हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि यह धारा 27 के तहत यथा-अवधारित प्रतिकर के संबंध में, धारा 31 के तहत यथा-अवधारित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पंचाट के साथ, कलेक्टर द्वारा अपने हस्ताक्षर के अधीन दिए जाने वाले पंचाट की बात करती है; अतः उपर्युक्त उद्धृत निर्णय में उल्लेखित रूप में मौद्रिक प्रतिकर के साथ-साथ पुनर्वास (गैर-मौद्रिक प्रतिकर) आदि की भी वैधानिक मान्यता विद्यमान है। अतः, मूलतः, हमारा सरोकार प्रत्यास्थापन की प्रक्रिया एवं मानदंडों से है, जिसमें पूर्वोक्तानुसार मौद्रिक प्रतिकर तथा गैर-मौद्रिक प्रतिकर सम्मिलित हैं।

(180) इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, अधिनियम, 1965 की धारा 21 स्वयं पुनर्वास की परिकल्पना करती है, जो कि भूमि के अर्जन के बदले गैर-मौद्रिक प्रतिकर की मान्यता है।

(181) वर्तमान मामले में, जब हम अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का अवलोकन करते हैं, तब अधिनियम, 1894 के प्रावधानों का अवलंब लिए बिना भी यह पाते हैं कि मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त, राज्य विधानमंडल ने धारा 21 के अंतर्गत पुनर्वासन तथा "पुनर्वासन योजना" नामक पुनर्वासन योजना के निर्माण के माध्यम से गैर-मौद्रिक प्रतिकर के रूप में प्रत्यास्थापन की परिकल्पना की है। उक्त योजना का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(182) यह प्रावधान स्वयं यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम, 1965 को अधिनियमित करते समय विधानमंडल का यह आशय कदापि नहीं था कि इसके अधीन प्रतिकर केवल मौद्रिक प्रतिकर तक ही सीमित रहे; बल्कि, आशय यह था कि भूमि स्वामियों को अधिनियम, 1894 के अधीन उपलब्ध लाभों की तुलना में अधिनियम, 1965 के अधीन अधिक अनुकूल लाभ प्रदान किया जाए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उनके पुनर्वास का उपबंध करके, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम, 1965 के प्रख्यापन के समय यह लाभ अधिनियम, 1894 के अधीन उपलब्ध नहीं था।

(183) जब हम अधिनियम, 1965 का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि धारा 21 के अंतर्गत यथा-परिकल्पित पुनर्वास को मौद्रिक प्रतिकर के विकल्प के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। अधिनियम, 1965 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह धारण करने के लिए प्रेरित करे कि अधिनियम, 1965 के अधीन या तो मौद्रिक प्रतिकर या फिर पुनर्वास को विकल्प के रूप में प्रदान किया जा सकता है। अधिनियम, 2013 के अधीन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त देय लाभ हैं। अधिनियम, 2013 में भी ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करे कि भूमि-स्वामी को मौद्रिक प्रतिकर अथवा पुनर्वासन/पुनर्व्यवस्थापन में से कोई एक विकल्प के रूप में देय है। इसका कारण यह है कि विधानमंडल ने यह स्वीकार किया है कि अनिवार्य भूमि अर्जन के कारण होने वाली हानि अथवा विस्थापन के लिए मौद्रिक प्रतिकर सदैव पर्याप्त अथवा समुचित नहीं हो सकता है। यह तथ्य अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों से भी स्पष्ट है। निःसंदेह, जैसा कि पूर्व में विवेचित है, अधिनियम, 2013 की धाराओं 31 एवं 47 के अनुसार, यदि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन को धनराशि के रूप में परिमाणित किया जा सकता है, तो ऐसे दायित्वों के पूर्ण निर्वहन हेतु उक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

(184) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***कोलकाता नगर निगम*** (उपर्युक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति का संपत्ति धारण करने एवं उसका उपभोग करने का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क के अधीन संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग है। उस अधिकार से वंचित किया जाना अथवा उसका उत्सादन केवल प्रत्यास्थापन की शर्त पर ही अनुज्ञेय है, चाहे वह मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वासन अथवा अन्य समरूप उपायों के रूप में हो। प्रतिकर को सदैव भूमि अर्जन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(185) अतः, भूमि अर्जन के बदले प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर का अधिकार केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन भी सम्मिलित हैं।

(186) जब बोर्ड ने मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया है, तब ***विठ्ठल राव*** (उपर्युक्त) आदि मामलों में प्रतिपादित विधि-सिद्धांतों के आधार पर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन जैसे गैर-मौद्रिक प्रतिकर संबंधी प्रावधानों को भी अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू न किए जाने का कोई कारण नहीं है, विशेषतः इसलिए कि, जैसा कि पूर्व में विवेचित है, अधिनियम, 2013 के अधीन पुनर्वासन में भी मौद्रिक घटक सम्मिलित है।

(187) मौद्रिक प्रतिकर के प्रावधानों को लागू करते हुए, गैर-मौद्रिक प्रतिकर के प्रावधानों को लागू न करना किसी भी तर्कसंगत आधार के बिना होगा और यह स्वयं भूमि स्वामियों के साथ मनमाने और विद्वेषपूर्ण विभेद के दोष को बनाए रखने के समान होगा। ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मौद्रिक प्रतिकर के लिए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करके, किन्तु गैर-मौद्रिक प्रतिकर के लिए उन्हें लागू न करके यह भिन्न व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए।

(188) हमारे इस निष्कर्ष के दृष्टिगत कि प्रतिकर के माध्यम से प्रत्यास्थापन केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर-मौद्रिक प्रतिकर के रूप में भी हो सकता है, विशेषतः तब जबकि अधिनियम, 1965 एवं अधिनियम, 1894 के पठन से कोई विपरीत आशय परिलक्षित नहीं होता है, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि-स्वामियों के प्रत्यास्थापन अथवा उचित प्रतिकर को केवल मौद्रिक प्रतिकर तक सीमित रखा जाए, विशेषकर जबकि उसकी धारा 21 स्वयं पुनर्वासन की परिकल्पना करती है।

क्या अधिनियम, 1965 के तहत अर्जन कार्यवाहियों पर अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को यथावत लागू किया जाना, गैर-मौद्रिक प्रतिकर सहित प्रतिकर के मामले में भूमि/संपत्ति स्वामियों के साथ मनमाने और विद्वेषपूर्ण विभेद के समान है, जिससे आक्षेपित प्रावधान असंवैधानिक हो जाते हैं?

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(189) ऐसा कहने के पश्चात, अब हमें यह विचार करना है कि अधिनियम, 1965 के अधीन अनिवार्य भूमि अर्जन की कार्यवाहियों में प्रतिकर के प्रयोजनों हेतु नए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों अथवा कम-से-कम उसमें अंतर्निहित सिद्धांतों के स्थान पर अधिनियम, 1894 को लागू किए जाने की अनुमति देना, मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के विषय में भूमि/संपत्ति-स्वामियों के साथ मनमाने एवं विद्वेषपूर्ण भेदभाव के समतुल्य होगा अथवा नहीं तथा क्या इससे अधिनियम, 1965 के आक्षेपित प्रावधान निष्प्रभावी एवं अनुप्रवर्तनीय होकर संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 300-क का उल्लंघनकारी हो जाएंगे।

(190) इस संबंध में अनुच्छेद 19 अथवा 21 का कोई अनुप्रयोग हमें नहीं दिखता।

(191) जनहित याचिका संख्या 637 वर्ष 2025 में बोर्ड द्वारा अपने प्रतिशपथपत्र के प्रस्तर 67 एवं 68 में तथा राज्य द्वारा अपने प्रतिशपथपत्र के प्रस्तर 23 एवं 26 में एक ही आशय का स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि अधिनियम, 1965 के अधीन अर्जित भूमि के संबंध में प्रतिकर अधिनियम, 2013 के अनुसार, न कि अधिनियम, 1894 के अनुसार, प्रदान किया जाएगा। इसके बावजूद, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुदीप कुमार ने इस संबंध में अधिनियम, 2013 की तुलना में अधिनियम, 1965 को अधिनियम, 1894 के साथ पठित करके उसके पृथक अनुप्रयोग का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया और उन्होंने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि अधिनियम, 1965 को अधिनियमित करने का उद्देश्य आवास योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं को कम लागत पर प्रारंभ करना था और उनके अनुसार यह अधिनियम, 1965 के अधीन भूमि अर्जन को अधिनियम, 2013 जैसे अन्य अधिनियमों के अधीन भूमि अर्जन से पृथक करने हेतु बोधगम्य विभेद प्रदान करता है। अतः, इन तर्कों पर विचार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में ***पी. वज्रवेलु मुदलियार*** (उपर्युक्त) का निर्णय तथा उसके प्रस्तर 19 एवं 20 सुसंगत हैं। रिपोर्ट के प्रस्तर 19 एवं 20 निम्नवत हैं:

"19. श्री विश्वनाथ शास्त्री का अंतिम तर्क यह है कि संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से बाधित होता है। इस विषय पर कानून भली-भांति स्थापित है। अनुच्छेद 14 के अधीन राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किन्तु यह विधानमंडल को विधान के प्रयोजन हेतु एक युक्तियुक्त वर्गीकरण करने से निवारित नहीं करता है। इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त वर्गीकरण को दो परीक्षणों में खरा उतरना होगा, अर्थात (i) वर्गीकरण एक बोधगम्य भेदक पर आधारित होना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गए व्यक्तियों और वस्तुओं को अलग करता है; और (ii) उस भेदक का प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। यह निश्चित करने के लिए कि क्या आक्षेपित अधिनियम उक्त दो परीक्षणों को संतुष्ट करता है, तीन प्रश्न प्रस्तुत किए जाने होंगे, अर्थात, (i) अधिनियम का उद्देश्य क्या है? (ii) उन व्यक्तियों के बीच क्या अंतर है जिनकी भूमि आवास योजनाओं के लिए अर्जित की जाती है और वे जिनकी भूमि आवास योजनाओं के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाती है, अथवा इस प्रकार अर्जित भूमियों के बीच क्या अंतर है? तथा (iii) क्या उन अंतरों का उक्त उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त संबंध है। मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के तुलनात्मक अध्ययन पर, हमने पूर्व में यह दर्शाया है कि यदि संशोधन अधिनियम के अधीन किसी आवास योजना के लिए भूमि अर्जित की जाती है, तो दावेदार को उससे कम मूल्य मिलता है जो उसे उसी भूमि या वैसी ही समान भूमि के लिए मिलता यदि उसे मूल अधिनियम के अधीन अस्पताल जैसे किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाता। प्रश्न यह है कि आवास योजनाओं के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जाती है और अन्य लोक प्रयोजनों के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जाती है, उनके मध्य किया गया यह वर्गीकरण, जिस उद्देश्य की प्राप्ति अपेक्षित है, उससे युक्तियुक्त संबंध रखता है अथवा नहीं। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य आवास योजनाओं के लिए भूमि अर्जित करना है। जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, यह संभव है कि संशोधन अधिनियम किसी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तथा वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण नगर प्राधिकारियों के लिए दीर्घकाल से उलझी रही मलिन बस्तियों को हटाने की समस्या का समाधान खोजने के लिए पारित किया गया हो। किंतु, अंततः निर्मित अधिनियम केवल ऐसी किसी समस्या तक सीमित नहीं है। संशोधन अधिनियम के अधीन आवास योजनाओं के लिए भूमि अर्जित की जा सकती है, चाहे उसका उद्देश्य मलिन बस्तियों को हटाना हो अथवा नगर में धनी या निर्धन व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार करना हो। यह मान लिया जाए कि मद्रास शहर में आवास की समस्या अत्यंत गंभीर थी तथा जनसंख्या में असामान्य वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप आवास पर दबाव था, एवं मध्यम आय-वर्ग तथा मलिन बस्तीवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की भी तात्कालिक आवश्यकता थी। संशोधन अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य चाहे कितने ही प्रशंसनीय हों, किंतु इसे इस प्रकार निर्मित किया गया था कि इसके प्रावधानों के अधीन, बड़ी अथवा छोटी, बंजर अथवा उपजाऊ तथा धनी अथवा निर्धन व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी भी भूमि का इस आधार पर अर्जन किया जा सकता है कि वह आवास योजना के लिए अपेक्षित है। आवास योजना केवल मलिन बस्तियों को हटाने तक सीमित होना आवश्यक नहीं है; संशोधन अधिनियम में प्रयुक्त व्यापक शब्दावली समाज के समृद्ध वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भी भूमि अर्जन की अनुमति देती है। यह नगर की जनसंख्या के बड़े भाग के लिए होना आवश्यक नहीं है, बल्कि चुने हुए कुछ व्यक्तियों तक भी सीमित हो सकता है। उक्त सभी प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन, उसका बाजार मूल्य अदा करके, मूल अधिनियम के अधीन भी किया जा सकता था। संशोधन अधिनियम राज्य को आवास योजनाओं के लिए उस मूल्य से कम मूल्य पर भूमि अर्जित करने का अधिकार देता है, जो राज्य को उसी भूमि के मूल अधिनियम के अधीन अर्जित किए जाने पर देना पड़ता।

20. अब मद्रास शहर में भूमि रखने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा अर्जित की गई उन भूमियों के बीच, जिनका उक्त उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध है, क्या अंतर है। यह सुझाव दिया गया है कि भूमि के स्वामित्व वाले व्यक्तियों के बीच अंतर अर्जित भूमि के क्षेत्रफल, गुणवत्ता तथा उक्त उद्देश्य के लिए उसकी उपयुक्तता पर आधारित था। उक्त मानदंडों के आधार पर किए गए ये अंतर संशोधन अधिनियम के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं रखते। उदाहरणार्थ: भूमि का क्षेत्रफल राज्य द्वारा संचालित योजना के विस्तार पर निर्भर करता है। मुख्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय अथवा अस्पतालों के नेटवर्क के लिए बड़े क्षेत्रफल की भूमि अर्जित की जा सकती है और इसी प्रकार संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किसी आवास योजना के लिए भी बड़े क्षेत्रफल की भूमि अर्जित की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि आवास योजना सीमित स्वरूप की है, तो उसके लिए अर्जित की जाने वाली भूमि उतनी विस्तृत नहीं हो सकती जितनी कि किसी बड़े विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक भूमि होती है। यदि बंजर भूमि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किसी आवास योजना के लिए उपयुक्त है, तो वह अस्पताल या विद्यालय के लिए भी समान रूप से उपयुक्त होगी, जिसके लिए ऐसी भूमि मुख्य अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की जा सकती है। न ही भूमि के स्वामियों की आर्थिक स्थिति अथवा उनकी संख्या का कोई महत्व है, क्योंकि दोनों ही मामलों में भूमि धनी अथवा

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्धन व्यक्ति से, एक व्यक्ति से अथवा अनेक व्यक्तियों से अर्जित की जा सकती है। समान गुणवत्ता एवं मूल्य वाली सन्निहित भूमियों में से एक भूमि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आवास योजना के लिए तथा दूसरी भूमि मुख्य अधिनियम के अंतर्गत अस्पताल के लिए अर्जित की जा सकती है। इसी प्रकार, एक ही व्यक्ति के स्वामित्व वाले तथा समान गुणवत्ता एवं मूल्य वाले दो सन्निहित भूखंडों में से एक को मुख्य अधिनियम के अंतर्गत और दूसरे को संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अर्जित किया जा सकता है। जिस किसी भी दृष्टिकोण से इस विषय को देखा जाए, कथित अंतरों का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं है। यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य स्वयं दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमियों में अंतर को उत्पन्न कर सकता है। यह तर्क कारण और परिणाम के क्रम को उलट देता है। यह कहना एक बात है कि व्यक्तियों और संपत्तियों के बीच विद्यमान अंतरों का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध है, और यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि अधिनियम के उद्देश्य ने स्वयं उन अंतरों को उत्पन्न किया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्त तर्क सही है, तब भी हम उद्देश्य के आधार पर भूमि के स्वामियों या स्वयं भूमियों में कोई अंतर नहीं खोज सकते। उद्देश्य यह है कि कम कीमत पर आवास योजनाओं के लिए भूमि अर्जित की जाए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उक्त श्रेणियों में आने वाली किसी भी भूमि को संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अर्जित किया जा सकता है। इसी प्रकार, लोक प्रयोजन के लिए ऐसी किसी भी भूमि को मुख्य अधिनियम के अंतर्गत अर्जित किया जा सकता है। अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संशोधन अधिनियम में भेदभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और युक्तिसंगत वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर उसे कायम नहीं रखा जा सकता। अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है और अमान्य है।

(192) उद्धृत किए गए ***पी. वज्रवेलु मुदलियार*** (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ श्री सुदीप कुमार के तर्क का पूर्ण उत्तर हैं। अन्यथा भी, उनका तर्क त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जहाँ तक वर्तमान में विचाराधीन अर्जनों का संबंध है, योजनाएँ केवल आवास योजनाएँ ही नहीं हैं, बल्कि बाजार योजनाएँ भी हैं, जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, भूमि होटल आदि के निर्माण के लिए आवंटित की जानी है अथवा आवंटित की जा चुकी है, क्योंकि अयोध्या नगर द्वारा वर्तमान में प्राप्त किए गए महत्व तथा किसी भी दिन आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखा गया है।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, 1965 के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई जानी हैं, जिनके लिए भूमि का अर्जन आवश्यक हो सकता है।

(193) केवल यह कहना कि, जैसा कि बोर्ड और राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम, 1965 को तीव्र शहरीकरण तथा आवास आदि की आवश्यकता के कारण विकास और नगर नियोजन के विशिष्ट उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया था, अपने आप में इस आधार के रूप में पर्याप्त नहीं है कि प्रतिपूर्ति अथवा उचित प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए अधिनियम, 1965 के अंतर्गत आने वाले भूमिधारकों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाए। अधिकांश अर्जन ऐसे ही लोक प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जिनमें आवास योजना, विकास आदि सम्मिलित हैं, चाहे वे अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किए जाएँ अथवा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत। इस संदर्भ में हम अधिनियम, 2013 की धारा 2 को धारा 3(जेडए) के साथ पढ़ सकते हैं, जो उन लोक प्रयोजनों को परिभाषित करती हैं जिनके लिए अर्जन किया जाता है। किसी भी स्थिति में, ***पी. वज्रवेलु मुदलियार*** (उपरोक्त) के दृष्टिगत, उक्त तर्क को अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किए गए अर्जन को अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किए गए अर्जन की तुलना में भिन्न आधार पर रखे जाने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(194) राज्य/बोर्ड की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य प्रश्न यह था कि वर्तमान अर्जन राज्य द्वारा नहीं, बल्कि बोर्ड द्वारा किया गया है, जबकि अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अर्जन राज्य द्वारा किया जाता है; अतः संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं होता है।

(195) हम यह इंगित कर सकते हैं कि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत भी अर्जन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है और अर्जित भूमि के राज्य सरकार में निहित हो जाने के पश्चात्, कलेक्टर उसे आवास आयुक्त को सौंप देता है। निस्संदेह, अधिनियम, 1965 की धारा 16 के संदर्भ में, जब यह पूछा गया कि क्या योजनाएँ राज्य सरकार के निर्देश पर बोर्ड द्वारा प्रारंभ अथवा तैयार की गई थीं, तो बोर्ड तथा राज्य सरकार, दोनों ने शपथपत्र दाखिल कर यह कहा है कि यह बोर्ड की अपनी पहल थी; किंतु धारा 16 के संदर्भ में यह तथ्य महत्वहीन है कि योजनाएँ किसकी पहल पर तैयार की गई थीं। इस संदर्भ में हम अधिनियम, 1965 की धारा 55 तथा उसमें उल्लिखित अनुसूची का

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

उल्लेख कर सकते हैं। धारा 55 द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों को, अधिनियम, 1965 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन, लागू किया गया है। जब हम उक्त अनुसूची का परिशीलन करते हैं, तो पाते हैं कि विधि की दृष्टि से अर्जन प्राधिकारी राज्य सरकार ही है। हम अधिनियम, 1965 की अनुसूची द्वारा यथासंशोधित धारा 17 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसके अनुसार, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 में विद्यमान उपधारा (1) तथा (1-ए) के स्थान पर, उसमें उल्लिखित उपधारा (1) को प्रतिस्थापित किया हुआ माना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है– ***"जब भी राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किसी आवास योजना अथवा सुधार योजना के त्वरित निष्पादन के हित में ऐसा निर्देश दिया जाए, तब कलेक्टर, ऐसे किसी अधिनिर्णय के किए जाने के बावजूद, धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है। ऐसी भूमि तत्पश्चात् सभी प्रभारों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी।"*** अनुसूची के प्रस्तर 3 द्वारा, अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों में इसके अनुप्रयोग के संबंध में, उपधारा (4) को हटा दिया गया है।

(196) अनुसूची के प्रस्तर 4 द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में नई धारा 17-ए जोड़ी गई थी, जो अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों में लागू होती है और जो भूमि को बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है, ***"धारा 16 या धारा 17 में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, कलेक्टर, अर्जन की लागत का भुगतान किए जाने पर, भूमि का प्रभार आवास आयुक्त को अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अंतर्गत इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को सौंप देगा और तत्पश्चात् भूमि बोर्ड में निहित हो जाएगी, इस शर्त के अधीन कि उसके अर्जन के कारण होने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत का भुगतान करने का दायित्व बोर्ड का होगा।"*** अतः, विधि की दृष्टि से, भूमि का प्रभार लेने वाला अधिकारी कलेक्टर ही है और बोर्ड द्वारा अर्जन की लागत का भुगतान किए जाने के पश्चात् वह भूमि का प्रभार आवास आयुक्त अथवा अधिनियम, 1965 के अंतर्गत इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को सौंप देता है और उसके पश्चात् ही भूमि बोर्ड में निहित होती है, वह भी इस दायित्व के अधीन कि अर्जन के कारण होने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(197) अतः, जब भी राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किसी आवास योजना अथवा सुधार योजना के त्वरित निष्पादन के हित में ऐसा निर्देश दिया जाता है, तब कलेक्टर, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा लेगा और तत्पश्चात् ऐसी भूमि सभी प्रभारों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी। अगले क्रमिक प्रावधान, अर्थात् 17-ए के अंतर्गत, कलेक्टर ऐसी भूमि को बोर्ड को सौंप देगा।

(198) यह कहा जा सकता है कि यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है। तथापि, तथ्य यह है कि विधि की दृष्टि से राज्य सरकार के पास न केवल अधिनियम, 1965 की धारा 16 के अंतर्गत बोर्ड को योजना तैयार करने का निर्देश देने का अधिकार है, बल्कि अनुसूची में पूर्वोक्त अर्जन के संबंध में धारा 17 के अंतर्गत निर्देश जारी करने का भी अधिकार है।

(199) इसके अतिरिक्त, जहाँ बोर्ड स्वयं ऐसी योजनाएँ प्रारंभ करता है और उनके लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन किया जाना है, वहाँ भी अधिनियम, 1965 की समग्र योजना से यह स्पष्ट है कि योजना तब तक प्रारंभ नहीं होती, जब तक कि धारा 31(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी जाती, यदि परियोजना की लागत 20 लाख रुपये से अधिक है, जैसा कि वर्तमान मामले में है और बोर्ड केवल उन परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी है, जिनकी लागत 20 लाख रुपये से कम है। वर्तमान समय में अधिकांश परियोजनाओं की लागत 20 लाख रुपये से अधिक होगी; अतः राज्य सरकार की स्वीकृति विधि द्वारा अनिवार्य है और बोर्ड की कोई योजना ऐसी स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रारंभ होती है।

(200) राज्य सरकार को धारा 32(3) के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करने तथा योजना में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। वह धारा 31(1) के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने से भी इनकार कर सकती है। अतः ऐसा नहीं है कि योजनाएँ और अर्जन केवल बोर्ड की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर हैं, क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका होती है।

(201) इसके अतिरिक्त, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के उद्भव के साथ, कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य सरकार के अनेक कार्य सार्वजनिक निगमों और वैधानिक बोर्डों, जैसे कि बोर्ड, द्वारा

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निष्पादित किए जाते हैं। उपर्युक्त संदर्भ में, हम बोर्ड के कार्यों से संबंधित धारा 15 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें राज्य में विभिन्न आवासीय गतिविधियों की योजना बनाने और उनमें समन्वय स्थापित करने तथा राज्य में आवास एवं सुधार योजनाओं के त्वरित और कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सम्मिलित है। ये सभी अर्जन सरकार के लक्ष्यों और नीतियों के पूरक हैं। अधिनियम की धारा 16 स्वयं राज्य सरकार को आवास योजनाएँ तैयार किए जाने के लिए निर्देश जारी करने की अनुमति देती है।

(202) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, योजना की स्वीकृति प्रदान करने में राज्य की सर्वव्यापी भूमिका है, साथ ही भूमि अर्जन के संबंध में की गई किसी आपत्ति पर लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा ऐसी योजनाओं में परिवर्तन, संशोधन करने और उन्हें परित्यक्त करने की भी शक्ति राज्य के पास है।

(203) बोर्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य का एक अंग है और अन्यथा भी राज्य सरकार के कार्यों एवं दायित्वों को संपूरित करता है। यह बात बोर्ड के गठन तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी स्पष्ट होती है, साथ ही उसके कार्यकरण में राज्य सरकार की सर्वव्यापी भूमिका से भी यह स्पष्ट है। इस संबंध में हम अधिनियम, 1965 की धारा 3(5) का उल्लेख कर सकते हैं। खंड (ए), (ए-1), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में उल्लिखित सभी व्यक्ति या तो सरकार में मंत्री हैं अथवा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं नगर नियोजन विभाग के मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक रूप से पदेन। धारा 3(5)(बी) में उल्लिखित उपाध्यक्ष भी, यद्यपि वे गैर-सरकारी सदस्य हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। धारा 3(5)(एच) में उल्लिखित आवास आयुक्त भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह अनिवार्यतः राज्य सरकार का अधिकारी होता है, चाहे वह प्रांतीय सिविल सेवा का अधिकारी हो अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का।

(204) बोर्ड के कार्यों तथा अधिनियम, 1965 के अन्य प्रावधानों से भी यह स्पष्ट है कि बोर्ड, यद्यपि एक सांविधिक निकाय है, राज्य के एक अंग के रूप में कार्य करता है और राज्य के कार्यकरण को संपूरित करता है। अतः, वह भारत के संविधान के भाग III के प्रावधानों के अधीन है और यह नहीं

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

कहा जा सकता कि केवल इस कारण से कि वर्तमान मामले में अर्जन संबंधी योजनाएँ बोर्ड द्वारा स्वयं प्रारंभ की गई थीं, उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, लागू नहीं होंगे।

(205) वास्तव में, ***विट्ठल राव*** (उपरोक्त) में भी यह प्रश्न तथा नागपुर सुधार न्यास अधिनियम की धाराएँ 17 और 17-ए, जो अधिनियम, 1965 की धारा 17 के समान हैं, विचाराधीन थीं और उपर्युक्त रूप से उल्लिखित इसी प्रकार का मत प्रस्तर 21 और 22 में व्यक्त किया गया था, जो निम्नवत् हैं–

"21. उठाया गया पहला प्रश्न यह था: कि क्या राज्य अर्जन प्राधिकारी है अथवा सुधार अधिनियम के अंतर्गत सुधार न्यास अर्जन प्राधिकारी है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि, विशेष रूप से अनुसूची के प्रस्तर 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 17-क के दृष्टिगत, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अर्जन सरकार द्वारा किया जाएगा और केवल अर्जन की लागत सरकार को भुगतान किए जाने पर ही भूमियाँ न्यास में निहित होंगी। यह सत्य है कि अर्जन न्यास के लिए है और न्यास के अनुरोध पर किया जा सकता है, तथापि, इसके बावजूद अर्जन सरकार द्वारा ही किया जाता है।

22. यदि ऐसा है, तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सरकार आवासीय सुविधा संबंधी योजना के लिए भूमि अर्जन अधिनियम अथवा सुधार अधिनियम, किसी भी अधिनियम के अंतर्गत, भूमि अर्जित कर सकती है। यदि ऐसा है, तो तो यह राज्य सरकार को समान स्थिति वाले एक भूमि स्वामी और दूसरे भूमि स्वामी के बीच भेदभाव करने में सक्षम बनाता है।"

(206) उच्चतम न्यायालय ने **विट्ठल राव** (उपरोक्त) में तत्पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, प्रतिकूल भेदभाव तथा मनमानी को भूमि-स्वामी के दृष्टिकोण से देखा जाना है, न कि अर्जन करने वाले निकाय के दृष्टिकोण से, और इस संदर्भ में यह अप्रासंगिक है कि अर्जन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है।

(207) संविधान, देश का सर्वोच्च विधि होने के नाते, सभी विधियों तथा राज्य एवं उसके अंगों, जिनमें सांविधिक निकाय भी सम्मिलित हैं, की सभी कार्रवाइयाँ संविधान के भाग III, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, के अधीन हैं।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(208) हम इसी संदर्भ में एक बार पुनः **विट्ठल राव** (उपरोक्त) में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने प्रस्तर 29 में स्वयं के समक्ष यह प्रश्न रखा था– "क्या भूमि का अर्जन करने वाले प्राधिकारी के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, यदि भूमि किसी सुधार न्यास अथवा नगर निगम अथवा सरकार के लिए या उसके द्वारा अर्जित की जाती है, तो क्या प्रतिकर के लिए भिन्न-भिन्न सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं?" इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया– '***हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि जहाँ तक भू-स्वामी का संबंध है, उसके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भूमि का अर्जन एक प्राधिकारी द्वारा किया जाता है या किसी अन्य द्वारा। इसी प्रकार, यह भी अप्रासंगिक है कि भूमि का अर्जन एक अर्जन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है अथवा किसी अन्य अर्जन अधिनियम के अंतर्गत। यदि दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को समान स्थिति वाले एक भू-स्वामी के साथ दूसरे भू-स्वामी की तुलना में भिन्न व्यवहार करने में सक्षम बनाता है, तो भेदभाव का शिकार भू-स्वामी संविधान के अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा कर सकता है।***'

(209) वस्तुतः, विधि को इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **वसंत राव** (उपर्युक्त) के मामले में भी समझा एवं प्रतिपादित किया गया है। उक्त मामले में पंजाब सुधार न्यास अधिनियम से संबंधित जालंधर सुधार न्यास की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भूमि अर्जित करने वाला प्राधिकारी राज्य नहीं, बल्कि न्यास था। साथ ही, नागपुर सुधार न्यास के मामले के संदर्भ में भिन्नता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि उक्त मामले में राज्य ही भूमि अर्जित करने वाला प्राधिकारी था तथा राज्य एक भू-धारक और दूसरे भू-धारक के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता था, जिनकी भूमियों का अर्जन किया जाना था। राज्य ऐसे भू-धारकों के मध्य भेदभाव करने के उद्देश्य से इस आधार पर यह विकल्प नहीं चुन सकता था कि किसी भू-धारक की भूमि का अर्जन एक अधिनियम के अधीन किया जाए अथवा किसी अन्य भू-धारक की भूमि का अर्जन दूसरे अधिनियम के अधीन किया जाए।

(210) इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **वसंत राव** (उपर्युक्त) के मामले में सर्वप्रथम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17-ए का उल्लेख किया, जिसे उसके समक्ष विचाराधीन तीनों राज्य अधिनियमों में, जिसमें वर्तमान मामले से संबंधित अधिनियम, 1965 भी सम्मिलित है,

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ओम प्रकाश एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1974) 1 एससीसी 628** के मामले में अपने पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में किए गए इसी प्रकार के प्रावधान पर विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त प्रावधान (धारा 17-ए) को दृष्टिगत रखते हुए इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि भूमि अर्जित करने वाला प्राधिकारी सरकार है, जैसा कि **ओम प्रकाश** (उपर्युक्त) में अभिलिखित किया गया है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम, 1965 के आक्षेपित प्रावधानों तथा उन प्रावधानों के मध्य कोई सारभूत अंतर नहीं है, जो **नागपुर सुधार न्यास** के मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। चूंकि तीनों राज्य कानूनों में बदलाव करके 'भूमि अर्जन अधिनियम' में जोड़ी गई धारा 17ए, उसी धारा 17ए जैसी ही है जिस पर इस न्यायालय ने **'ओम प्रकाश'** (उपर्युक्त) मामले में विचार किया था, इसलिए न्यायालय ने यह माना कि राज्य कानून के तहत ज़मीन का अर्जन करने वाली प्राधिकारी सरकार है, न कि न्यास। वैकल्पिक रूप से, माननीय न्यायालय ने आगे यह भी अभिलिखित किया कि किसी भी स्थिति में, **विठ्ठल राव** (उपर्युक्त) में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया था कि यदि भूमि सुधार न्यास अथवा नगर निगम अथवा सरकार के लिए या उनके द्वारा अर्जित की जाती है, तो प्रतिकर के निर्धारण के लिए भिन्न-भिन्न सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ तक भू-स्वामी का संबंध है, उसके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी भूमि एक प्राधिकारी द्वारा अर्जित की जाती है अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा। माननीय न्यायालय ने निर्णायक रूप से यह मत व्यक्त किया *'अतः, किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर, उक्त निवेदन अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।'* **वसंत राव** (उपर्युक्त) के उक्त निर्णय के प्रस्तर 53 एवं 54 इस संबंध में प्रासंगिक हैं।

(211) **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में, अधिनियम 1965 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, जिसमें धारा 17 और 17ए आदि शामिल हैं, उसके समक्ष एक पक्ष का तर्क कि अनुच्छेद 14 को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब कथित भेदभाव दो अलग-अलग विधायिकाओं द्वारा किए गए कानूनों के कारण होता है, और **जी.सी. मंडावर** (उपरोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर इस संबंध में रखी गई निर्भरता को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अर्जन उसी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, अर्थात, उत्तर

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रदेश राज्य सरकार, द्वारा किया जाना है और उसी प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के कारण भेदभाव उत्पन्न होता है।

(212) हम पूर्व में ही यह अभिलिखित कर चुके हैं कि बोर्ड भी राज्य का एक अभिकरण है और राज्य की कार्रवाई को संपूरित करता है तथा संपूर्ण अर्जन प्रक्रिया में राज्य की सक्रिय सहभागिता रहती है, जो राज्य की स्वीकृति के बिना संपन्न नहीं हो सकती।

(213) **जैनुल इस्लाम** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1965 के प्रावधान नागपुर सुधार न्यास अधिनियम में निहित प्रावधानों के अत्यंत समान हैं तथा **विठ्ठल राव** (उपर्युक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में प्रतिपादित विधि का अनुपात अधिनियम, 1965 के प्रावधानों पर पूर्णतः लागू होता है।

(214) याचिकाकर्ताओं का यह कथन है कि अयोध्या जिले में ही कुछ भूमियों का अर्जन अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जबकि अन्य भूमियों का अर्जन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। जहाँ प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाता है तथा प्रतिकर, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आदि भी सम्मिलित हैं, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाता है, जो अधिक लाभकारी है; वहीं अन्य भू-स्वामियों के संबंध में, जहाँ भूमि का अर्जन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, अर्जन अधिनियम, 1965 को अधिनियम, 1894, जैसा कि वह उस पर लागू है, के साथ पढ़े जाने पर उसके अधीन किया जा रहा है, जो प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के संदर्भ में कम लाभकारी है। वास्तव में, अधिनियम, 2013 में न केवल भू-स्वामियों, बल्कि प्रभावित परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। एक ही जिले अथवा उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित भू-स्वामियों के बीच मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए भिन्न-भिन्न मापदंडों का लागू किया जाना प्रथमदृष्टया मनमाना एवं भेदभावपूर्ण होगा।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(215) उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, यह तर्क कि अर्जन विभिन्न अधिनियमों के अधीन तथा दो भिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं, अप्रासंगिक है, क्योंकि पुनर्स्थापन अथवा उचित प्रतिकर, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन भी सम्मिलित हैं, के विषय में भू-स्वामियों के साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अधिनियम, 1965 के अधीन भू-स्वामियों के साथ भिन्न व्यवहार किए जाने के लिए न तो कोई बोधगम्य भिन्नता है और न ही ऐसा कोई उद्देश्यगत संबंध, जिसे प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो। जिन भू-स्वामियों की भूमि अथवा संपत्ति का अर्जन अधिनियम, 1965 अथवा अधिनियम, 2013 के अधीन किया जाता है, वे एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं और मौद्रिक प्रतिकर तथा गैर-मौद्रिक प्रतिकर के माध्यम से पुनर्स्थापन के विषय में उनके साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता।

(216) वास्तव में, जैसा कि पूर्व में ही अभिलिखित किया जा चुका है, बोर्ड/राज्य स्वयं अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक प्रतिकर प्रदान कर रहा है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि उनके स्वयं के आचरण के विपरीत ऐसे निवेदन किस प्रकार प्रस्तुत किए गए। तथापि, चूँकि ऐसे निवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए हमने विधिक स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा।

(217) पहले से की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, भूमि मालिकों के साथ जिनके भूमि का अर्जन किया गया है, जिनके भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के साथ पठित अधिनियम 1965 के तहत अर्जित किया गया है, अन्य भूस्वामियों और प्रभावित परिवारों की तुलना में इस तरह के अर्जन के लिए बहाली या उचित प्रतिकर के विषय में अन्य भूस्वामियों और प्रभावित परिवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के लिए कोई बोधगम्य भिन्नता नहीं है, न ही राज्य या बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्क या सामग्री रखी गई है।

(218) अधिनियम, 1894 की सहायता से प्रतिकर के संबंध में लागू अधिनियम, 1965 के उपबंध बदलते समय और इसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं जिन्हें अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में संक्षेप में स्पष्ट किया गया है और यह उक्त अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है जो समय की आवश्यकता को पहचानता है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(219) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप कुमार द्वारा दायर याचिका कि अधिनियम 1965 एक विशेष अधिनियम है, जबकि अधिनियम, 2013 एक सामान्य अधिनियमन है और यह कि अधिनियम, 1965 एक स्व-निहित संहिता है और ***गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में निर्णय पर इस संबंध में निर्भरता है; (2011) 3 एससीसी 1,*** प्रतिकर के मामले में भूस्वामियों के भिन्न व्यवहार की अस्वीकार्यता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में यहां चर्चा किए गए मुद्दों के संदर्भ में बहुत अधिक प्रासंगिकता नहीं है।

(220) अधिनियम, 1965 और अधिनियम, 2013 में भूमि अर्जन के बदले पुनर्वास और पुनर्स्थापन सहित बहाली या उचित प्रतिकर के लिए विभिन्न मानदंड प्रदान किए गए हैं, जो निर्धारित मापदंडों की तुलना में अधिक लाभप्रद है।

(221) अधिनियम, 1965 की धारा 28(1), 31(1) और 32 यथा-आक्षेपित है, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक प्रतिकर द्वारा बहाली के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं करती है, बल्कि, केवल योजना की अधिसूचना, स्वीकृति आदि के लिए प्रावधान करती है, जिसके लिए धारा 55 के संदर्भ में अर्जन किया जाना है, इसलिए, हम यह नहीं देखते हैं कि वे अपने आप में असंवैधानिक कैसे हैं, लेकिन पहले से की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, धारा 55 और उसमें संदर्भित अनुसूची, यदि अधिनियम, 1894 के आलोक में मौद्रिक प्रतिकर आदि के उद्देश्य से अधिनियम के तहत अर्जन कार्यवाही पर लागू होती है, तो अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की सहायता के बिना, भूमि मालिकों के मनमाने और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के कारण उक्त अधिनियम के तहत मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिकर सहित क्षतिपूर्ति या उचित प्रतिकर कम है अधिनियम, 2013 के तहत उपलब्ध लाभ की तुलना में लाभप्रद, जिसका अर्थ है, धारा 55 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300ए में निहित संवैधानिक अधिदेश के विपरीत है और असंवैधानिक घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि हम अधिनियम, 2013 में मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधानों अथवा कम-से-कम उसमें निहित सिद्धांतों को अधिनियम, 1965 के अधीन अधिग्रहण की कार्यवाहियों पर लागू करते हैं; या तो विधायन को समाविष्ट किए जाने के सिद्धांत के अपवाद खंड (सी) की सहायता लेकर अथवा इस प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार करके, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 पर

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचार करते समय हमारे द्वारा संदर्भित किया गया है। इस संबंध में अधिक विस्तार से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देते समय विचार किया जाएगा।

(222) प्रश्न संख्या 5 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है, जो प्रश्न संख्या 6 के हमारे उत्तर के अधीन है।

<u>प्रश्न संख्या 6:</u>

(223) अब विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या हम अधिनियम, 1965 की धारा 55 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 300क के प्रावधानों या कम से कम सिद्धांतों को लागू करके संविधान के अनुच्छेद 14 और 300ए के अधिकारातीत घोषित होने से बचा सकते हैं, जो गैर-मौद्रिक प्रतिकर सहित क्षतिपूर्ति के निर्धारण और अनुदान से संबंधित हैं या हमारे पास इसे असंवैधानिक घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(224) प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देते समय हम पहले ही भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों जैसे विट्ठल राव, पी. वज्रवेलु मुदलियार और जैनुल इस्लाम (उपरोक्त) के आधार पर कह चुके हैं कि जब भूमि अर्जन के बदले प्रतिकर देने और निर्धारण की बात आती है तो सभी भूमि/संपत्ति वाले एक वर्ग से संबंधित होते हैं और उन्हें इस संबंध में अलग-अलग अधिनियमन के तहत या विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा / के लिए अर्जन के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक अधिदेश है।

(225) हमने यह भी माना है कि प्रतिकर मौद्रिक प्रतिकर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन के रूप में गैर-मौद्रिक प्रतिकर शामिल है।

(226) हम यह भी अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अधिनियम, 1965 की धारा 55 तथा अनुसूची को अधिनियम, 1894 के साथ पढ़े जाने पर, यदि उन्हें अधिनियम, 2013 की सहायता के बिना यथावत् लागू किया जाता है, तो वे प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के विषय में भू-स्वामियों/संपत्ति-स्वामियों के साथ मनमाने एवं प्रतिकूल भेदभाव के दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उक्त

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपबंध संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 300-ए से प्रभावित होने के कारण असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य हो जाता है तथा इस प्रकार वह प्रभावहीन एवं अप्रवर्तनीय हो जाता है।

(227) एक बार जब हमने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देते समय यह मान लिया है कि आक्षेपित प्रावधान मनमाने और प्रतिकूल भेदभाव के विकार से ग्रस्त हैं, तो वे **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में अपनाए गए तर्क की उसी पंक्ति पर प्रभावहीन एवं अप्रवर्तनीय हो जाते हैं, जिससे अपवाद (सी) को आकर्षित किया जाता है जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में चर्चा की गई है, जिससे अधिनियम, 2013 के प्रावधानों या कम से कम उसमें निहित सिद्धांत को ऊपर उल्लिखित सीमा तक लागू करने की अनुमति मिलती है।

(228) भले ही, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में चर्चा की गई है, अपवाद (सी) जैसा कि **एम.वी. नरसिम्हन** (उपरोक्त) और **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में चर्चा की गई है, निरसन के प्रकरण में लागू नहीं माना जाता है, हालांकि इससे अत्यधिक अनुचित परिणाम होंगे, लेकिन ऐसा मानते हुए, फिर भी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों या सिद्धांत को लागू करके आक्षेपित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाया जा सकता है क्योंकि न्यायालय हमेशा एक ऐसे निर्माण को अपनाती हैं जो संवैधानिकता के पक्ष में हो, न कि ऐसा जो प्रावधान को असंवैधानिक बना दे।

(229) यह विशेष रूप से अधिनियम, 1965 में किसी भी विपरीत आशय की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक नए अधिनियमन के अधिक लाभकारी प्रावधानों के आवेदन के संबंध में है, जो पहले के अधिनियमन को निरस्त करता है, जिसे शामिल किया गया था, बल्कि, धारा 21 के रूप में इसके पक्ष में प्रावधान है, जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

(230) हम पहले ही प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में अभिलिखित कर चुके हैं कि अधिनियम, 1965 में अधिनियम, 2013 के अधिक लाभकारी प्रावधान के आवेदन के लिए कोई विपरीत प्रवृत्ति नहीं है, जैसा कि **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में पहले से ही उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 55 की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया जा चुका है, जिसे अधिनियम, 1965 की धारा 21 द्वारा और पुष्ट किया गया है, जो अधिनियम, 1894 की तुलना में अधिनियम, 1965 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर के

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

अलावा पुनर्वास का प्रावधान किया गया था, जो राज्य विधानमंडल के आशय का प्रमाण है, भले ही उस समय अधिनियम, 1894 के तहत पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं था, जिसे अधिनियम 1965 में धारा 55 द्वारा शामिल किया गया था।

(231) इस प्रकार, राज्य विधानमंडल का यह आशय कभी नहीं था कि यदि किसी भी बाद के चरण में, अधिनियम, 1894 को निरस्त कर दिया जाता है और अधिनियम, 2013 जैसा एक अधिक लाभकारी अधिनियमन लागू होता है और पुनर्वास सहित प्रतिकर के संबंध में इसके अधिक लाभकारी प्रावधान होते हैं, तो इसे अधिनियम, 1965 के तहत अर्जन कार्यवाही में भूस्वामियों/संपत्ति मालिकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि, उपर्युक्त कारणों तथा **जैनुल इस्लाम (उपर्युक्त)** में किए गए विवेचन के अनुसार, आशय यह था कि अधिनियम, 1894 की अपेक्षा अधिक लाभकारी प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

(232) धारा 21 में निहित प्रावधान को प्रभावी अर्थ प्रदान करने के लिए वर्ष 2013 के अधिनियम में पुनर्वास के संबंध में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है तथा उक्त प्रावधान की ऐसी व्याख्या की जा सकती है, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, उक्त प्रावधान में इसके अनुप्रयोग की प्रक्रिया तथा उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का कोई उल्लेख नहीं है। इस पहलू पर प्रश्न संख्या 5 के संदर्भ में पूर्व में विस्तार से विचार किया जा चुका है।

(233) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों और सिद्धांतों को अधिनियम, 1965 में पुनर्वास के संबंध में विद्यमान प्रावधान, अर्थात् धारा 21, के पूरक के रूप में लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि उक्त प्रावधान को सार्थक बनाया जा सके तथा इस संबंध में भूमि/संपत्ति के स्वामियों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचा जा सके।

(234) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित गैर-मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त लाभों का विस्तार उन भूमि/संपत्ति स्वामियों तक न करें, जिनकी भूमि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अर्जित की जाती है, क्योंकि सभी भू-स्वामी एक ही वर्ग से संबंधित हैं। विशेष रूप से तब, जब ऐसा न किया जाना

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आक्षेपित प्रावधानों को भेदभावपूर्ण बना देगा और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 से बाधित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास आक्षेपित प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा। जबकि न्यायालयों को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाया जाए।

(235) हम, इस संदर्भ में भी, **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) के प्रस्तर 25, 40, 41 और 46 निर्भर करते हैं जिन्हें पूर्व में ही उद्धृत किया जा चुका है।

(236) इसी संदर्भ में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि समन्वय पीठ द्वारा **आशा वर्मा एवं अन्य बनाम आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं अन्य; रिट याचिका संख्या 9373 (एल/ए)/2021** में दिए गए निर्णय में, चाहे वह रिट याचिका हो अथवा पुनर्विलोकन आवेदन, तथा वर्तमान मामलों में भी, बोर्ड ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि जहाँ तक प्रतिकर का संबंध है, उसका निर्धारण एवं भुगतान वर्ष 2013 के अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। अतः इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि स्वयं बोर्ड के अनुसार भी, जहाँ तक मौद्रिक प्रतिकर का संबंध है, नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 लागू किया जाएगा। हम इस संबंध में जनहित याचिका संख्या 637/2025 में बोर्ड के प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर 67 एवं 68 तथा राज्य सरकार द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र के पैराग्राफ 23 एवं 26 का उल्लेख कर सकते हैं।

(237) जब बोर्ड का स्वयं का यह पक्ष है कि प्रश्नगत योजनाओं के अंतर्गत भूमि के अर्जन के संबंध में मौद्रिक प्रतिकर का निर्धारण नए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अनुसार किया गया है अथवा किया जाना है, जबकि अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुप्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात् इसके बावजूद बोर्ड द्वारा अधिनियम, 2013 के उपबंधों को लागू किया जा रहा है, स्पष्टतः इस संबंध में मनमाने एवं प्रतिकूल भेदभाव से बचने तथा पूर्व में उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित विधि के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अधिनियम, 2013 के अन्य उपबंधों, जो गैर-मौद्रिक प्रतिकर, जैसे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, से संबंधित हैं, के अनुप्रयोग में न तो कोई बाधा है और न ही बोर्ड अथवा राज्य के लिए यह कहना उचित है कि उनका अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता, यदि वे अधिक लाभकारी हैं और पूर्व

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

में विवेचित विधि के आधार पर भूमि/संपत्ति के स्वामियों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार से भी बचाते हैं।

(238) प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देते समय हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि प्रतिकर में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के रूप में गैर-मौद्रिक प्रतिकर भी सम्मिलित है। इसके विपरीत किया गया तर्क पूर्व में हमारे द्वारा विचारित एवं अस्वीकार किया जा चुका है।

(239) इस संदर्भ में, हम संविधान पीठ द्वारा **ऑफशोर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 122 एवं 125 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो निम्नवत् हैं:

"122. भूमि के अर्जन और प्रतिकर के भुगतान तक सीमित सीमा में, भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, क्योंकि वे न तो राज्य विधि के साथ किसी प्रकार के विरोध में हैं और न ही ऐसे उपबंध उस अधिनियम में विद्यमान हैं। उससे संबंधित भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंध, बीडीए अधिनियम की योजना के अनुरूप समाहित हो जाते हैं। अतः दोनों अधिनियम बिना किसी विरोध के सह-अस्तित्व में रह सकते हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं। न्यायालय के लिए दोनों अधिनियमों में सामंजस्य स्थापित करना कोई असंभव कार्य नहीं है, जबकि राज्य विधि को अविधिमान्य ठहराने से गंभीर विधिक परिणाम उत्पन्न होंगे।"

125. उपर्युक्त कहने के पश्चात्, अब हम वृहद् पीठ को संदर्भित प्रश्न पर अपना उत्तर निम्नलिखित रूप में अभिलिखित करते हैं:

इस निर्णय में उल्लिखित कारणों के आधार पर, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि बीडीए अधिनियम एक स्वतः-पूर्ण संहिता है। इसके अतिरिक्त, हम यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि केंद्रीय अधिनियम 68, 1984 द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में किए गए वे उपबंध, जो भूमि के अर्जन, प्रतिकर के भुगतान तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपचारों के अवलंबन तक सीमित हैं, बीडीए अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित भूमि अर्जन की कार्यवाही में लागू किए जा सकते हैं; किंतु इस विशिष्ट अपवाद के साथ कि भूमि अर्जन अधिनियम के वे उपबंध, जो

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

अलग-अलग समय-सीमा तथा उनका पालन न किए जाने के परिणाम, जिसमें अर्जन की कार्यवाही का व्यपगत होना भी सम्मिलित है, निर्धारित करते हैं, बीडीए अधिनियम में लागू नहीं किए जा सकते। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11-क ऐसे ही उपबंधों में से एक है और अतः इसे बीडीए अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किए गए अर्जन पर लागू नहीं किया जा सकता।

(240) यद्यपि प्रश्न भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धाराओं 6 एवं 11-क की बीडीए अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों पर प्रयोज्यता का था और इसी संदर्भ में संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि वर्ष 1894 के अधिनियम की धाराएँ 6 एवं 11-क बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि बाद वाला अधिनियम स्वयं में एक पूर्ण संहिता था तथा दोनों अधिनियम दो भिन्न सूचियों, अर्थात् राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, से संबंधित थे, किंतु इसके बावजूद प्रतिकर के प्रश्न पर, इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि इस संबंध में भू-स्वामियों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता और न ही इस आधार पर ऐसा किया जा सकता है कि अर्जन दो भिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अथवा संभवतः दो भिन्न प्राधिकरणों द्वारा किया गया है, संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि जहाँ तक वर्ष 1894 के अधिनियम के उन उपबंधों का संबंध है, जो प्रतिकर आदि से संबंधित हैं, वे, भले ही बीडीए अधिनियम में समाविष्ट न किए गए हों, फिर भी बीडीए अधिनियम के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू होंगे। अतः उक्त निर्णय भी इस बात का प्राधिकार है कि संविधान का अनुच्छेद 14 प्रतिकर के मामले में भू-स्वामियों के साथ समान व्यवहार की गारंटी देता है और इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा इससे कोई भी विचलन संविधान के प्रतिकूल है।

(241) हमारा सुविचारित मत है कि संविधान देश का सर्वोच्च विधि है और अनुच्छेद 14 उसका आधारभूत स्तंभ है। हमारे समक्ष विपक्षी पक्षकार उक्त संवैधानिक उपबंध से आबद्ध हैं, जो समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। अतः अधिनियम, 1965 की धारा 55 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित करने के बजाय, हमें इसकी संवैधानिक वैधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए तथा वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबंधों, अथवा कम-से-कम उसमें निहित सिद्धांतों को इस प्रकार लागू करना चाहिए कि जिन भू-स्वामियों/संपत्ति स्वामियों की भूमि अधिनियम, 1965 अथवा अधिनियम, 2013 के

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतर्गत अर्जित की जाती है, उनके साथ प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मामले में समान व्यवहार किया जाए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा परिकल्पित सर्वोपरि संवैधानिक आवश्यकता है और यह माननीय उच्चतम न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **विठ्ठल राव** (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि, जिसका अनुसरण बाद के निर्णयों में किया गया है, तथा **ऑफशोर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) में संविधान पीठ के निर्णय के अनुरूप है।

(242) माननीय उच्चतम न्यायालय की 7- न्यायाधीशों की पीठ के **विठ्ठल राव** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुरूप, हम इन प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित कर सकते हैं; किंतु जैसा कि **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में कहा गया है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो न्यायालय को किसी उपबंध को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाने का प्रयास करना चाहिए, तथा **ऑफशोर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) में संविधान पीठ के निर्णय में भी, विशेष रूप से प्रस्तर 122 एवं 125 में, यह अभिनिर्धारित किए जाने के बावजूद कि बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम एक पूर्ण संहिता था और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंध उसमें सीमित उद्देश्य के लिए समाविष्ट किए गए थे, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्ष 1894 के अधिनियम के प्रतिकर तथा इस संबंध में निर्धारित विधिक उपचारों से संबंधित प्रावधान निश्चित रूप से लागू होंगे। इसलिए, विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाने के लिए, वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रावधानों अथवा कम-से-कम उसमें निहित उन सिद्धांतों को, जो प्रतिपूर्ति अथवा उचित प्रतिकर, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन भी सम्मिलित है, से संबंधित हैं, अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों पर लागू किया जाना आवश्यक है और इन्हें अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अनिवार्य अर्जन पर लागू किया जाना चाहिए।

(243) किसी भी स्थिति में, चाहे हम **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में विवेचित विधि को समाविष्ट करके विधि निर्माण के सिद्धांत के अनुप्रयोग के अपवाद (ग) को लागू करें अथवा उससे स्वतंत्र रूप से विचार करें, आक्षेपित उपबंध को वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रावधानों अथवा कम-से-कम उसमें निहित उन सिद्धांतों को लागू करके बचाया जा सकता है, जो अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाहियों में प्रतिकर के निर्धारण एवं प्रदान किए जाने, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन से संबंधित हैं।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(244) अतः हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अधिनियम, 1965 तथा अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करते समय, मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक प्रतिकर, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के रूप में प्रतिकर सम्मिलित है, अधिनियम, 2013 में निर्धारित समान मापदंडों तथा उसमें निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा और अधिनियम, 1965 के अंतर्गत संबंधित भू-स्वामियों को समान लाभ प्रदान किए जाने होंगे। विधिक स्थिति की किसी अन्य प्रकार की व्याख्या से मनमाना एवं प्रतिकूल भेदभाव उत्पन्न होगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधिसम्मत नहीं होगा। आक्षेपित प्रावधानों को तदनुसार सुरक्षित रखा जाता है। धारा 21 एवं 55 की पूर्वोक्त रूप में व्याख्या की जाती है।

(245) प्रश्न संख्या 6 का उत्तर तदनुसार सकारात्मक रूप में दिया जाता है।

(246) आगे बढ़ने से पूर्व, हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताये गए कुछ निर्णयों का संदर्भ ले सकते हैं।

(247) उच्चतम न्यायालय के वे निर्णय, जो **यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम पुष्पा लता अवस्थी, (1995) 3 एससीसी 573; रमेश चंद्र तिवारी बनाम यू.पी. आवास एवं विकास परिषद, (1997) 9 एससीसी 116** तथा **सत्य पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1997) 9 एससीसी 117** के रूप में प्रकाशित हैं और जिन पर विपक्षी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, सभी जैनुल इस्लाम से पूर्व के निर्णय हैं तथा **जैनुल इस्लाम** (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिया गया है, साथ ही यह बाद का निर्णय भी है, इसलिए, पहले के निर्णय विपक्षी पक्षों के काम नहीं आते हैं।

(248) समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 25.08.2025 को **रिट-सी संख्या 8076/2025, सरजू प्रसाद यादव एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में दिया गया निर्णय, जिस पर बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है, उनके पक्ष में सहायक नहीं है, क्योंकि, प्रथम, उक्त मामले में अधिनियम, 1965 की विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी गई थी। अतः याचिका का निस्तारण इस

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

आधार पर किया गया कि यद्यपि उसमें याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अंतर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं, किंतु उन्होंने अधिनियम की धारा 35(1) के अंतर्गत निर्माण की कोई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया था और चूँकि अधिनियम, 1965 की धारा 32(3) के अंतर्गत एक उपचार उपलब्ध था। वर्तमान मामले में सम्मिलित किसी भी प्रश्न का उक्त मामले में निर्णय नहीं किया गया था।

(249) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सी०डब्लू०पी० संख्या 28804/2022 में दिया गया निर्णय भी हमें इस मामले में कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि ऊपर प्रासंगिक प्रश्नों पर की गई चर्चा एवं दिए गए कारण, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि उसमें सम्मिलित तथ्य एवं प्रश्न वर्तमान मामले में सम्मिलित तथ्यों एवं प्रश्नों से भिन्न थे, इस संबंध में पर्याप्त हैं। वर्तमान मामले में आक्षेपित अधिनियम के समान किसी अधिनियम की विधिमान्यता उपरोक्त खंडपीठ के समक्ष प्रश्नगत नहीं थी।

(250) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2025 को **सिविल अपील संख्या 7707/2025 में दिए गए निर्णय, एस्टेट ऑफिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम निर्मला देवी**, का भी विपक्षी पक्षकारों को कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें सम्मिलित तथ्य एवं प्रश्न वर्तमान मामले में सम्मिलित तथ्यों एवं प्रश्नों से पूर्णतः भिन्न थे। उक्त मामले में विचाराधीन योजना को लोकलुभावन माना गया था। वर्तमान मामले में स्वयं अधिनियम, 1965 की धारा 21 के अंतर्गत पुनर्वास योजना का प्रावधान विद्यमान है।

(251) श्री असीत चतुर्वेदी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय, **स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश्वर प्रताप नारायण सिंह एवं अन्य; एआईआर 1961 एससी 1649**, पर किया गया भरोसा भी हमारे समक्ष इन मामलों के तथ्यों एवं प्रश्नों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-क से संबंधित था, जबकि वर्तमान मामला अनुच्छेद 31-क के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये मामले कृषि सुधार एवं विकास से संबंधित नहीं हैं।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(252) उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री सुदीप कुमार ने इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्णय जो **2018 (3) एएलजे 462 रमेश चंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** पर विशेष रूप से भरोसा किया; तथापि, यह निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा **रमेश चंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2024) 5 एससीसी 217** में दिए गए निर्णय द्वारा उलट दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने **रमेश चंद्र शर्मा** (उपरोक्त) में प्रतिकर के भुगतान के लिए प्राधिकारियों द्वारा 'पुश्तैनी' भू-स्वामियों एवं 'गैर-पुश्तैनी' भू-स्वामियों के बीच भिन्न दरों पर किए गए वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी पाया। यह निर्णय भी विपक्षी पक्षकारों के पक्ष में सहायक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि 'पुश्तैनी' भू-स्वामियों और उसी वर्ग के उन भू-स्वामियों के बीच एक कृत्रिम वर्गीकरण किया गया था, जिनकी भूमि एक ही अधिसूचना द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए अर्जित की गई थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त मामले में अर्जन को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। वास्तव में, यह निर्णय विपक्षी पक्षकारों के पक्ष में सहायक होने के बजाय, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन तथा प्रतिकर के प्रयोजन के लिए भू-स्वामियों के साथ भिन्न व्यवहार किए जाने में प्रतिकूल भेदभाव एवं मनमानेपन के प्रश्न पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष का समर्थन करता है।

(253) राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री सुदीप कुमार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 182 से 193 पर भी भरोसा किया। तथापि, हम पाते हैं कि उक्त मामले में प्रश्नगत अधिनियम अनुच्छेद 31-क से संदर्भित था, जिसके कारण ऐसे किसी भी आक्षेप के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अनुप्रयोग अपवर्जित था। तथापि, उक्त मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्यथा, भूमि अधिग्रहण के मामलों और मुआवजे से जुड़े मामलों में किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इसलिए, उक्त निर्णय भी हमें ऊपर विवेचित प्रश्न पर अपने मत में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वर्तमान मामले में हमारा सरोकार विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिकर के मामले में भू-स्वामियों के साथ किए गए भिन्न व्यवहार से है। उपरोक्त संविधान पीठ के मामले में यह मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(254) श्री सुदीप कुमार द्वारा ***राजीव सरीन और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य; 2011 (8) एससीसी 708*** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जो अनुच्छेद 31-क के अंतर्गत आने वाले प्रकरण, अर्थात् कृषि सुधार और विकास, से संबंधित था, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

(255) बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित चतुर्वेदी के ये तर्क कि अधिनियम, 1965 की धारा 31 के अंतर्गत आपत्तियां दाखिल नहीं की गईं, या यदि दाखिल की गईं, तो इस संबंध में कोई आपत्ति यहां नहीं उठाई गई और धारा 32 के अंतर्गत उपाय की उपलब्धता के संबंध में, इस प्रकरण के तथ्यों में भ्रामक हैं, जहां कुछ अधिनियमों की वैधता को चुनौती दी गई है और महत्वपूर्ण विधिक मुद्दे शामिल हैं जिन्हें धारा 32 के अंतर्गत नहीं देखा जा सकता था, यह मानते हुए भी कि उक्त उपाय उपलब्ध था, जैसा कि इस प्रकरण में, योजनाएं स्वयं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कानून के विरुद्ध न तो विविधबंध लागू होती है और न ही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध मौन-स्वीकृति। यह अगला तर्क भी स्वीकार्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अंतर्गत कोई संदर्भ दाखिल नहीं किया गया था और वे "तटस्थ दर्शक" रहे हैं, विशेषकर अधिनियम, 1965 की वैधता से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। जहां तक याचिकाकर्ताओं को "तटस्थ दर्शक" कहे जाने का संबंध है, किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है और महत्वपूर्ण विधिक मुद्दे उठाए गए हैं जिन्हें ऐसे आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है, हालांकि इस प्रासंगिक पहलू को हम दिए जाने वाले अनुतोष पर विचार करते समय ध्यान में रखेंगे।

(256) हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के ***आशा वर्मा*** (उपरोक्त) प्रकरण के निर्णय तथा दिनांक 05.03.2024 के निर्णय को (***यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम चंद्र शेखर और अन्य; सिविल अपील संख्या 3855 सन् 2024)*** भी विचारार्थ लिया है। यद्यपि उक्त निर्णयों में ***जैनुल इस्लाम (उपरोक्त)*** के पूर्ववर्ती निर्णय पर विचार नहीं किया गया था, और उक्त प्रकरण ऐसी अर्जन कार्यवाही से संबंधित थे जो 01.01.2014 से पूर्व शुरू की गई थीं, तथापि ***चंद्र शेखर (उपरोक्त)*** के पैरा 20 में अधिनियम, 2013 के अध्याय II का वहां दिया गया संदर्भ भी हमारे द्वारा ध्यान में रखा गया है।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रश्न संख्या 7:

(257) बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असित चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 07.02.2017 के ***रिट याचिका (भूमि अर्जन) संख्या 159/2014, अतुल शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*** के समन्वय पीठ के निर्णय के आधार पर यह जोरदार तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1965 के तहत अर्जन की कार्यवाही पर (पूर्ववर्ती अधिनियम में यथा समाविष्ट भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के साथ पठित) संपूर्ण अधिनियम, 2013 के लागू होने को उक्त प्रकरण में अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय को उक्त निर्णय का पालन करना चाहिए और यदि इस पीठ द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जाना है, तो औचित्य (उचित व्यवहार) के कारणों से इस प्रकरण को विचारण के लिए वृहद पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, विशेष रूप से चूंकि ***अतुल शर्मा (उपरोक्त)*** के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका संख्या 18270 सन् 2017 दिनांक 02.08.2017 को निरस्त कर दी गई है।

(258) इस संदर्भ में, उन्होंने इस न्यायालय की एक खंडपीठ के एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ दिया, जो ***रिट याचिका संख्या 14698 (एल/ए) 2016, केशव राम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव, आवास एवं 6 अन्य*** में पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध एस.एल.पी. (सी) संख्या 14450-14451 सन् 2017 उत्पन्न हुई थी, जिसे भी निरस्त कर दिया गया था।

(259) हमने अतुल शर्मा के प्रकरण में समन्वय पीठ के निर्णय का अवलोकन किया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध एस.एल.पी. को प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि **अतुल शर्मा (उपरोक्त)** के निर्णय अभिपुष्टि की गई है, बल्कि इसका केवल यह अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के पक्ष मे नहीं था।

(260) इसी प्रकार, केशव राम के प्रकरण के निर्णय से उत्पन्न होने वाली एस.एल.पी. को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया गया था कि अधिनियम, 2013 अर्थात नए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार 15 सितंबर 2015 को पहले ही अधिनिर्णय दिया जा चुका था, अतः एस.एल.पी. में पारित आदेश याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

केशव राम (उपरोक्त) में खंडपीठ ने ***अतुल शर्मा (उपरोक्त)*** के अनुसार ही प्रकरण का निर्णय किया था।

(261) इसके अलावा, अतुल शर्मा के निर्णय का संदर्भ **आशा वर्मा** (उपरोक्त) के प्रकरण में एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका को निरस्त करने के लिए लिया गया था। उक्त प्रकरण में सीएम. आवेदन संख्या 79809 सन् 2021 के रूप में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था, जिसे भी 25.08.2021 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध, व्यथित निजी व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और सिविल अपील संख्या 990-991 सन् 2025 में परिवर्तित होने के बाद इसे अनुमति दे दी गई तथा उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 24 को लागू किया।

(262) इसके अलावा, जब हम ***अतुल शर्मा*** (उपरोक्त) के प्रकरण में खंडपीठ के निर्णय का अवलोकन करते हैं, तो प्रासंगिक मुद्दों पर हमारे द्वारा यहां व्यक्त किए गए मत और उक्त निर्णय के बीच हमें मतभेद का कोई आभास नहीं होता है।

(263) इस संदर्भ में, हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि अतुल शर्मा की रिट याचिका के अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, जिन्हें हमने मंगाया था, हमने पाया कि उक्त प्रकरण में अधिनियम, 1965 की धारा 28 और 32 के तहत अधिसूचनाएं 15.04.1980, 15.07.1982 को जारी की गई थीं और अधिनिर्णय भी 23.09.1986 को दे दिया गया था, किंतु नए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) का लाभ इस आड़ में मांगा जा रहा था कि एक बार अधिनियम 1894 इसके द्वारा निरस्त हो जाने पर संपूर्ण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू हो जाएगा और इस संदर्भ में असंगति तथा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का प्रश्न उठाया गया था, जिसे **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हमने असंगति के दावे को भी अस्वीकार कर दिया है, किंतु, जहाँ तक अनुच्छेद 14 पर आधारित तर्क का संबंध है, अर्थात् प्रतिकर के प्रकरण में भेदभाव न होना, उसे भी **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) में खंडपीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हम उक्त निर्णय के दूसरे अंतिम पैराग्राफ का लाभप्रद संदर्भ ले सकते हैं, जो इस प्रकार है:

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"हालाँकि, इस भेदभाव का एक अन्य पहलू भी है जिससे जैनुल इस्लाम के प्रकरण के अनुपात को ध्यान में रखते हुए बचा जाना चाहिए। उस सीमा तक हम यह मानते हैं कि यदि 1965 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा 01.01.2014 के बाद कोई अर्जन किया जाता है, तो इसके कृत्यों या प्रतिकर के निर्धारण को 2013 के अधिनियम में परिकल्पित किए गए प्रावधानों से कम नहीं होना चाहिए। अतः, 1 जनवरी 2014 के बाद 1965 के अधिनियम के तहत आवास विकास परिषद द्वारा किए गए अर्जनों के संबंध में, प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण, सिद्धांतों के आधार पर, 2013 के अधिनियम के अनुसार किया जाना होगा।"

(264) अब, निर्णय का उपर्युक्त उद्धृत अंश स्पष्ट रूप से कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि प्रतिकर के प्रकरण में भेदभाव का तर्क समन्वय पीठ द्वारा **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) में भी स्वीकार किया गया था, जो केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में हो सकता है, हालाँकि, अनुच्छेद 14 के संबंध में प्रतिषेध तथा अधिनियम, 1965 और पश्चातवर्ती अधिनियमन के बीच संघर्ष के संबंध में यह तर्क कि अधिनियम 2013 को अधिनियम, 1965 के तहत अर्जन कार्रवाइयों पर पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया गया था।

(265) हम पुनरावृत्ति के भय के बावजूद, यह इंगित कर सकते हैं कि यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है कि संपूर्ण अधिनियम 2013 को अधिनियम, 1965 के तहत अर्जन कार्रवाइयों पर यथावत (per se) लागू किया जाए। हमने इस मुद्दे को केवल संपत्ति के अर्जन के संबंध में मनमाने और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के दृष्टिकोण से विचार किया है, इसलिए, हमारे द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) में खंडपीठ के निर्णय के अनुरूप है, न कि उसके विपरीत।

(266) **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) के प्रकरण में खंडपीठ के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि यदि अर्जन की कार्रवाई 01.01.2014 के पश्चात की है, जैसा कि इस प्रकरण में है, तो प्रतिकर के मामले में भूस्वामियों के बीच कोई विभेद या भेदभाव नहीं हो सकता है, और यह अधिनियम, 2013 के अनुसार ही होना चाहिए।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(267) इसके अलावा, **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) प्रकरण में, अधिनियम 1965 के उन प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, जिन्हें इन मामलों में चुनौती दी गई है।

(268) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें **अतुल शर्मा** (उपरोक्त) के निर्णय को वृहत् पीठ को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि हमने स्वयं को प्रतिकर के मुद्दे तक ही सीमित रखा है। यह प्रश्न कि क्या प्रतिकर में मौद्रिक-भिन्न प्रतिकर शामिल होगा, अतुल शर्मा (उपरोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा न तो उठाया गया था, न ही उस पर तर्क दिया गया था और न ही उसका निर्णय किया गया था।

(269) इसके अलावा, गैर-भेदभाव और भूस्वामियों के बीच कोई विभेद न होने के प्रश्न पर तथा इस संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की प्रासंगिकता पर, हम उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के **विठ्ठल राव** के निर्णय से भी बाध्य हैं, जिसका पालन **जैनुल इस्लाम** और अन्य निर्णयों में किया जा चुका है, जिन पर पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

<u>प्रश्न संख्या 8:</u>

(270) क्या वर्ष 1894 के अधिनियम को वर्ष 2013 के अधिनियम द्वारा निरसित किए जाने पर, 'बोर्ड' वर्ष 1894 के अधिनियम और वर्ष 1965 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण नहीं रह गया?

(271) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 3 के आधार पर बोर्ड को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण माना गया था और जब वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 114 द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित हो गया तथा अनुसूची को वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 के साथ पढ़े जाने पर, उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में धारा 3(ज) के पश्चात खंड (i) और (j) अंतःस्थापित करके उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया था, तब स्वयं वर्ष 1894 का अधिनियम निरसित हो जाने के कारण बोर्ड अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण नहीं रह गया और इस प्रकार ऐसा करने के लिए केवल वर्ष 2013 के अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकरण ही सक्षम था। यह तर्क इस कारण त्रुटिपूर्ण है कि वर्ष

Translated Version. Not For Legal Use.

1894 के अधिनियम के उपबंधों को विधि द्वारा वर्ष 1965 के अधिनियम में, उसकी धारा 55 के साथ पठित अनुसूची में उल्लिखित संशोधनों के अधीन, समाविष्ट किया गया है और वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 3 के अधीन बोर्ड को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण माना गया है, जिसका आवश्यक रूप से यह अर्थ होगा कि वर्ष 1965 के अधिनियम पर उसके लागू होने के संबंध में वर्ष 1894 का अधिनियम अभिप्रेत है। अन्यथा भी, वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 के साथ पठित धारा 17(क) के अधीन बोर्ड को भूमि का अनिवार्य अर्जन करने की शक्ति प्राप्त है; अतः उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब हम वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट अनुसूची का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वर्ष 1894 के अधिनियम की धारा 3(ज) के पश्चात अंतःस्थापित धारा 3(झ) द्वारा 'स्थानीय प्राधिकरण' पद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उसमें बोर्ड भी सम्मिलित है और ये प्रावधान , विधि द्वारा समाविष्ट किए जाने के कारण, वर्ष 1965 के अधिनियम का अभिन्न अंग बन गए हैं। अतः उक्त तर्क गलत आधार पर है और निरस्त किया जाता है।

(272) कुछ याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सी.बी. पांडेय और श्री राजीव नारायण पांडेय ने अन्य याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के समान ही तर्क प्रस्तुत किए हैं।

<u>प्रश्न संख्या 9:</u>

(273) अनुतोष:

(i) हमारे द्वारा पहले ही की गई चर्चा के आधार पर, यद्यपि हमें वर्ष 1965 के अधिनियम की धाराओं 28, 31 और 32 को संविधान के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित करने का कोई कारण नहीं मिलता है, किंतु जहाँ तक धारा 55 और उसकी अनुसूची का संबंध है, प्रश्न संख्या 5 और 6 का उत्तर देते समय हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि यदि इन उपबंधों को उसी रूप में, वर्ष 2013 के अधिनियम की सहायता के बिना, लागू किया जाता है, तो वे संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित होंगे। अतः प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में पहले ही दिए गए कारणों के आधार पर, इन्हें अनुच्छेद 14 और 300-क के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित करने के बजाय, यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 1965 के अधिनियम के अधीन उन भूस्वामियों को, जिनकी भूमि/संपत्ति का अर्जन किया जाता है, प्राप्त होने वाले लाभ वर्ष 2013 के अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए लाभों से कम या

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कम लाभकारी नहीं होंगे, अर्थात् मौद्रिक प्रतिकर तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन के रूप में गैर-मौद्रिक प्रतिकर। उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के लिए, वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबंधों अथवा कम-से-कम उसमें निहित प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित सिद्धांतों, जैसा कि चर्चा की गई है, को वर्ष 1965 के अधिनियम के अधीन अर्जन कार्यवाहियों पर लागू करना होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूँकि वर्ष 1965 के अधिनियम के अधीन भूस्वामियों को देय लाभ/प्रतिकर में कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए आक्षेपित प्रावधान सुरक्षित रहेंगे और उन्हें अधिकारातीत घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) तीन योजनाएँ आक्षेपित हैं। तीनों योजनाएँ एक वृहत्तर योजना का भाग हैं, जो चरण-I, चरण-II और चरण-III के रूप में विभाजित है। ये योजनाएँ भौगोलिक दृष्टि से तथा अन्यथा एक-दूसरे की निरंतरता में हैं और पूर्णतः पृथक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, इन तीनों योजनाओं के लिए भूमि तीन माध्यमों, अर्थात् क्रय, भूमि समेकन और अनिवार्य अर्जन के माध्यम से अर्जित की गई है। अनिवार्य अर्जन इसका केवल एक भाग है और हमारा सरोकार केवल उसी से है, किंतु इस संबंध में योजना को ही निरस्त करके किया गया कोई हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं होगा और यदि हम भूमि के अनिवार्य अर्जन के संबंध में योजनाओं को अथवा केवल अनिवार्य अर्जन को ही निरस्त कर दें, तब भी इससे तीनों योजनाएँ संकट में पड़ जाएँगी। अनिवार्य अर्जन की कार्यवाहियाँ वर्ष 2020 (प्रथम चरण), वर्ष 2022 (द्वितीय चरण) और वर्ष 2023 (तृतीय चरण) से चल रही हैं। योजना संख्या 1 के संबंध में, क्रमशः ग्राम शाहनवाजपुर मांझा, बरियाता मांझा और तिहुरा मांझा के संबंध में 23.06.2023, 20.02.2025 और 02.09.2025 को अधिनिर्णय पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। योजना संख्या 1 के एक गाँव के संबंध में कोई विशिष्ट चुनौती नहीं है। दूसरी योजना के संबंध में भी 23.12.2024 को अधिनिर्णय घोषित किया जा चुका है। जहाँ तक तीसरी योजना का संबंध है, यद्यपि अभी तक अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है और कब्जा भी नहीं लिया गया है, किंतु, जैसा कि पहले कहा गया है, यह योजना पूर्ववर्ती दोनों योजनाओं की निरंतरता में है। अतः, समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, यदि हम अर्जन कार्यवाहियों/योजनाओं को निरस्त कर देते हैं, तो इससे हम कई वर्षों पीछे चले जाएँगे और योजनाओं में पहले ही लगाया जा चुका बहुत-सा धन और किया गया प्रयास व्यर्थ हो सकता है, जिससे योजनाओं के पीछे निहित व्यापक लोक प्रयोजन संकट में पड़ सकता है, विशेष रूप से तब, जब भूमि का कुछ भाग विभिन्न प्रयोजनों के लिए तीसरे पक्षों को भी आवंटित किया जा चुका है।

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतः, उच्चतम न्यायालय के चंद्रशेखर (उपरोक्त) के निर्णय से मार्गदर्शन लेते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी विवेकाधीन असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यथा प्रार्थित इन योजनाओं/अर्जन कार्यवाहियों को निरस्त करने से इनकार करते हैं; इसके बजाय, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

(क) प्रतिवादी गण यह स्वीकार करते हैं कि प्रश्नगत योजनाओं के लिए उनकी संपत्ति के अर्जन के बदले भूस्वामियों को वर्ष 2013 के अधिनियम के अनुसार प्रतिकर (मौद्रिक प्रतिकर) निर्धारित किया जाना और उसका भुगतान किया जाना है; अतः हम निर्देश देते हैं कि उसका तदनुसार भुगतान किया जाए।

(ख) यदि मौद्रिक प्रतिकर से संबंधित पहले ही घोषित किए जा चुके अधिनियमों पर वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः किए जाने के लिए पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है, तो ऐसा तत्काल किया जाएगा और मौद्रिक प्रतिकर का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तथा, यथास्थिति, प्रतिकर या प्रतिकर की अंतर राशि का भुगतान तदनुसार किया जाएगा, जब तक कि उसका पहले ही भुगतान न कर दिया गया हो।

(ग) हम बोर्ड को यह पता लगाने के लिए भी कार्यवाही करने का निर्देश देते हैं कि कितने भूस्वामी/संपत्ति-स्वामी पूर्णतः विस्थापित हुए हैं, इस अर्थ में कि उनकी संपूर्ण भूमि-धारण अथवा संपत्ति अर्जित कर ली गई है, और तत्पश्चात्, यदि वह पाता है कि ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं, तो वह वर्ष 1965 के अधिनियम की धारा 21 के अधीन, वर्ष 2013 के अधिनियम में अंतर्विष्ट पुनर्वास संबंधी सुसंगत प्रावधानों और उसमें अंतर्विष्ट सिद्धांतों को साथ पढ़ते हुए, पृथक रूप से एक पुनर्वास योजना तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा, जब तक कि वर्ष 2013 के अधिनियम की धाराओं 31 और 47 तथा उसमें अंतर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार इसे मौद्रिक रूप में निर्धारित करके इस दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए भुगतान किया जाना संभव न हो, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है; ऐसी स्थिति में बाद वाला उपाय अपनाया जाएगा। यह कार्य इस आदेश की तारीख से छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

(iii) यदि कोई भूस्वामी/संपत्ति-स्वामी पहले ही घोषित किए गए अथवा इसके पश्चात् घोषित/संशोधित किए गए किसी अधिनिर्णय से व्यथित है, तो उसके लिए विधि के अनुसार उसे

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

चुनौती देना खुला रहेगा और इस निर्णय द्वारा विनिश्चित किए गए मुद्दे भी चुनौती के आधार के रूप में उपलब्ध होंगे।

(iv) इसके पश्चात्, वर्ष 1965 के अधिनियम के अधीन किसी भी अर्जन कार्यवाही में मौद्रिक प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का निर्धारण तथा प्रदान/विस्तार ऊपर प्रतिपादित विधि के आलोक में किया जाना होगा।

(274) सभी रिट याचिकाओं का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार ***निस्तारण*** किया जाता है।

(275) प्रकरण के निस्तारण से पूर्व, हम पक्षों के सभी विद्वान अधिवक्ताओं, जिनमें विद्वान न्यायमित्र श्री अपूर्व तिवारी भी शामिल हैं, द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहेंगे।

(न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

6 अगस्त, 2026

अर्निमा/ संतोष

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।